खण्ड-310, अंक-4
सोमवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1896
(29 जुलाई, 1974 ई0)

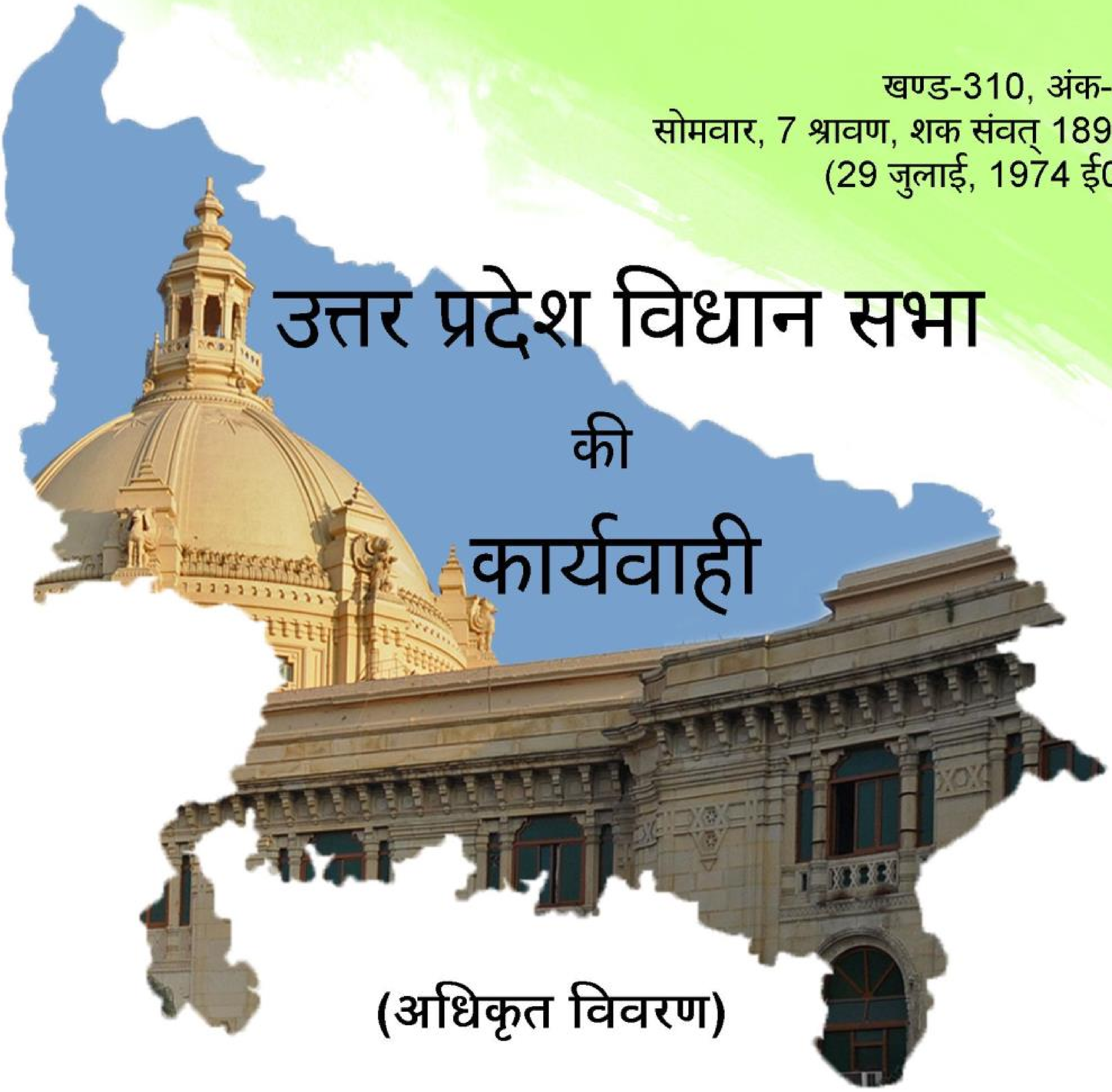

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 310 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९२

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री]
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री

परन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह बाबू, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रिय दर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोलादत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री (जिला गाजीपुर)
रघुबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)

रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद, चौधरी
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठा०
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द, श्री (एडवोकेट)
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उमानाथ मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण पान्डे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोक पति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री

शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय श्री
शिव कुमारी दूबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल, श्री
हरि राम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—लघु उद्योग मंत्री श्री इस्तफा हुसेन भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २९ जुलाई, १९७४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर तथा बांदा में गेहूं की वसूली का निर्धारित लक्ष्य

**१—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर तथा बांदा का गेहूं वसूलयाबी का लक्ष्य जो पहले निर्धारित था उसे २८ मई, १९७४ को संशोधित करके बढ़ा दिया गया और इलाहाबाद जिले के २०,००० क्विंटल गेहूं वसूली के लक्ष्य को ११,००० क्विंटल कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जिला झांसी, ललितपुर, जालौन तथा हमीरपुर के लिये गेहूं वसूली का लक्ष्य जो पहले निर्धारित किया गया था उसे २८ मई, १९७४ को संशोधित करके बढ़ाया नहीं बल्कि कम किया गया है। केवल बांदा जिले के लिये पूर्व निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाया गया है।

इलाहाबाद जिले के लिये पहले जो १००० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें २८ मई, १९७४ को कोई संशोधन नहीं किया गया।

उक्त संशोधन अनुमानों पर आधारित है।

श्री हरि केवल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि गेहूं वसूली का जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसका मोटे पर आधार क्या होता है और किस आधार पर बांदा जिले का पूर्व का लक्ष्य ५ हजार से १० हजार क्विन्टल किया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लक्ष्य निर्धारित करने के पहले कृषि विभाग के अधिकारी उत्पादन की स्थिति बतलाते हैं। जो कृषि विभाग के अधिकारी स्टेटिस्टिक्स डील करते हैं वह और हमारे विभाग के अधिकारी बैठ कर लक्ष्य को निर्धारित करते हैं।

श्री हरि केवल—

बुन्देलखण्ड के जो ५ जिले हैं उनमें बांदा की उत्पादन की क्षमता सबसे कम है, तो वहां का लक्ष्य बढ़ाया क्यों गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आंकड़ों से तो ऐसा ही लगता है लेकिन अनुमान करते समय विभाग ने क्या सोचा, इसको स्पष्ट मैं अभी नहीं बतला सकती, लेकिन जब प्रश्न आया तो मैंने भी यही प्रश्न अधिकारियों से किया। उस समय सचिव ड्यूटी पर थे। जो अधिकारी थे उनसे मैंने कहा था कि इस पर आप लोग फिर से विचार कर लें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

झांसी, ललितपुर, जालौन और हमीरपुर का कितना लक्ष्य था और कितना बढ़ाया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बढ़ाया नहीं गया। झांसी का ८००० से ७००० टन किया गया, ललितपुर का ७००० से ५००० किया गया, जालौन का १५०० से १२००० टन किया गया। हमीरपुर का २०००० से ११००० टन किया गया।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

इस समय भी बांदा जिले में और दबाव से वसूली की जा रही है। क्या मंत्री जी इसको रोकने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने कहा है कि इस पर पुनः विचार कर लें, वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जायगी।

श्री जनार्दन प्रसाद श्रीझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि बांदा जिले में एक-एक किलो की वसूली की जा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

एक-एक किलो गेहूं लेने की व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। अगर कहीं इस प्रकार की शिकायत हो तो माननीय सदस्य शासन को इसकी सूचना दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि ये जो कलेक्टर और डिप्टी कक्लेटर वसूली करते हैं, वे किसानों से कहते हैं कि सीमेंट और खाद ले लो और ब्लैक पर बेंच देना; इससे नुक्सान नहीं, फायदा होगा ? तो क्या माननीय मंत्री जी इसे रोकने की कोशिश करेंगे, कि वे ब्लैक मार्केटिंग की शिक्षा किसानों को न दें, क्योंकि पहले से ही बाजार और समाज ब्लैक मार्केटिंग से नष्ट हो गया है

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह अगर है, तो यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिये शर्मनाक बात है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीया मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि इलाहाबाद के लिये जो २० हजार टन का लक्ष्य रखा है, तो इलाहाबाद के तीनों खण्डों—गंगापार, दुआबा और नुमना पार के लिये अलग-अलग वसूली की क्या मात्रा रखी गयी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, यह डिटेल तो यहां पर नहीं है, इस वक्त।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि या माननीया खाद्य मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगी कि बुन्देलखंड में जो प्रोडक्शन का लक्ष्य है, वह चारों जिलों से कम है। तो जब प्रोक्डक्शन ही कम है तो उसमें ५ हजार से १० हजार टन तक जो वसूली का लक्ष्य बनाया गया है, वह क्यों किया गया और किन लोगों ने किया ? अगर यह बात सही है, तो क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, किन लोगों ने किया, मैंने बता दिया। अधिकारी लोग बैठते हैं और निर्णय लेते हैं। सवाल रह जाता है कार्यवाही करने का, तो कार्यवाही करने की बात यदि है, तो देखेंगे।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर, जिन लोगों के पास जिलों में गल्ला नहीं निकला, उनसे पैसे वसूल किये गये, एक-एक किलोग्राम वसूल किया गया, भूमिहीनों से वसूल किया गया ; तो क्या इसकी जांच कर करा कर कार्यवाही करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसी कोई भी अनियमितता होती है जो जांच जरूर की जाती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगी कि जो भिन्न जिलों के लिये लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य से ज्यादा अधिकारी वसूली करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिये पारितोषिक आदि देने का निर्णय लिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वे गलत सही तरीकों से वसूली कर रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, हमारे जो अधिकारी हमारे लक्ष्य की पूर्ति करते हैं और ज्यादा वसूली करते हैं, उन्हें जरूर प्रोत्साहित किया जायगा और किस रूप में उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा, इसको भी हम देखेंगे ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सेंट्रल स्टोर सचिवालय स्थित दूकान एवं जलपान गृह का खाद्य मंत्री द्वारा निरीक्षण

*२--श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बताने की कष्ट करेंगे कि सचिवालय स्थित राज्य कर्मचारी सेंट्रल स्टोर में माह दिसम्बर, १९७३ को उन्होंने स्वयं छापामारा तथा उसमें अनेक अनियमितताये पकड़ी ? यदि हां, तो कौन-कौन अनियमिततायें पाई गई और क्या इनके प्रति जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैंने दिनांक १४ दिसम्बर, १९७३ को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सेंट्रल स्टोर, सचिवालय स्थित दूकान एवं कल्याण निगम द्वारा संचालित जलपान गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया ।

निरीक्षण के फलस्वरूप मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निम्नांकित विषयों पर उचित मार्ग दर्शन एवं सुधार की आवश्यकता है:--

१--सचिवालय स्थित दूकान के संचालन की व्यवस्था ।

२--सेंट्रल स्टोर में रखे हुए कपड़े, स्वीटर, टायलेट इत्यादि के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था ।

३--जलपान गृह को सुचारु रूप से संचालित करने की व्यवस्था ।

उपरोक्त विषयों से संबंधित व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कल्याण निगम के निदेशक मंडल की संस्तुति के आधार पर कार्यवाई की जा रही है तथा सेंट्रल स्टोर एवं सचिवालय स्थित दूकान का विशेष सम्प्रेक्षण भी चार सम्प्रेक्षण-टोलियों द्वारा किया गया है । मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी से सम्प्रेक्षण-प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है और प्राप्त होते ही प्रतिवेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाई की जायेगी ।

श्री श्याम मिश्रा--

क्या मुख्य मंत्री महोदय बतलायेंगे कि अपने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सेंट्रल स्टोर में उन्हें कुछ ऐसे ऊनी कीमती कपड़े मिले थे जो अलमारी में बन्द थे और कुछ थान ऐसे मिले थे जिनके कागज तथा स्लिप पर कुछ नाम लिखे थे जैसे सिस्टर निगम, राम उजागर सिंह तथा उपरेती ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां ।

श्री श्याम मिश्रा---

इन बन्द अल्मारियों में क्या मंत्री महोदय को केस भी मिला था और उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान कोई इंवेंटरी भी बनाई जिसमें ५९ आर्टिकिल नोट की गयीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

एक बन्द लिफाफे में रुपया था और जो-जो चीजें वहां पर थीं उनके लिये मैंने कहा था कि एक इंवेंटरी बना ली जाय ।

श्री श्याम मिश्रा---

कुल कितना रुपया था ?

श्री अध्यक्ष---

यह ब्योरे का सवाल है ?

श्री श्याम मिश्रा---

क्या इन अनियमितताओं के लिये मंत्री महोदय ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये आदेश दिये थे जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

आदेश मैंने दिये और उनका पालन किया गया और उसके ऊपर कार्यवाही की गयी जैसा मैंने आपको बतलाया ।

श्री भगवती सिंह बिशारद (जिला उन्नाव)---

तो उन्होंनें निरीक्षण किया तो उसके उपरान्त कुछ सुझाव दिये हैं और निरीक्षण के दौरान उनकी क्या-क्या अनियमिततायें मिलीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

वहां आने के बाद मैंने तीन पेज का नोट मुख्य सचिव को लिखकर भेजा । उसका सारांश मैं बताये देती हूं । एक तो यह कि ऊंची स्वेटर फ्लोर पर स्टोर में पड़े हुए थे और दूकान पर उनको बिकने के लिये नहीं भेजा गया । जो सस्ता कपड़ा स्टोर में होता था उसे सीधे अधिकारियों के यहां भेज दिया जाता था और वह साधारण कर्मचारियों को नहीं मिलता था । एक बक्से के अन्दर सस्ते व अच्छे कम्बल मिले और बाहर दूकान पर मंहगे कम्बल रखे गये । ३० रुपये मीटर लगभग वर्स्टेड थान का पीस मिला जब कि ५८-६० रुपय मीटर की वर्स्टेड दूकान पर रखी गयी । अच्छी और सस्ती धोतियां देखने को मिलीं जो दुकान पर कभी बेचने को नहीं भेजी गयीं । सस्ते धोती जोड़े भी थे । पापलीन के ढाई रुपये मीटर के थान भी मिले जो काफी अरसे से वहां रखे मालूम होते थे । एक स्टील की अल्मारी पर वर्स्टेड का पीस लिफाफे में रखा मिला जो श्री उपरेती के नाम से रिजर्व किया गया था । २५८ रुपये एक लिफाफे में थे जो सामान खरीदने के लिये होंगे । एक लिफाफे में वर्स्टेड का पीस था जो किन्हीं मिस्टर निगम के लिये रखा गया था । इसी तरह से और भी चीजें थी स्टाक में काफी पुरानी थी लेकिन जिनको डिसपोज आफ नहीं किया गया था । उसे क्यों खराब होने दिया गया ? यह मैंने प्रश्न पूंछा था । एक अलमारी में मुझे दो चार किलों के डिब्बे भी दिखाये गये जो कि इन कर्मचारी नेताओं द्वारा सचिवालय स्टोर से अनधिकृत तरीके से बाहर जाते हुये पकड़े गये थे । उसके बाद

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

में कैफेटेरिया में गई और वहां की स्थिति देखी। उसके उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वहां की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। मुख्य सचिव ने उसके बाद एक मीटिंग की और आदेश दिया कि इसकी जांच पड़ताल की जाय। तदुपरान्त यह बताया गया कि जो चीजें वहां पर थी जो कि डिस्पोज्ड आफ हो जानी चाहिये थी उसमें करीब १ लाख दे अधिक का सामान बेचा जा चुका है। जो चीजें खराब थीं, रद्दी थीं उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव स्वयं इस मामले को देख रहे हैं ताकि अनियमिततायें बढ़ने न पायें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट आपने पढ़ी है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां के जिम्मेदार लोग काफी भ्रष्ट तरीके से सस्ते दाम की चीजें उपभोक्ताओं को नहीं देते रहे। तो क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसे भ्रष्ट और जिम्मेदार व्यक्तियों को मुअत्तल किया है या नहीं ?

दूसरी चीज यह है कि माननीय मंत्री जी छापा मारने के लिये जो उस दिन गई वह किसी की शिकायत पर वहां गई थीं या अपने मन से गई थीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैं तो सिफारिश पर गई थी। कुछ कर्मचारी लोग मुझ से मिले थे और उन्होंने कहा कि उन्हें वस्तु ठीक से नहीं मिल रही है। इसी आधार पर वहां गई थी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---

अनियमितताओं के संबंध में आपने उनके खिलाफ मुअत्तल करने की कार्यवाही भी की।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया और वहां जाकर स्वयं अनियमिततायें पायीं। ऐसा जाहिर होता है कि स्टोर के जो लोग हैं वे सारा सामान बाहर बेच लेते हैं और जिन कर्मचारियों को मिलना चाहिये उन्हें नहीं मिल पाता है। तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अनियमिततायें आपने बतायीं उनके संबंध में आपने कोई फौरन कदम उठाये और मुअत्तली की कार्यवाही कीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैंने इस संबंध में उचित व्यवस्था करने के लिये कह दिया है। कार्यवाही करने के लिये मुख्य सचिव से कह दिया है। जहां तक उन व्यक्तियों को सस्पेंड करने का सवाल है उसमें दो कर्मचारियों को जिनके खिलाफ डाल्डा के टिन के सिलसिले में अनियमितता थी उन्हें हटा दिया गया और बाकी लोगों से एक्सप्लेनेशन लिया गया। इन सब चीजों को मुख्य सचिव देख रहे हैं।

**३---श्री कल्याण सिंह---

[सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, प्रश्न संख्या ३ का क्या हुआ.....

श्री अध्यक्ष---

वह तो आपके आवेदन पर ही स्थगित कर दियागया है।

श्री कल्याण सिंह--

चूंकि इसमें यह नहीं लिखा था इसलिये मैंने आपसे पूंछा ?

श्री अध्यक्ष--

वह स्थगित हो गया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ललितपुर जिले में गेहूं की वसूली

*१--श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी) तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि ललितपुर जिले में गेहूं वसूली में बड़े पैमाने पर जोर जुल्म किया जा रहा है तथा जिनके पास गेहूं नहीं है उनसे भी वसूली की जा रही है तथा काश्तकारों को डी०आई०आर० में बन्द किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ललितपुर जिले में इस बार गेहूं पैदा कम हुआ अस्तु अधिक वसूली हुई तो जिले में खाद्य संकट पैदा हो सकता है ? क्या खाद्य मंत्री कृपया जिले में गेहूं वसूली तुरन्त स्थगित करेंगे ? जोर जुल्म करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगी ? जो गेहूं अब तक वसूल किया गया है उसे जिले के बाहर न जाने दिया जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सरकार को ललितपुर जिले में गेहूं वसूली में जोर जुल्म करने की सूचना नहीं मिली । हां, गेहूं वसूली में इस जनपद में डी० आई० आर० । आवश्यक वस्तुयें अधिनियम के अधीन ६ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इनमें से ३ किसान हैं और शेष ३ किसान साहूकार हैं । इन ६ व्यक्तियों से संबंधित मामलों का विवरण जिलाधिकारी से मांगा गया है ।

खुले बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से ६-७-७४ से इस जनपद में सीधी खरीद बन्द करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

जिलाधिकारी को कर्मचारियों के विरुद्ध जोर जुल्म करने की जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं वह जांच के बाद निराधार पायी गयी हैं अतः उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार जो भी गेहूं सीधी खरीद एजेन्सियों द्वारा भी खरीदा जाता है वह केंद्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को दे दिया जाता है जिससे समय-समय पर प्रदेश को आवंटन प्राप्त होता है ।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे ३ किसान कौन-कौन हैं और उनसे कितना-कितना गेहूं लिया गया ? उनके पास कुछ खाने के लिये छोड़ा या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

गेहूं खरीद अभियान के विरुद्ध जिन ६ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी उनके नाम हैं--(१) भैयालाल, ग्राम व थाना बानपुर, (२) सूरतसिंह, ग्राम कोरबांध, (३) हीरालाल सिंघई, (५) हरिश्चन्द्र जैन, (५) रामलाल और (६) हरदास ।

श्री हिम्मत सिंह--

मैंने यह पूछा कि इन किसानों पर कितना गेहूं छोड़ दिया ? मेरी सूचना है कि उन पर एक दाना भी नहीं छोड़ा । सब छीन लिया ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं यह बता रही हूं । इन व्यक्तियों के पास उपलब्ध गेहूं की जो मात्रा थी--भैयालाल के पास ११ क्विंटल, सूरतसिंह के पास ३० क्विंटल, हीरालाल सिंघई के पास २० बोरा, हरिश्चन्द्र के पास ८ बोरा, रामलाल को १०० क्विंटल उपलब्धि का नोटिस दिया गया था, हरदास को १०० क्विंटल का नोटिस दिया गया था । गेहूं जो लिया गया भैयालाल से ११ क्विंटल, सूरतसिंह से ३० क्विंटल, हीरालाल सिंघई से २० बोरा, हरिश्चन्द्र से ८ बोरा । इसमें माननीय सदस्यों की नोटिस में मैं यह लाना चाहती हूं--यह जो भैयालाल हैं इनका मामला यह बताया गया कि यह खेती भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं और बिना लाइसेंस के यह काम करते हैं । उन्होंने क्या किया कि दूसरे लोगों के पास अपना गेहूं रख दिया था, जिनके यहां गेहूं निकला उन्होंने बयान में कहा कि हमारे पास इन लोगों ने रखा है । इस तरह से एफ० आई० आर० दर्ज की गयी और तब यह लोग पकड़े गये ।

श्री रघुनाथ सिंह--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस तरह से इन लोगों से कहा गया और इनको नोटिस दिया गया और दूसरे लोगों ने बयान दिया कि उनका गल्ला उनके घर रखा है । जिन लोगों ने इस तरह की बात कही अधिकारियों से या उनके बयान उन्होंने लिये क्या उन सब ने अदालत के अन्दर हलफिया बयान दिये हैं कि उनसे गलत बयान दबाव डाल कर लिया है ?

श्री अध्यक्ष--

क्या अदालत के विचाराधीन है ?

श्री रघनाथ सिंह--

हां, अदालत के अन्दर हलफिया बयान दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

तब इसमें कैसे हो सकता है ? अदालत का सवाल है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या उन्होंने ऐसी दरख्वास्त दी कि ऐसा बयान दिलवाया गया, यह अदालत के विचाराधीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

वह कह चुके हैं ।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सूरत सिंह कोरवांस के यहां एक भी दाना गल्ले का नहीं छोड़ा, उसके यहां से सब गल्ला ले आये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सूरत सिंह के सिलसिले में जो एफ० आई० आर० लिखायी गयी है वह इस प्रकार से है---तलाशी ली गयी तो उत्तरी घर में एक लोहे का ताला बन्द था जिसकी कुंजी सूरतसिंह के घर में तलाश कराने पर घर की औरतों ने बतलाया कि सूरत सिंह के पास है, जो बाहर

गये हैं । ताला तोड़ करके कमरे में तलाश करने पर भूसे के नीचे दबा हुआ २७ क्विंटल अवैध गेहूं छिपा हुआ पाया गया । इसके अलावा सूरत सिंह के घर में ४ क्विंटल गेहूं और मिला । सूरत सिंह ने अपने स्टाक की सूचना भी तहसील में नहीं दी है और नियम विरुद्ध गेहूं छिपा कर रखा है । अतएव गेहूं कब्जा में लेकर कार्यवाही की गयी । यह सब लिखा हुआ है ।

श्री हिम्मत सिंह--

उसके पास ३१ क्विंटल गेहूं थे उसमें से ३० क्विंटल गेहूं ले आये । पचास एकड़ का किसान है, कितना आपने छोड़ा देने के लिये और खाने के लिये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय जो गेहूं का सेल आर्डर है उसके हिसाब से स्पष्ट आदेश हैं कि अगर कहीं पर, जितनी आवश्यकता है किसान की, वह बचता है तो वह बाद में तय भी कर दिया जाता है । यह तो रजिस्टर्ड केस है । ये सारी चीजें तय भी हो सकती हैं, अगर नियम के अनुसार होगा तो ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको डी०आई०आर० में बन्द किया गया है और गेहूं की वसूली की गई, उन्होंने कितने एकड़ में खेती की थी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह तो डिटेल की बात है । जिलाधिकारी बाद में निर्णय करेंगे यदि कोई किसान एतराज करता है ।

श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह के ६/७ केसेज आये और इसके अलावा कुछ बड़े किसान काफी तादाद में छोड़ दिये गये हैं और ५० हजार क्विंटल के लक्ष्य में से कुल ३०/३५ हजार क्विंटल ही वसूल हुआ । इसलिये १/२ के किसानों से १/२ क्विंटल और २०/२० किलो वसूल करके लक्ष्य पूरा किया गया जिनकी शिकायतें आयीं तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

शासन की यह नीति रही है कि बड़े किसानों से वसूल किया जाय । जब शिकायत आई तो ६ जुलाई को एक रेडियोग्राम भेजा गया और उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि

Dehoarding operations in the form of present general drive will be discontinued. These will be confined to big farmers in respect of whom the D. Ms. are personally satisfied that substantial stock of wheat are still held.

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने यहां की जब भाषा हिन्दी हो गई है तो यह आदेश अंग्रेजी में क्यों भेजे गये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, मैं जानती नहीं । अगर हिन्दी में जा सकता है तो आइंदा ख्याल रखा जायेगा ।

देवरिया जनपद के सलेमपुर को लेवी मुक्त चावल के वहन के लिये प्रतिबन्ध

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

*२—श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा) तथा श्री हरि केवल—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के सलेमपुर नगर में चावल ले जाने पर वर्ष १९७४ में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे चावल के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हो गई है और इस समय बाजार से चावल गायब हो गया है? यदि हां, तो शासन इस संबंध में अविलम्ब क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अन्य ब्लाकों से सलेमपुर को लेवी मुक्त चावल के वहन के लिये परमिट केवल जिला मजिस्ट्रेट के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर ही दिये जायं इस प्रकार का प्रतिबन्ध १२ फरवरी, १९७४ को लगाया गया था । जिला मजिस्ट्रेट सलेमपुर के निवासियों की आवश्यकता देखते हुए आयात के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते हैं । पिछले महीनों की तुलना में सलेमपुर में जून के महीने में चावल के दामों में वृद्धि अवश्य हुई है परन्तु इस प्रकार की वृद्धि केवल सलेमपुर में ही नहीं अपितु अन्य स्थानों पर भी हुई है।

श्री हरिकेवल—

मान्यवर, देवरिया जिले के सलेमपुर नगर से बिहार का बार्डर केवल २५ किलोमीटर दूर है और इसके पूर्व में छोटी गंडक नदी बहती है जिस पर पुल नहीं है और लोग नाव द्वारा ही बिहार जाते हैं । इस समय चावल के दाम बेतहाशा बढ़ गये हैं । देवरिया में जिस भाव पर चावल बिकता है उस से २५ रुपये प्रति क्विंटल अधिक दाम देने पड़ते हैं जिससे वहां का जीवन दूभर हो गया है । इसलिये जो प्रतिबन्ध वहां लगाया गया क्या उसको मंत्री जी वापस लेने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिन्ता को तो मैं समझती हूं लेकिन कभी-कभी सरकार को कठोर कार्यवाही करनी पड़ती है और इस समय पूर्वी हिस्से में काफी तस्करी होती है । इसलिये यह कदम उठाया गया है और वर्तमान स्थिति में यह सम्भव नहीं होगा कि उसको उठाया जा सके ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मझोली को क्यों छोड़ दिया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसको देख लिया जायेगा । अगर जरूरत हुई तो इस पर भी लगा दिया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि उस निर्वाचन क्षेत्र में २६ फरवरी को चुनाव हुआ और १२ फरवरी को प्रतिबन्ध लगाया गया । यहीं पर श्री हरिकेवल प्रसाद का ग्राम है और यह प्रतिबन्ध विशुद्ध राजनैतिक है तो क्या इसे वापस कर लेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने जो आक्षेप किया है वह निराधार है । कोई ऐसा काम किसी

सदस्य की कांस्टीटुएंसी के लिये नहीं किया गया है यह तो जनरल है । अंग्रेजी में है आपकी आज्ञा से सुना रही हूं ——

However no objection certificate from respective Collectors shall be required for permitting movement of released rice to Salempur and Patti in Deoria district Chauri Chaura in Gorakpur District Chibaragaor and Bilthara Road in Ballia district Zamania in Ghazipur district and Saiyyadraza in Varanasi district to prevent smuggling.

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत अस्थायी पदों का स्थायीकरण

*१——श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोण्डा)——

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत कितने ऐसे अस्थायी पद रिक्त हैं जिन पर अब तक कर्मचारियों को स्थायी घोषित नहीं किया गया है और क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)——

उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत २,२०९ अस्थायी पद हैं । इनके स्थायीकरण के लिये जो कार्यवाही की जा रही है उसकी सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ५०९ पर)

श्री त्रिवेणी सहाय——

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९४ पद जो स्थायी कर दिये गये यह कितने दिनों से अस्थायी पड़े हुए थे और इनको स्थायी करने के आदेश कब हुए ? ९७४ कर्मचारी जो अस्थायी हैं इनको स्थायी करने पर कब तक विचार किया जायेगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी——

श्रीमन्, जो १९४ पद अस्थायी थे इनको पहली जनवरी, १९७४ से स्थायी किया गया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय——

१९४ किन-किन तारीखों में स्थायी हुए ?

श्री अध्यक्ष——

यह तो बड़ा भारी सवाल है।

श्री त्रिवेणी सहाय——

कब स्थायी किये जाने के आदेश हुए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी——

१ जनवरी, १९७४ को हुए । उसी के लगभग एक मास के अन्दर हुए होंगे।

उद्योग निदेशालय के मध्य क्षेत्र में अराजपत्रित पदों पर कर्मचारियों का स्थायीकरण

*२——श्री त्रिवेणी सहाय——

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय के मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत रिक्त स्थायी पदों पर जो दिनांक १ अप्रैल, १९६२ से ही रिक्त हैं उपर्युक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रकरण संयुक्त उद्योग निदेशक, म०क्षे०, लखनऊ द्वारा निस्तारित किया गया है। यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)--

उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में १-४-१९६२ से ३३ अराजपत्रित पद स्थायी घोषित किये गये थे । इनमें से २४ पदों पर कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है । शेष ९ पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६२ से आज तक इनके स्थायी न किये जाने का क्या कारण था ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, ऐसा है कि ये कर्मचारी उत्तर प्रदेश हैंडीक्रैफ्ट के कर्मचारी थे । हैंडीक्रैफ्ट अलग से सीधे उद्योग निदेशालय से डील किया जा रहा था और उनका विलीनीकरण २४-१२-६७ को हो गया। उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में १-४-६२ से ३३ अराजपत्रित पद स्थायी घोषित किये गये थे । इनमें से २४ पदों पर कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है । शेष ९ पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

तो शेष पदों के स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कुछ दफ्तरों के कर्मचारी रह गये थे जो ज्वाइंट डायरेक्टर मध्य क्षेत्र के थे, वहां पर जब नये ज्वाइंट डायरेक्टर आये तो पता लगा कि इसमें जो गलतियां हैं, उनको शुद्ध कर दिया जाय । इसलिये न्याय विभाग से राय मांगी जा रही है, राय आने पर उनको जल्द स्थायी कर दिया जायगा ।

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, जो ९ पदों का सवाल है, जो स्थायी होने से रह गये थे, उनको कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि न्याय विभाग से राय मांगी गई है, जैसे ही राय आ जायगी, उनको स्थायी कर दिया जायगा ।

श्री कल्याण सिंह--

जल्दी के माने मान्यवर, नौ साल ?

खादी ग्राम उद्योग द्वारा संचालित ग्रामीण-उद्योग इकाइयां

*३--चौधरी वीरेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित कितनी ग्रामीण उद्योग की इकाइयां हैं और उनमें से कितनी चालू हालत में हैं और इन इकाइयों को उनमें काम आने वाला कच्चा माल नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

उत्तर प्रदेश में इस समय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ५ १९६ ग्रामीण उद्योग की इकाइयां हैं जिनमें से ३,४५८ चालू हालत में हैं केवल कुटीर दियासलाई की इकाइयों को नियंत्रित मूल्य पर कच्चा माल दिया जाता है । शेष इकाइयां कच्चे माल की व्यवस्था स्वयं करती हैं ।

इन इकाइयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

स्वर्ण नियंत्रण से प्रभावित व्यक्तियों को नौकरियों में प्राप्त प्राथमिकता

*४--- चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण नियंत्रण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु प्रदत्त सुविधाओं के अन्तर्गत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में प्राथमिकता व उम्र में ५ वर्ष तथा टाइम की छूट दिये जाने संबंधी आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने इस प्रकार के लोगों को नौकरियां प्राथमिकता के आधार पर दी गईं । साथ ही साथ क्या सरकार को राज्य सड़क परिवहन विभाग कानपुर के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा शासनादेश संख्या ३६०५/ची-सी०-१८-६, का अनुपालन न किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री इस्तफा हुसैन---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, दो महीने हुए मैंने यह सवाल किया था । यह सवाल स्थगित हुआ था । अब जवाब यह है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । वह सूचना कहीं देहात से नहीं मंगाना है । वह सूचना लेखपाल से मंगाना है । उसमें सिर्फ यह है कि जो आर्डर निकला था उसका क्या पालन किया गया ? मैं अध्यक्ष महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट इस तरह से अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहे, तो क्या होना चाहिये ?

श्री इस्तफा हुसैन--

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है । अगर हमारे कार्यालय, सचिवालय में सूची होती तो अब तक जवाब दे दिया गया होता । ये सारी कार्यवाहियां जिलाधीशों से गाई मंगाई हैं । कुछ दूसरे विभाग की हैं, रोडवेज की, तो ये सब कागजात आ जायेंगे, उसमें समय लगने की बात है ।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, जिले के दफ्तर से आनी हैं सूचनायें, कोई फील्ड से नहीं आनी हैं और २ महीने पांच दिन हो गये, २४ मई का यह मेरा सवाल भेजा हुआ है । तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो यह सूचना मांगी है और उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया और अगर जवाब नहीं दिया तो आपने कोई इक्सप्लेनेशन वगैरह तलब किया ?

श्री इस्तफा हुसैन---

मान्यवर, जितनी कार्यवाही की जानी चाहिये थी, वह की गई है । अब समय लगता है ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, यह सूचना देने के लिये क्या जरूरत थी कि समय लगेगा ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे जिलों के जिलाधीशों से यह प्रश्न संबंधित है ? मैं आपसे साफ पूछना चाहता हूं कि किसी जिलाधीश ने पूरे प्रदेश के, किसी ने उत्तर दिया, एक ने,४ ने, किसी ने कोई उत्तर दिया ?

श्री इस्तफा हुसैन--

अभी तक तो नहीं आयी है लेकिन हम आदेश देंगे कि जल्द से जल्द आये ।

श्री ऊदल--

इस प्रश्न का जो आखिरी हिस्सा है जिसमें पूछा गया है कि क्या सरकार को सड़क परिवहन विभाग, कानपुर के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा शासनादेश संख्या ३६०५/ची-सी०-१८-६ का अनुपालन न किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, क्या इस बारे में कोई जांच हुई, इसमें कोई रिपोर्ट आयी है या नहीं ?

श्री इस्तफा हुसैन--

उनको पूछा जा चुका है लेकिन कोई उत्तर नहीं आया है । कानपुर से भी आदमी भेज कर मंगवायेंगे ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

यह शासन ही फेल हो चुका है । इस वजह से सरकार की ओर से जवाब नहीं आ रहे हैं । मंत्री जी का कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है । न जिला स्तर पर और न यहां भी ?

दिनांक २९ जुलाई, १९७४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

बदायूं में आवंटित चीनी का कोटा

*१--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में शादी व्याह के लिये गत मार्च, अप्रैल, मई और जून के लिये लेवी चीनी का कितना कोटा आवंटन किया गया और इसमें से कितना-कितना कोटा प्रत्येक ब्लाक एवं नगर क्षेत्र को आवंटित किया गया और किस आधार पर और इसके परमिट किसके द्वारा काटे गये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जनपद बदायूं को मार्च, अप्रैल, मई व जून, १९७४ की अवधि में १,००० क्वींटल चीनी का तदर्थ कोटा आवंटित किया गया। प्रश्नगत अवधि में प्रत्येक ब्लाक एवं नगर क्षेत्र को जिलास्तर पर विवाह हेतु आवंटित चीनी के कोटे की मात्रा का विवरण संलग्न है । कोटे का स्थानीय आवंटन मोटे तौर पर संबंधित अधिकारियों की संस्तुति, क्षेत्रकी जन-संख्या तथा चीनी की उपलब्धता देखते हुए किया गया था । विवाह हेतु चीनी के परमिट ब्लाक स्तर पर खंड विकास अधिकारियों तथा नगर क्षेत्रों में तहसीलदार, जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१० पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि १,००० क्विंटल चीनी का आवंटन किया गया । १,००० क्विंटल तो सरकार से मिला था लेकिन दिया गया १,११८ क्विंटल । जब सरकार के पास इतनी मात्रा में चीनी थी ही नहीं तो ११८ क्विंटल चीनी और कहां से आवंटित की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह तो आवश्यकता पर है । यदि ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है तो जिलाधिकारी स्वयं प्रबन्ध कर लेते हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

इन तीन महीनों में वाकई में प्रत्येक ब्लाक में कितनी शुगर का वितरण किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

विवाह शादियों के लिये परमिटों पर जो चीनी दी गयी अलग-अलग ब्लाकवाइज उसकी मात्रा इस प्रकार से है :---

	क्विंटल में
विकास खंड उझानी में मार्च में १३, अप्रैल में ५, मई में ३० और जून में २० क्विंटल कुल	६८
विकास खंड विसौली	५५
विकास खंड वजीरगंज	५०
विकास खंड आसफपुर	४५
विकास खंड जून मई	४५

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

आपने परमिटों पर कितना वाकई आवंटन किया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वही तो बता रही हूं। गुन्नौर में ४५ क्विंटल, दातागंज में ४५ क्विंटल, इस्लाम नगर में ४० क्विंटल, जगत में ३५ क्विंटल, बिनावर में ३५ क्विंटल, कादर चौक में ३० क्विंटल, अम्बियापुर में ३० क्विंटल, म्याऊ में ३० क्विंटल, सहसवान में ३० क्विंटल, रजपुरा में ३० क्विंटल और दहगवां विकास खंड में २५ क्विंटल।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

श्रीमन्, सवाल कुछ है और जवाब कुछ है। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो सूची पढ़ी गयी यह तो आवंटन की गयी वह मिकदार है, तो मैं जानना चाहूंगा कि जितनी उसमें वितरित हुई वह कितनी थी, पूरी हुई या नहीं हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मेरे पास जो सूचना है उसमें लिखा है कि "शादी-विवाह के वास्ते परमिट में दी गयी मात्रा" इससे माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि यह परमिटों पर दी हुई मात्रा है, आवंटन की दूसरी सूची है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस बात को देखते हुए कि देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विशेष कर बदायूं जिले की तो वहां शादी-विवाह न हों, ऐसे आर्डर जारी करेंगे कि वहां २ साल के लिये कोई चीनी वगैरह न दी जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इसका आश्वासन तो असरार साहब दे सकते हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद-- हंसी

आपने सूची दी है आवंटन की, लेकिन वाक कितनी इस जमाने में तकसीम हुई उसकी सूची अगर यह है तो मेरी जानकारी में वह गलत है, इसकी जानकारी करायेंगे कि वह सूची गलत है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अगर मुझे लिख कर देंगे और यह सूचना गलत पायी गयी तो मैं जरूर जांच करूंगी।

अनाज की प्रोक्योरमेन्ट प्राइस का निर्धारण

*२—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय सरकार ने खरीफ सन् १९७४–७५ के लिये अनाज की प्रोक्योरमेन्ट प्राइस तुरन्त निर्धारित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है और क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा अन्य प्रदेशों के मंत्रियों की कोई मीटिंग दिल्ली में हुई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय लिये गये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, किन्तु अभी इस सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये कोई मीटिंग दिल्ली में नहीं हुई है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

इस संबंध में सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या चिट्ठी लिखी है कीमतों के निर्धारित करने के सिलसिले में ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हमारे खाद्य सचिव की तरफ से चिट्ठी लिखी गयी कि खरीद की नीति के संबंध में दिल्ली को और हम लोगों में इस पर विचार हो रहा है । ५ अगस्त को दिल्ली में इस सिलसिले में मीटिंग होगी, अधिकारियों के स्तर पर पहले, फिर उसमें पूरे तौर से प्रदेश की सरकार अपनी राय देगी ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या चिट्ठी लिखी गयी है वह हमें बताया जाय ताकि हमें मालूम हो कि क्या प्रदेश के लिये सजेस्ट किया गया है, क्या डिसाइड किया गया है, वह सदन को मालूम होना चाहिये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी विचार-विमर्श हो रहा है, अभी निश्चित आधार पर हम नहीं पहुंचे हैं, निश्चित आंकड़े पर नहीं पहुंचे हैं ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या भारत सरकार को धान की कीमत निर्धारित करने के लिये यहां पर मंत्रिमंडल स्तर पर या खाद्य मंत्रालय के खाद्य सचिव या खाद्य मंत्री के बीच में कोई परामर्श हुआ है या आपका सोच-विचार चलता रहेगा और केन्द्रीय सरकार जो चाहे वह तय करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

हम विचार कर रहे हैं और एग्रीकल्चर विभाग के साथ भी बात-चीत करके उसके बाद जैसा कि नियम है हमारी पूरी कैबिनेट इस पर विचार करती है, तब फिर फैसला लिया जाता है । अभी उस पर कैबिनेट ने, और हमने फैसला नहीं लिया है,लेकिन अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के बीच में विभागीय स्तर पर बात-चीत हो रही है, फिर मंत्रिमंडल के सामने तजवीज आयेगी, फिर भारत सरकार को हम अपनी संस्तुति भेजेंगे ।

श्री हिम्मत सिंह—

खरीफ और रबी की फसलों के मूल्य के विषय में प्रदेश को बोने से पूर्व जानकारी दिया करें, ऐसी व्यवस्था मंत्री जी करेंगे और केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे कि इनका मूल्य फसल बोने से पूर्व ही निर्धारित कर दिया करें ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

हमारी तरफ से केन्द्रीय सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया जा चुका है और जैसी कि जानकारी हुई, वह विचार कर रहे हैं और पूरी राय करके जल्दी ही इसकी घोषणा भी हो जायगी ।

श्री रामसेवक यादव--

मंत्री जी ने कहा कि हमारे सचिव ने लिखा था । फिर यह प्रश्न उठा कि क्या आपके मंत्रालय ने दाम के बारे में कोई निर्णय लिया। तो अगर खाद्य मंत्री जी ने कोई चिट्ठी लिखा या कोई सुझाव दिया तो वह पढ़ कर सुना दें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

२० जून १९७४ को जो दिल्ली में खाद्य मंत्रियों की मीटिंग हुई थी उसमें जितने सरप्लस स्टेट्स के मंत्री थे हम सब ने केंद्रीय सरकार के खाद्य मंत्री से कहा था कि खरीफ की फसल अगर समय रहते तय कर दी जाय तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उसके बाद ही हमने यहां से एक पत्र भी भिजवाया था कि २० जून, ७४ को उच्चतर कमेटी की बैठक में गेहूं की खरीद की नयी नीति के कार्यान्वयन एवं उसके समन्वय पर विचार के बाद हमारी तरफ से यह तय हुआ था कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से आग्रह किया गया कि ७४-७५ की खरीफ के लिये भी अंतिम रूप से उसको निर्धारित कर दिया जाय और अच्छा हो कि जुलाई सोइंग सीजन के पहले तक लक्ष्य भी कुछ निर्धारित कर दिया जाय और क्या हमारी सपोर्ट प्राइस होगी ? लेकिन क्या हो यह तो सब लोग मिल कर तय करेंगे । हमारे स्तर पर और ऐग्रीकल्चर के जो अधिकारी हैं उनके बीच में जो एक्सपर्ट राय हो सकती है अभी उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री महोदया पिछले एक महीने में कई मर्तबा दिल्ली गयीं और भारत सरकार के मंत्रियों से उनकी बातचीत हुई?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जैसा मैंने अभी कहा अभी तो राज्य स्तर पर ही हम लोग विचार-विमर्श कर रहे हैं ।

*३--श्री वीरेंन्द्र वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*४--श्री मुहम्मद मसूद खां--

[९वें सोमवार के लिये स्थगित]

पूर्ति विभाग बाराबंकी में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतें

*५--श्री रामसेवक यादव--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी पूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कोई शिकायत शासन को मिली थी और शासन ने उसकी जांच अभी जल्दी मार्च, अप्रैल, १९७४ में करायी है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं ? और भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के जिन आरोपों की जांच हुई किस अवधि के हैं तथा जांच का क्या परिणाम निकला ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां । शिकायतें बनस्पति, मिट्टी का तेल, चीनी तथा सीमेंट के वितरण तथा लाइसेंसों को देने में की गयीं अनियमितताओं के संबंध में थीं । अनियमितताओं के साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी तथा कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप भी थे । भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोपों, जिनकी जांच अप्रैल, मई, १९७४ में की गयी १ अक्तूबर, १९७३ से ३१ मार्च, १९७४ तक की अवधि के हैं । जांच के फलस्वरूप शिकायतों में काफी सत्यता पायी गयी। संबंधित व्यापारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध तात्कालिक कार्यवाही की गयी ।

श्री राम सेवक यादव--

मंत्री महोदया ने कहा कि अनियमितताओं की शिकायत थी और वह पायी गयीं । तो कौन सी अनियमिततायें पायी गयीं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जांच के फलस्वरूप जो अनियमिततायें सामने आयीं वह यह कि वनस्पति के मामले में बाराबंकी में जिलाधिकारी ने शासन के आदेशानुसार ७० प्रतिशत वनस्पति आरक्षित किये जाने का आदेश किया था । वनस्पति के इस अनुपात को सामान्य उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर वितरण करना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं किया गया था । एक तो यह बात सामने आयी थी ।

इसके अतिरिक्त पूर्ति कार्यालय में बनस्पति आयात का कोई रजिस्टर नहीं रखा गया इसका भी कोई पता नहीं चला कि कितना बनस्पति प्राप्त हुआ और उसमें से कितना आरक्षित कर दुकानों पर बांट दिया गया । कोटे के वितरण के लिये कोई सामान्य नीति नहीं अपनायी गयी बल्कि मनमाने ढंग से जब जैसा समझा गया आदेश कर दिये । कितना प्रतिशत परमिटों से बांटा गया और कितना राशन कार्ड पर, इसका भी हिसाब नहीं था तथा जो नीति अपनायी गयी थी इस सिलसिले में वह गलत थी । ऐसी कोई सामान्य नीति नहीं अपनायी गयी कि कोटे से कितना प्रतिशत परमिटों पर बटवाया जाय और कितना राशन कार्ड पर । यह भी तथ्य सामने आया कि मिश्रा बनस्पति स्टोर्स, अपोलो टैक्स-टाइल्स, कन्हैयालाल ओमहरी, रुदौली तथा रामचरन राम नाथ के स्टाक रजिस्टरों को देखने से पता चला कि कुल आयात का जो भाग राशन कार्डों पर सस्ते गल्ले की दुकानों व फुटकर दुकानों के माध्यम से बटवाया गया वह ७० प्रतिशत से कम है। सुरेन्द्र स्टोर्स नामक फुटकर बिक्रेता के रजिस्टर देखने से यह विदित हुआ कि उनके द्वारा आरक्षित कोटे में से जो कोटा प्राप्त किया उसमें से कुछ तो परमिटों पर बेचा गया कुछ को परमिट पर बेचा दिखाया गया, परन्तु परमिट का विवरण नहीं दिया गया, कुछ के संबंध में बिक्री बिना परमिट के कर दी गयी ।

इस प्रकार की अनियमिततायें थीं । यह लम्बी रिपोर्ट है । जांच से शिकायत की पुष्टि हुई कि जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्रों पर बिना जांच के बनस्पति दिये जाने के आदेश हैं ।

एक यह है कि श्री चन्दन लाल सुशील कुमार का थोक लाइसेंस २२-१०-७३ को जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया और उनके लाइसेंस के निलम्बन के बाद भी उनके इस आश्वासन पर कि फुटकर लाइसेंसी को माल देते रहेंगे, लाइसेंस दे दिये गये जबकि लाइसेंस निलम्बन के बाद चन्दन लाल सुशील कुमार द्वारा माल देने का प्रश्न नहीं उठता था ।

मान्यवर, बनस्पति के वितरण में की गयी अनियमितताओं के दंड स्वरूप निम्नलिखित का लाइसेंस निरस्त किया गया, तीन थोक व्यापारी हैं—मेसर्स अपोलो टेक्सटाइल, बाराबंकी, मेर्सस बनस्पति स्टोर, मेसर्स रामचरन रामनाथ। ६ फुटकर व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त किये गये, मेसर्स अनिल स्टोर, सुरेन्द्र स्टोर, जगन्नाथ रामचन्द्र,लाला कृष्णकुमार बहाजुल हक, टेंडन ट्रेडर्स, मुन्ने जैदपुर।

इसी प्रकार मिट्टी के तेल में भी कई अनियमिततायें पायी गयीं। ६ माह की अवधि में जिला पूर्ति अधिकारी ने ३७० लाइसेंस दिये।

मान्यवर, यह रिपोर्ट बहुत लम्बी है, पूरी पढ़ने में बहुत समय लग जायेगा। माननीय सदस्य जानना चाहें तो देख सकते हैं।

श्री रामसेवक यादव—

मेसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स, बाराबंकी के खिलाफ क्या शिकायतें थीं और जांच के फलस्वरूप क्या पाया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, बालकृष्ण पोद्दार मिट्टी के तेल के थोक लाइसेंसी हैं। कुछ माह पूर्व शासन ने यह आदेश दिये थे कि मिट्टी के तेल को पेट्रोल पम्पों पर बिकवाने की व्यवस्था की जाय और इसके लिये पेट्रोल पम्पों के नाम मिट्टी के तेल का लाइसेंस दे दिया गया। बालकृष्ण पोद्दार के नाम पेट्रोल पम्प नहीं था और केवल मिट्टी के तेल का थोक व फुटकर व्यापार करते हैं। बिना किसी पेट्रोल पम्प के उनको एक फुटकर लाइसेंस दिया गया। इस लाइसेंस पर मिट्टी का तेल प्राप्त कर और इन्होंने सारे का सारा अपने यहां फुटकर रूप में बेचा। बिक्री फर्जी खरीद वालों के नाम दिखाई गयी। इस प्रकार थोक बिक्रेताओं की हैसियत से तो तेल प्राप्त किया उसका २० प्रतिशत अपने पुराने फुटकर लाइसेंस पर बेचा। तेल की यह भी मात्रा नियमित रूप से बेची गयी वरन् इसकी चोरबाजारी की गयी।

रह गयी स्वास्तिक ट्रेडर्स के बारे में, तो उनका लाइसेंस भी निलंबित किया गया तेल संबंधी अनियमितताओं के कारण। इसी प्रकार और थोक तथा फुटकर व्यापारियों तथा बिक्रताओं के लाइसेंस निलंबित किये गये।

श्री राम सेवक यादव—

क्या मंत्री महोदया को जानकारी है कि जिनके लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, क्या फिर उनके द्वारा तेल, डालडा आदि का वितरण कराया जा रहा है ? और यह लोग जिनके खिलाफ मकदमें कायम हुए थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुयी है और क्या कोई गिरफ्तार हुआ है?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, जिनके खिलाफ शिकायत है, उनके द्वारा फिर वितरण कराया जा रहा है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं जानकारी करूंगी।

एक सदस्य—

क्या मंत्री महोदया बतलाने का कष्ट करेंगी कि शिकायत के संबंध में कनिष्ठ प्रमुख दुखरन ने कोई पत्र दिया था और उस आधार पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या यह

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[एक सदस्या]

सही है कि असलियत को छिपाया जा रहा है । तो जो शिकायती पत्र कनिष्ठ, प्रमुख ने दिया था क्या उसको पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

पत्र को पढ़कर सुनाने का वक्त नहीं है ।

(तुरन्त बाद)

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, इस पर आधे घंटे की चर्चा का समय मिलना चाहिये ।

(उत्तर नहीं दिया गया।)

*६--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

(९वें सोमवार के लिये स्थगित)

*७--श्री गिरिजा शंकर पाठक, श्री रामरति बिन्द, श्री कैलाश सिंह तथा श्री रामजी सिंह--

[९वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कोआपरेटिव सेन्टर, हैसर बाजार जिला बस्ती में गेहूं देने वालों को बालू मिला सीमेन्ट का दिया जाना

*८--श्री भीषम (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हैसर बाजार, तहसील खलीलाबाद, जनपद बस्ती में कोआपरेटिव सेंटर, हैसर बाजार पर गेहूं वसूली के समय जून सन्, १९७४ में गेहूं देने वालों को बालू मिला सीमेंट दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी किन्तु जिला स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

लेखाधिकारियों के कैडर निर्माण के संबंध में निर्णय

*९--श्री श्याम मिश्रा--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार द्वारा १९७१ में समस्त विभागों में लेखाधिकारियों का एक कैडर बनाने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां, सरकार द्वारा १९७० में इस प्रकार का निर्णय लिया गया था ।

इस संबंध में शासन के विभागाध्यक्षों तथा सभी विभागों से सूचना एकत्रित की गयी तथा इसका संकलन करके नियमावली का आलेख्य प्रस्तुत किया गया । इस आलेख्य का विस्तृत परीक्षण नियुक्ति विभाग में गठित सेवा नियमावली सेल में वित्त, नियुक्ति तथा न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया । इस कार्य में गति लाने के लिये ७ जुलाई, १९७३ को एक विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति की गयी और उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति (सेवा नियमावली सेल) अनुभाग से निम्नलिखित दो आलेख्य निय-

मावलियां स्वीकृत करायीं—

(१) उ० प्र० वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली ।

(२) उ० प्र० लेखाधिकारी (नवीन सेवा का सृजन तथा पदों का एकीकरण) नियमावली ।

ये दोनों आलेख्य लोक सेवा आयोग को भेज दिये गये हैं और उनपर आयोग के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित सचिवालय स्थित सरकारी दूकान की बिक्री

*१०—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित सचिवालय स्थित सरकारी दूकान पर गत १-१-७४ से १५-५-७४ तक विभिन्न माल उपलब्ध न होने के कारण बिक्री गिरते-गिरते लगभग शून्य हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं ।

१ जनवरी, १९७४ से १५ मई, १९७४ तक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित सचिवालय स्थित सरकारी दूकान पर निम्नलिखित धनराशियों की बिक्री हुई :

क्रम-संख्या	अवधि	कुल बिक्री की धनराशि
		रु०
१	जनवरी, १९७४	८४,३०४.८५
२	फरवरी, १९७४	२,२८,१५५.६४
३	मार्च, १९७४	२,२४,८४०.०८
४	अप्रैल, १९७४	७१,५६८.७३
५	१ मई, १९७४ से १५ मई, १९७४ तक	८,४० ४.९६
	कुल योग ..	६,१७,२७४.२६

फरवरी तथा मार्च, १९७४ की तुलना में अप्रैल तथा मई, १९७४ में बिक्री क्रम होने का मुख्य कारण निगम को बनस्पति घी का उपलब्ध न होना था ।

नैनीताल स्थित किसी प्राइवेट संस्था को कथित टिन का परमिट दिया जाना

*११—श्री इन्द्र लाल—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में विगत मास में किसी एक प्राइवेट संस्था को ८ टन टिन का परमिट दिया गया था ? यदि हां, तो संस्था का नाम क्या है और इतना टिन एक साथ दिये जाने का आधार क्या था ?

श्री इस्तफा हुसैन—

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छिबरामऊ नगर जिला फर्रुखाबाद की राशन की दुकानों का निलम्बन

*१२—श्री अनवार जमील (जिला फर्रूखाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि छबरामऊ नगर फर्रूखाबाद म अनकों सरकारी राशन की दूकानें पिछले साल भर से निलम्बित पड़ी हुई हैं और उनके स्थान पर अभी तक जनता की प्रबल मांग के बावजूद अन्य एलाटमेंट नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

छिबरामऊ नगर जिला फर्रुखाबाद की छै सस्ते गल्ले की दूकानों में से केवल एक पूर्वी क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा संचालित दूकान दिनांक ३० जनवरी, १९७३ को निलम्बित की गयी थी ।

दूकान के संचालकों के विरुद्ध दूकान की सबलैटिंग की शिकायत थी जोकि जांचोपरान्त निराधार पाई गई । दूकान के संचालक द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण १९ जुलाई, १९७४ को दूकान निरस्त कर दी गयी है । शीघ्र ही इस दूकान के स्थान पर नई नियुक्ति कर दी जायगी ।

तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर के सीमेन्ट व चीनी के कोटेदारों के विरुद्ध कथित शिकायत

*१३—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील बांसगांव की न्याय पंचायत दुबौली लेडु आबारी के विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधानों का एक शिकायती पत्र हाल ही में मुख्य मंत्री के नाम प्राप्त हुआ है जिसमें चीनी तथा सीमेंट के कोटेदारों के विरुद्ध ब्लैक मार्केट करने तथा एक ही परिवार में कई प्रकार के कोटे विभिन्न नामों से लिये जाने संबंधी शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कथित शिकायती-पत्र खाद्य विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

*१४—श्री राम मूर्ति—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

*१५—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[९वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पूर्ति अधिकारी हरदोई को कथित डालडा से भरी ट्रक के उलटने की सूचना

*१६—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एक नवम्बर, १९७३ से फरवरी, १९७४ के बीच ऐसी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी हरदोई को मिली है कि एक ट्रक जिस पर डालडा कानपुर से संडीला लाया जा रहा था, कोटेदार द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि ट्रक रास्ते में उलट गया जिससे सब डालडा गिर कर बरबाद हो गया ? यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं । इस प्रकार की कोई सूचना जिलापूर्ति अधिकारी हरदोई को नहीं मिली ।

जिला बांदा के ग्रामों में सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा गेहूं व चावल का वितरण न होना

*१७—श्री चन्द्रभान आजाद (जिला बांदा)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के ग्राम तरहटी कालीजर, बहादुरपुर, कालीजर गिरधरपुर, कटरा कालीजर, सौताकालीजर रानीपुर, भारतपुर, मसौली, लालपुर, पूरनीया कोद-पहाड़ी आदि ग्राम जो मध्य प्रदेश सीमा से सटा हुआ है ग्रामीण जनता को चावल गेहूं देने की सरकारी व्यवस्था क्या है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्न में कहे गये ग्रामों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से गेहूं चावल के वितरण की व्यवस्था नहीं है क्योंकि प्रदेश के मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त प्रकार की व्यवस्था इस समय लागू नहीं है ।

*१८—श्री इन्द्रपाल सिंह—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

अलीगढ़ नगर में कोयले का वितरण

*१९—श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगर में विवरण हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को कितना कोयला मार्च एवं अप्रैल, १९७४ में प्राप्त हुआ ? क्या इसमें से कुछ लाइसेन्स प्राप्त डीलरों के अतिरिक्त भी कुछ व्यक्तियों को दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस को ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अलीगढ़ जनपद में मार्च, १९७४ में वितरण हेतु साफ्ट कोक का कोई कोटा प्राप्त नहीं हुआ। माह अप्रैल, १९७४ में साफ्ट कोक की एक रेक, जिसमें ६८ फोर व्हीलर थे, प्राप्त हुई । इस रेक के कोयले का वितरण केवल जिले के लाइसेंस प्राप्त डीलर्स में किया गया। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास लाइसेन्स नहीं था कोयला नहीं दिया गया ।

बाराबंकी जनपद में मिट्टी के तेल का वितरण न होना

*२०—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि बराबंकी जनपद में पिछले २ माह से देहात व शहर दोनों स्थानों पर मिट्टी के तेल का वितरण नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

केवल माह मई, १९७४ में बाराबंकी जनपद में मिट्टी के तेल का वितरण नहीं किया जा सका क्योंकि ।

(१) बाराबंकी जनपद के मिट्टी तेल के थोक व फुटकर बिक्रेताओं की विस्तृत पमाने पर जांच की गई ।

(२) तीन थोक तथा ३१ फुटकर विक्रेताओं के लाइसेन्स निलंबित किए गए तथा २८ २ फुटकर विक्रताओं के लाइसेन्स निरस्त किये गये ।

(३) जिला पूर्ति कार्यालय के अभिलेखों की जांच भी विस्तार से की गई जिसके परिणाम स्वरूप जिला पूर्ति अधिकारी को सेवा निवृत्त कर दिया गया, चार अस्थाई पूर्ति निरीक्षकों तथा एक अस्थाई लिपिक की सेवाएं समाप्त की गईं और एक पूर्ति निरीक्षक को निलम्बित किया गया। जांच के दौरान मिट्टी के तेल का वितरण सम्भव नहीं हो सका ।

रेन्ट कंट्रोल आफिसर, कानपुर की बीबी के नाम मकान का एलाटमेन्ट

*२१—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मकान नं० १५/२६, सिविल लाइन्स, कानपुर का एलाटमेंट जिला मजिस्ट्रेट कानपुर द्वारा रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर की बीबी के नाम क्यों किया गया जबकि अन्य सरकारी अफसरों के प्रार्थना-पत्र इस मकान के एलाटमेंट के लिये प्राप्त हुये ? साथ ही साथ रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर की बीबी को अपनी निजी आमदनी नहीं है और वह अपने पति के साथ ही रहती हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

विवादित आवंटन का मामला जिला जज के न्यायालय मे विचाराधीन है ।

जनपद मुरादाबाद में सड़कें पक्की करने की योजना

*२२—श्री ख्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७१–७२, १९७२–७३ में जनपद मुरादाबाद में कौन-कौन से कच्चे मार्ग पक्के करने की योजना के अन्तर्गत लिये गये थे और इस समय तक उनके निर्माण में कितनी कितनी प्रगति हुई है ? क्या यह सही है कि ठेकेदारों से मिट्टी का काम पूरा कराने से पहले पक्का करने का सामान (पत्थर व कंक्रीट आदि) डलवा दिया गया है और उस सामान के मूल्य का भुगतान भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वित्तीय वर्ष १९७१–७२ व १९७२–७३ में जनपद मुरादाबाद में कच्चे मार्ग पक्के कराने की योजना से सम्बन्धित वर्ष-वार सूची एवं निर्माण-कार्य की प्रगति संलग्न है ।

यह सही नहीं है कि ठेकेदारों को मिट्टी का कार्य पूर्ण करने के पूर्व सड़क पक्का कराने से सम्बन्धित सामान (पत्थर व कंक्रीट आदि) डलवा दिया गया है या मूल्य का भुगतान कर दिया गया हो ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५११–५१३ पर)

गन्ना विकास परिषदों का पुनर्गठन

*२३—श्री ख्याली राम शास्त्री—

क्या मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की गन्ना विकास परिषदों का पुनर्गठन शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने की कब तक सम्भावना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । प्रदेश की गन्ना विकास परिषदों के पुनर्गठन की कार्यवाही शीघ्र ही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल कोलापरेटिव प्रोसेसिंग मिल्स

*२४—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव ऐसोसिएशन लिमिटेड की संडीला वीविंग प्रोसेसिंग मिल काफी समय से बन्द पड़ी है और इसे बेचने के प्रयास भी विफल हो गये तो क्या उसे किराये पर देने का विचार सरकार कर रही अथवा नहीं ?

श्री इस्तफा हुसैन—

उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव प्रोसेसिंग मिल्स की मशीनों को बेचने हेतु आदेश दे दिये गये हैं । अतः उक्त फैक्ट्री को किराये पर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

लखीमपुर नगर की सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरित आटे के संबंध में शिकायतें

*२५—श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखीमपुर नगर में सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से जो आटा बांटा जा रहा है उसमें कीड़े मिले हैं तथा आटा सड़ा हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लखीमपुर नगर में सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से जो आटा वितरित किया गया था उसमें कीड़े नहीं मिले और न वह आटा सड़ा व हानिकारक ही था ।

*२६—श्री मन्ना लाल—

क्या खाद्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि प्रश्न (२५) में उल्लिखित मामले की शिकायत जब जिला पूर्ति अधिकारी से स्थानीय जनसंघ नेताओं ने २६ जून, १९७४ को की तब बजाय सुधार का आश्वासन देने के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की गयी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत मामले की शिकायत जब जिलापूर्ति अधिकारी से जनसंघ के नेताओं ने २६ जून, १९७४ को की तो जिला पूर्ति अधिकारी ने आटे की स्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए निवेदन किया कि यदि वास्तव में किसी दूकान पर कीटाणयुक्त आटा बचा जा रहा है तो उसके बारे में लिखित रूप से दें ताकि सील्ड सेम्पुल प्राप्त करके अग्रिम कार्यवाही की जा सके । शिकायत कर्ता यह नहीं कर सके और जिला अधिकारी से २९ जून, १९७४ को मिले और इस सम्बन्ध में शिकायती-पत्र दिया । इसके आधार पर उस मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य के माध्यम से नगर के समस्त दूकानों के यहां से सील्ड सैम्पुल भरवा कर आटा की जांच करायी गयी और आटा खाने योग्य पाया गया । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला पूर्ति अधिकारी ने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया और न शिकायत कर्ताओं ने किसी अभद्र व्यवहार की शिकायत जिला अधिकारी से की । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

लखीमपुर व बरेली में सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरित आटा

*२७—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) तथा श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९७४ से द्वितीय पखवाड़े में जो आटा राशन की दूकानों से बरेली तथा लखीमपुर में बांटा गया वह जिला में वितरण हेतु कब पंहुचा ? यह आटा किस मिल से तथा कब खरीदा गया था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कथित अवधि में राशन की दूकानों से बरेली में आटा नहीं बांटा गया ।

लखीमपुर खीरी में प्रश्नगत आटा मई ६,७ तथा १५, १९७४ को प्राप्त हुआ था । यह आटा हरक चन्द्र फ्लोर मिल सीतापुर से उपरोक्त तिथियों में ही खरीदा गया था ।

*२८—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[९वें सोमवार के लिये स्थगित]

परगनाधीश, बदायूं द्वारा विकास खण्ड सहसवान के ग्राम रियोनाई में छापा

*२९—श्री सोहन लाल (जिला बदायूं) तथा श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के सहसवान तहसील के परगनाधीश ने जून, १९७४ में विकास खंड सहसवान के ग्राम लौनाई के किन-किन दुकानदारों के यहां छापा मार कर डीजल, मिट्टी का तेल तथा खाद बरामद किया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिला बदायूं के सहसवान तहसील के परगनाधीश ने दिनांक ५ जून, १९७४ को विकास खंड सहवान के ग्राम रियोनाई में लाला मदन लाल व लाला श्रीराम के यहां छापा मारकर डीजल मिट्टी का तेल, क्रूड आयल, पेट्रोल, खाद तथा सीमेन्ट बरामद किया । उनके विरुद्ध मुकदमें दायर किये गये हैं । पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

*३०—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

(९वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या, ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

एच० आर० शुगर फैक्ट्री बरेली पर बकाया गन्ना मूल्य

*३१—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली की एच०आर०शुगर फैक्ट्री पर चालू पिराई सीजन से पहले की गन्ने की कीमत का लाखों रुपया किसानों की बकाया है ? यदि हां, तो कितना और बकाया दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चालू पिराई सीजन १९७३–७४ से पहले का एच०आर०शुगर फैक्ट्री बरेली पर ३० जून, १९७४ तक गन्ना मूल्य का रु० १२.१८ लाख अवशेष था । उक्त बकाया की वसूली के लिये विभिन्न सीजनों में समय-समय पर वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये तथा वसूली हेतु रिसीवर भी नियुक्त किया गया जिसके विरोध में उक्त चीनी मिल ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या २१४८/७० दायर कर दी तथा एक अन्य याचिका संख्या ६१९३/७१ दायर की गयी है जो अभी चल रही है । रिसीवर को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हटा लेना पड़ा ।

आजमगढ़ की घोसी तहसील में प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल खोलने का लाइसेंस

*३२—श्री राम सुन्दर पांडे (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में कोईसहकारिता के आधार पर शुगर मिल खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार ने लाइसेंस प्रदान किया है ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार उक्त दिशा में कौन-सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जी हां। उक्त प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल की स्थापना से सम्बन्धित क्षेत्र से अंश-पूंजी एकत्रीकरण कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित चीनी मिल राष्ट्रीयकरण कमीशन की रिपोर्ट

*३३---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण कमीशन की रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिये सरकार के पास भेजा है और इसी सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त एवं अन्य कुछ संस्थाओं एवं व्यक्तियों की रिपोर्ट भी १९७३ में सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

सरकार ने श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है। प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की इस सरकार की पहले से ही घोषित नीति है और सरकार ने इस नीति को कार्यान्वित किये जाने से सम्बन्धित अपने प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रखे हैं। उस पर निर्णय प्राप्त करने का प्रयास जारी है।

प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने के सम्बन्ध में उपरोक्त समिति की रिपोर्ट के अतिरिक्त गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश अथवा अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से कोई रिपोर्ट १९७३ में सरकार को नहीं प्राप्त हुई।

बहराइच नगर में मैदे के कोटे का निरस्त होना और फर्जी मैदे के कोटेदारों के विरुद्ध मुकदमा

*३४---श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १२ जून, १९७४ को बहराइच नगर के समस्त कोटे से मैदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मैदे के कोटे रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां, मैदा वितरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के पास कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिस पर उन्होंने मैदा वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिये दिनांक ७ जून, १९७४ को आदेश जारी किये थे जिस पर जिले के समस्त विस्कुट व डबलरोटी निर्माता, हलवाई, होटल वालों के कोटे पुर्ननिरीक्षण हेतु रद्द कर दिये गये थे। मैदे के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर मांगे गये जिस पर जांच की जा चुकी है और कोटे पुनः निर्धारित भी कर दिये जा चुके हैं।

*३५---श्री गजाधर प्रसाद आर्य---

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी, बहराइच को मई, १९७४ में मैदा का कोटा प्राप्त करने वाले (बहराइच नगर में) किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त कोटे का दुरुपयोग करने की शिकायत मिली ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आया एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माह मई, १९७४ में मैदा का कोटा प्राप्त करने वालों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। दिनांक ४ जून, १९७४ को श्री छोटे लाल ने एक मांग पत्र जिलाधिकारी बहराइच को

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

दिया था जिसमें लिखा कि बैंकर्स का कार्य करने वालों को आवश्यकता भर मैदा नहीं मिल पाता है । यह भी मांग की कि इसकी जांच करके मैदा के फर्जी लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निरस्त किया जाय तथा उन्हें दंडित किया जाय । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बहराइच ने अपने आदेश दिनांक ७ जून, १९७४ द्वारा मैदा वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिये समस्त बेकरी का कार्य करने वालों को ३० जून, १९७४ तक पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित करने का आदेश दिया । जांच उपरान्त ज्ञात हुआ कि शिकायत कर्ता ने स्वयं अपने भाई श्री राम सहाय के नाम फर्जी मैदे का कोटा ले रखा था जिसे रद्द कर दिया गया । श्री छोटे लाल के विरुद्ध धोका देने व मैदा का दुरुपयोग करने के आरोप में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है ।

इटावा के एरवा कटरा ब्लाक से सीमेन्ट, चीनी व कपड़े का कथित काले बाजार में जाना

*३६—श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इटावा के एरवा कटरा ब्लाक से सीमेंट, खाद, सस्ता कपड़ा व चीनी चोरी छिपे काला बाजार में दूसरे जिले में जाने के बारे में उसकी जानकारी है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ।

वर्ष १९७३ में अनुपूरक अनुदानों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

*३७—चौधरी चरण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संविधान के अनुच्छेद ३५७ के अन्तर्गत १९७३ में प्रदेश के अनुपूरक आय-व्ययक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य सरकार के अनुपूरक अनुदानों पर वर्ष १९७३ में संविधान के अनुच्छेद ३५७ की धारा (१) की उप-धारा (ग) के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति २० अक्तूबर, १९७३ के भारत का राजपत्र (असाधारण) द्वारा प्राप्त हुई थी ।

मनोरंजन कर निरीक्षक ग्रेड १ का चयन

*३८—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९७३ में मनोरंजन-कर निरीक्षक ग्रेड-१ के पदों के चयन में किस माप दंड को अपनाया गया ? क्या सरकार को पता है कि विभागीय चयन समिति ने कुछ ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों का चयन किया जिनकी या तो सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गई थी या जिन्हें निन्दित किया जा चुका है या जिनके विरुद्ध कर के गबन करवाने के आरोप लगाये गये थे तथा जो जांच पर साबित हो चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या पुनर्विचार करके ऐसे व्यक्तियों के स्थान पर निष्ठावान व्यक्तियों की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्न से सम्बन्धित विषय पर दो निरीक्षकों ने हाई कोर्ट में रिट दायर की है, जो इस समय उक्त न्यायालय के विचाराधीन है । अतएव इस सम्बन्ध में कुछ कहना संभव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री हुकुम सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

राज्य लाटरी से प्राप्त धनराशि

२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी से वर्ष १९७३–७४ में और अब तक (२३ जून, १९७४ तक) कुल कितना धन प्राप्त हुआ और वह धन प्रदेश के किन-किन अस्पतालों को किस काम के लिये दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

३—श्री हुबराज तथा श्री धर्मराज—

[निरस्त]

४—श्री हुबराज तथा श्री धर्मराज—

[९वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ८ पर स्थानान्तरित]

बेंहदर ब्लाक हरदोई के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिये गये शक्कर के परमिट

५—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के बेंहदर ब्लाक में खंड विकास अधिकारी द्वारा जनवरी, सन् १९७४ से ३० अप्रैल, १९७४ तक किन-किन ग्राम सभाओं के किन-किन लोगों को शक्कर के परमिट शादी के काम के लिये दिये गये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिला हरदोई के बेंहदर ब्लाक में खंड विकास अधिकारी द्वारा जनवरी सन् १९७४ से ३० अप्रैल, १९७४ तक जिन ग्राम सभाओं के लोगों को शक्कर के परमिट शादी के काम के लिये दिये गये, उनका विवरण संलग्न† सूची में दिया गया है ।

जिला पूर्ति कार्यालय, वाराणसी में सीमेन्ट की परमिट बुकों का गायब होना

६—श्री ऊदल—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का तारीख १५ अप्रैल, १९७४ का भेजा हुआ पत्र, जिसमें वाराणसी जिले के सप्लाई आफिस से सीमेंट की ८ परमिट बुकें गायब करने का उल्लेख था सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य का १४ अप्रैल, १९७४ का एक पत्र वाराणसी जिला पूर्ति कार्यालय से सीमेंट के ८ परमिट बुकें गायब किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुआ था । जिला

---

†छापी नहीं गई ।

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

अधिकारी, वाराणसी से इस सम्बन्ध में जानकारी की गई जिससे यह पता चला है कि इन परमिट बुकों के गायब होने की जानकारी ४ मार्च, १९७४ को अधिकारियों को हुई थी और ५ मार्च, १९७४ को ही थाना कैन्ट, वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा सम्बन्धित अधिकारियों व सीमेंट स्टाकिस्टों को जानकारी करा दी गई थी ताकि उपर्युक्त परमिट किताबों का दुरुपयोग न हो ।

७—श्री हर प्रताप सिंह, श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री अठई राम—

[१०वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पूर्ति अधिकारियों की अपने गृह जिले में कथित नियुक्ति

८—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कौन-कौन जिला पूर्ति अधिकारी ऐसे हैं जो अपने निवास स्थान के जिले (होम डिस्ट्रिक्ट) में नियुक्त हैं और उनको होम डिस्ट्रिक्ट में ही नियुक्त करने के क्या कारण है ? क्या ऐसे जिला पूर्ति अधिकारियों का स्थानान्तरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कोई भी जिला पूर्ति अधिकारी अपने गृह जिला में तैनात नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठते हैं ।

जिला पूर्ति अधिकारी, लखीमपुर द्वारा दिया गया वनस्पति के परमिट

९—श्री मन्ना लाल—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर जिला में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा किन-किन व्यक्तियों को कितने-कितने डालडा का परमिट दिनांक १ जून से २० जून, १९७४ के बीच दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना संलग्न है ।

[देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ५१४–५१५पर]

१०—श्री तीरथ राम कोहली तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[९वें सोमवार के लिये स्थगित]

सहायक निबन्धक, उद्योग, निदेशालय कानपुर के पास आर्बीट्रेटरों क फैसले के विरुद्ध लम्बित अपीलें

११—श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निबन्धक, उद्योग निदेशालय, कानपुर के पास आर्बीट्रेटरों के फैसले के विरुद्ध कितनी अपीलें एक वर्ष से अधिक काल से लम्बित हैं और इन अपीलों का निस्तारण कब तक हो जायगा ?

श्री इस्तफा हुसैन—

सहायक निबन्धक उद्योग निदेशालय, कानपुर के पास आर्बीट्रेटरों के फैसले के विरुद्ध कोई भी अपील एक वर्ष से अधिक काल से लम्बित नहीं है ।

१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[९वें सोमवार के लिए स्थगित]

१३—श्री दशरथ सिंह—

[१२वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्टील रोलिंग मिलों व आर्क फरनेस को दिया गया कोयला

१४—श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत जनवरी, फरवरी या मार्च में जब प्रदेश के स्टील रोलिग मिलों व आर्क फरनेस को बिजली नहीं दी गई तो उस दौरान उन्हें कितना कोयला दिया गया और उस कोयले का क्या हुआ ?

श्री इस्तफा हुसैन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद) को हिरासत में ले लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देनी है । जुडीशियल मैजिस्ट्रेट से प्राप्त सूचना के आधार पर फैजाबाद जिले के सदस्य श्री भगवती प्रसाद को भारतीय दंड विधान की धारा ३०९ के अन्तर्गत हिरासत में ले लिया गया है ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्य के लिए समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना और देनी है कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी २६ जुलाई, १९७४ की बैठक में ३० जुलाई, १९७४ से ६ अगस्त, १९७४ तक निम्नलिखित विधेयकों तथा अन्य कार्यों को सदन में लिये जाने हेतु समय निर्धारण की जो सिफारिश की है वह इस प्रकार है—

१—दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण—३० जुलाई, १९७४ ।

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण —३० जुलाई, १९७४ ।

३—असरकारी सदस्यों का कार्य — ३१ जुलाई, १९७४ ।

(१ अगस्त, १९७४ से ५ अगस्त, १९७४ तक बैठक न हो ।)

४—भूमि व्यवस्था जांच समिति का प्रतिवेदन १९७३—७४ पर चर्चा—६ अगस्त, १९७४

५—जल प्रदूषण को रोकने के लिये संसद को विधि निर्मित करने के अधिकार देने के संकल्प पर विचार एवं उसका पारण— ६ अगस्त, १९७४ ।

६—अनुसूचित तथा जन जातियों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित किये जाने के संकल्प पर विचार एवं उसका पारण—६ अगस्त, १९७४ ।

[श्री अध्यक्ष]

इस पर सूचना शासन से प्राप्त नहीं हुई है, जब प्राप्त होगी तभी यह लिया जायगा । इतना तय हुआ है । शेष अभी विचाराधीन है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अभी जब सदन में आ रहा था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अभी नहीं, अभी आप रुक जाइये । आपको मौका मिलेगा ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य क्रम को स्वीकार करता है ।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

मान्यवर, इसी के संबंध में जो आपके पास कार्य-क्रम जा रहा है और जो इसमें ६ तारीख को भूमि व्यवस्था जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में है उसमें कुछ और लगा लीजिये । एक पूरा दिन बहस के लिये रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---

पूरा दिन है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम को स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कतिपय समितियों के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

माननीय अध्यक्ष, की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि लोक लेखा समिति' प्राक्कलन समिति, स्थायी समितियों आदि के दिनांक ६ व ७ अगस्त, १९७४ को होने वाले निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम को स्थगित करके ९ अगस्त, १९७४ के बाद किसी तिथि में रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि लोक लेखा समिति', प्राक्कलन समिति, स्थायी समितियों आदि के दिनांक ६ व ७ अगस्त, १९७४ को होने वाले निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम को स्थगित करके ९ अगस्त, १९७४ के बाद किसी तिथि में रख दिये जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आटा मिलों तथा बेकरी के मजदूरों की समस्या पर विचार की मांग

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, निवेदन यह करना है कि सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये जब मैं आ रहा था तो विधान सभा के बाहर फाटक पर आटा मिल के मजदूर और बेकरी के मजदूर नारा लगा रहे थे । उन लोगों ने हमारा रास्ता रोक दिया और पर्चा दिया तथा कहा कि

सदन में जाने नहीं दिया जायेगा यदि सदन में हमारी बात नहीं कहेंगे । तो मुझे कहना है कि वहां के ७५ हजार मजदूर बेकार हैं और मैं चाहता हूं कि मान्यवर, इस पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इसे लिखकर दे दें ।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

पहली सूचना श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री मोती लाल देहलवी की लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त अनियमिततायें, सम्प्रति परीक्षा प्रणाली एवं भ्रष्टाचार की है । इस पर वक्तव्य पहले ही स्वीकार हो गया है और वह वक्तव्य ३१ तारीख को होगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर पहली तारीख से स्नातक की परीक्षायें होने वाली हैं । अब स्थिति बड़ी खराब हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें यह भी भेज दिया जायेगा और यह और वह दोनों भेज दिये जायेंगे तथा आपका नाम भी जोड़ दिया जायेगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं नहीं चाहता कि उसमें मेरा नाम जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

तब तो फिर अस्वीकार है ।

दूसरी सूचना श्री देव कुमार यादव, श्री जमुना प्रसाद बोस, श्री जगन्नाथ सिंह परमार तथा श्री लक्ष्मी प्रसाद आर्य की बांदा नगरपालिका के सफाई मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में है । यह नियम ५६ का विषय नहीं है । यह वि य स्थानीय निकाय से संबंधित है इसलिये इसका प्रश्नों के द्वारा समाधान किया जा सकता है। आप इस पर प्रश्न कर लें ।

तीसरी सूचना श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने बांदा के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री बी०डी० गुप्ता को पुलिस द्वारा अपमानित किये जाने से संबंधित है । सूचना है कि बांदा में पुलिस द्वारा हरिजनों पर किये जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने समाचार-पत्रों के माध्यम से जनता तथा शासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था जिससे नाराज हो कर पुलिस अधिकारियों ने अनेक बार श्री गुप्त को चेतावनी दी । कर्त्तव्य की कठोरता को समझकर भी जब श्री गुप्त अपने रास्ते से नहीं हटे तो उन्हें पीटा गया तथा अपमानित किया गया ।

इस घटना से सम्पूर्ण पत्रकार जगत में घोर असंतोष एवं उत्तेजना है । पत्रकारों ने सामूहिक रोष प्रकट किया है। असंतोष निरन्तर बढ़ रहा है । अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित करने की सूचना देता हूं ।

यह विषय कार्य स्थगन का नहीं है । इसका समाधान प्रश्नों के द्वारा किया जा सकता है ।

[श्री अध्यक्ष]

(श्री शतरुद्ध प्रकाश इस पूरे समय सदन के दोनों पक्षों के मध्य खाली स्थान पर खड़े हो कर बोलते रहे जो सुनाई नहीं दे सका।)

एक माननीय रामसेवक यादव और धीरेंद्र सहाय जी ने भेजा है, जिसमें है:—"खाद्य विभाग में काम कर रहे एक हजार से अधिक कर्मचारियों के राज्य सरकार द्वारा निकाल दिये जाने तथा दो वर्ष तक नयी भरती पर पाबन्दी के निर्णय ने बेरोजगारी की जलती हुई आग में घी का काम किया है। छटनी का प्रभाव न केवल काम में लगे लोगों पर ही पड़ेगा वरन् उन पर आश्रित हजारों लोग भुखमरी के शिकार होंगे। बिना दूसरे रोजगार की व्यवस्था कि नौकरी से हटाने का राजकीय निर्णय एक सामाजिक जुर्म है। सरकार के उपर्युक्त निर्णय से सरकार नौकरियों में लगे, उन पर आश्रित तथा काम को खोज करने वाले लाखों लाख लोगों में असुरक्षा, रोष, आक्रोश तथा चिन्ता व्याप्त है। जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार काम में लगे लोगों को सुरक्षा का आश्वासन देने और काम में बन रहन की समुचित व्यवस्था करने में पूर्णतया असफल रही है।

अतः सदन इस लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से आज की अपनी कार्यवाही स्थगित करता है।"

यह विषय साधारण प्रशासन से संबंध रहता है। इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। शेष अस्वीकृत।

(इस बीच कई माननीय सदस्य खड़े होकर अपने स्थान से बोलते रहे और व्यवधान होता रहा।)

(व्यवधान और शोर के बीच)

१९७४–७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ८—स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर, अनुदान संख्या १४—अल्पबचतों की प्रोन्नति तथा अनुदान संख्या २०—कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८—स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५९,७७,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परव्ययों को चकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९८,४७,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४-अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाल परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा-

नुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १८,९५,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक वैधानिक प्रश्न उठाया था २५ तारीख को । वह २६ के लिये मुल्तवी हुआ था । उस रोज आपकी रूलिंग होने वाली थी तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट का जो आदेश इस संबंध में निकला है उसकी प्रतिलिपि हम लोगों को मिल जाय तो उसी वक्त वह प्रतिलिपि मिली । उसको हमलोग पढ़ नहीं सके थे तो फिर आपने निर्णय दिया कि इसको २९ तारीख के लिये मुल्तवी कर दिया जाय और मुझको अपनी बात कहने का मौका उस आदेश को देखने के बाद दिया जाय, इस पर आप राजी हो गये थे, तो वह मौका कब दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

एक बार आप इस पर बोल चके हैं । उसके अतिरिक्त और कोई तर्क या कारण देना चाहें तो बतला दें, फिर मैं उस पर अपना निर्णय दूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरी तो ऐसी धारणा है कि आपने व्यवस्था दी थी कि एप्रोप्रिएशन बिल के अवसर पर इसे प्रस्तुत किया जाय ।

चौधरी चरण सिंह—

एप्रोप्रिएशन बिल के लिये तो आधे घंटे का समय रखा है । आधे घंटे के अतिरिक्त हमारे इस प्वाइंट आफ आर्डर के लिये समय निकाल सकें तो ठीक है उस वक्त हो जाय वरना इसी वक्त हो जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं पहले पूरे अनदानों को पेश कर दूं, अभी तो मैंने तीन ही अनुदान पेश किये हैं ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

मान्यवर, हमारा बांदा वाला स्वीकार कर लीजिये क्योंकि वहां ४ दिन से हड़ताल चल रही है, और गन्दगी की वजह से वहां हैजा फैलने का डर है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—२० कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त ७८,५७,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आपको केवल ४ ही अनुदान रखने हैं । आइटम नं० ५ व ६ पर कोई विवाद नहीं होगा । उसे बाद में रख दीजियेगा, वह हो जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्रि परिषद द्वारा अनुदान स्वीकृत होने से पूर्व ही १५ प्रतिशत की कटौती के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने २५ तारीख को एक सवाल उठाया था। मुझे यह मालूम हुआ कि हफ्तों पहले गवर्नमेंट की तरफ से यह आदेश जारी हो चुका है कि १५ परसेंट या १० परसेंट की कटौती की जाय उस रकम में जो हमने यहां मंजूर की है। एक तरफ तो गवर्नमेंट एक बजट का प्रोविजन करती है कि इतनी रकम खर्च की जाय। दूसरी तरफ खर्च करने के पहले अधिकारियों को आदेश देते है कि १० या १५ प्रतिशत कटौती कर दी जाय। तो यह इस सदन का अवमान है और इससे बजट की बहस में कोई वास्तविकता नहीं रह जाती, बजट फाल्स हो जाता है। मान लीजिये आपने ३ करोड़ मन्जूर करा लिये और ४५ लाख की कटौती के आदेश जारी कर दिये, तो जो २० मील की सड़क बनने वाली होगी वह १५ या १६ मील ही बन सकेगी। अगर ५० स्कूल खुलने वाले है तो ४० ही खुल सकेंगे। यह गलत बात है। जो भी कटौती करना है उसको कर दीजिये और उसके बाद जो भी आप आंकड़े रखना चाहते है, उसके खर्चे की स्वीकृति सदन से लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय बहुगुणा जी ने कहा है कि वह कटौती नहीं कर रहे है, मितव्ययता कर रहे है और मितव्ययता हर सरकार करती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिजूलखर्ची हो जावेगी। इस पर विपक्ष दल के लोग बेवकूफ बतलायेंगे कि गलती की। यह उन्होंने आरगुमेंट दिया था। मैंने यह कहा था कि इकानामी कीजिये। आप यह कह दें कि फलां-फलां किस्म का खर्चा नहीं होगा। जैसे स्टेशनरी, टी०ए० वगैरह पर खर्च कम होगा। लेकिन यह तो कटौती हो जावेगी, अगर आप यह कह दें कि ओवरआल प्राविजन जो है, उसमें १५ प्रतिशत कम किये जांय। दैट इज ए कट। इसके लिये उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने यह कहा कि जब बजट पास हो जाय और उसके बाद अगर मालूम हो कि आमदनी नहीं है, तो खर्च कम कर सकते है। अगर खर्च गैर मामूली कारणों से बढ़ जाय, जिस मद का जिक्र न हो ऐसे काम में जिक्र करना पड़े, मान लीजिये लड़ाई छिड़ जाय, तो जो प्राविजन्स मंजूर कर लिये है, उनमें भी कटौती कर सकते है, लेकिन एक तरफ तो डिशकशन हो रहा है और दूसरी तरफ एक्जीक्यूटिव आर्डर जारी हो गया कि १५ प्रतिशत कटौती होगी। यह ठीक नहीं है। इस पर बहुगुणा जी ने कहा कि नहीं। उनके अल्फाज यह हैं। पहली बात तो उन्होंने यह कही कि बचत का सवाल है। इस पर वैधानिक प्रश्न उठता है। २९ तारीख को एप्रोप्रिएशन बिल आने वाला है और २५ तारीख को आदेश की प्रतिलिपि मेरे पास चीफ सेक्रेटरी द्वारा भेजी गई। ५ तारीख का आदेश है। सदन को क्या मालूम है कि कब आदेश दिया है। यह बात तो एक आध आफिसर्स से बात करने से मालूम हुई। तो यह शिकायत है। जो आदेश जारी किये गये वह ओवर द हेड आफ दिस हाउस है। इस सम्बन्ध में वैधानिक प्रश्न २५ को उठाया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि टेलीफोन का खर्च कम करना कटौती नहीं है, बल्कि मितव्ययता है। मैं नहीं समझता कि कहांतक यह ठीक है। आगे चलकर वह कहते है कि बचाव को चौधरी साहब कटाव मानते है, तो लाचारी की बात है। हम बचाव कर रहे है, कटाव नहीं कर रहे है। आदेश में यह लिखा है.....

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

बहुगुणा जी ने उसका भाष्य किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय सदस्य ने सारे मंत्रियों का ठेका ले रक्खा है । मान्यवर, माननीय सदस्य को अभी मालूम ही नहीं कि क्या वजह है और उन्होंने कह दिया कि भाष्य किया गया ।

मान्यवर, यह ४ जुलाई का आदेश है । अर्धशासकीय पत्र संख्या...सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–१, दिनांक ५ जुलाई, १९७४, मान्यवर, इधर बहस हुई और उधर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में २ जुलाई, १९७४ को प्रातःकाल १०.३० पर कन्ट्रोल रूम में प्रशासन में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से एक बैठक हुई, जिसमें गृह सचिव, न्याय सचिव, वित्त सचिव, नियुक्त सचिव, विशेष सचिव, वित्त, राजस्व सचिव, नियोजन सचिव तथा विशेष सचिव, वन उपस्थित थे । इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

(माननीय महमूद अली जी आप भी कृपया सुन लें, क्योंकि आर्डर्स सिंचाई विभाग की तरफ से जारी हुये) शासन के विभागों को दो श्रेणियों में–रेगुलेरटी और नान-रेगुलेरटी–मानकर प्रथम श्रेणी के विभाग में वित्तीय वर्ष १९७४–७५ के बजट प्राविधान में ५ प्रतिशत की कटौती की जाय । इस श्रेणी में राजस्व विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, नियुक्ति विभाग, न्याय विभाग तथा परिवहन आयुक्त का कार्यालय आदि आते हैं । अब इन शब्दों का क्या कोई भाष्य हो सकता है । मुक्य मंत्री जी ने कहा कि हम बचाव कर रहे है, एकोनामी कर रहे है । मैं कहता हूं कि कट कर रहे है । फिर उस अर्धशासकीय पत्र में जो निर्णय लिया गया है, वह है.....उपर्युक्त के अलावा शासन के अन्य विभागों को यानी समदिष्ट तथा विकास सम्बन्धी सेवायें मानकर यह निर्णय लिया गया कि इन विभागों के (जैसे कृषि, इण्डस्ट्री विभाग है) बजट प्राविधान में १५ प्रतिशत कटौती की जाय । अब मान्यवर, नथिंग कुड बी मोर कैटोगरिकल...इससे अधिक सफाई की बात क्या हो सकती है ? चीफ सेक्रेट्री की तरफ से आर्डर निकाल दिये । यह तो इस हाउस का अवमान है । आप फिर विचार करें । ग्रान्ट्स के लिये आप मोशन मूव करते है । वित्तमंत्री या दूसरे महोदय । हम से वोट ले लेते और आर्डर पहले जारी हो गये १५ प्रतिशत कट के । मैं जानना चाहता हूं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हम जो कर रहे है, उसमें १५ प्रतिशत कटौती होगी और फलां-फलां स्कीम कट की जायेगी । लेकिन अप्रोप्रियेशन बिल में १५ प्रतिशत एमाउन्ट रिडक्शन करके हमारे सामने लायें । या तो देर लगती है तो दो दिन का वक्त ले लें । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनका कोई फाइनेन्शियल कन्ट्रोल खर्च और आमदनी पर नहीं रह गया है ।

श्री अध्यक्ष—

जो अनुदान मन्जूर करेंगे, उसी के अनुसार तो विनियोग बिल लायेंगे....

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, मुझको पहले अपनी बात खतम कर लेने दें । अंग्रेजों के जमाने में एक फाइनेंस कमेटी थी । सदन की होती थी । गवर्नमेंट की पार्टी और विरोध पक्ष के लोग उसमें होते थे । कैबिनेट का जो एक्सपेंडीचर का प्रपोजल होता था, वह फाइनेंस कमेटी के सामने जाते थे । बिना उस कमेटी के एप्रोवल के एक्सपेंडीचर बजट में शामिल नहीं किये जाते थे । ५१–५२ में वह फाइनेंस कमेटी खत्म कर दी गयी । तो ओरिजिनल कंट्रोल हाउस का होना चाहिये लेकिन अब क्या हो रहा है ? कैबिनेट ने तय किया कुछ तो रूलिंग पार्टी के मेम्बर्स का फर्ज होता है कि जो कैबिनेट ने तय किया है उस पर सहमति प्रकट कर दें और इधर के मेम्बरों की कोई सुनवाई नहीं । फायनेन्स कमेटी का

[चौधरी चरण सिंह]

जोर होता था वह खत्म हो गया । एस्टिमेट कमेटी का एक दूसरा तरीका है फायनेन्स को कंट्रोल करने का रूल २३२ में यह लिखा हुआ है:—

समिति के कृत्य:—(१) समिति के कृत्य ये होंगे:—

(क) प्राक्कलनों में अन्तर्हित नीति से संगत क्या मितव्ययितायें संघटन में सुधार, कार्य पटुता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते है, इस सम्बन्ध में प्रतिवेदित करना ?

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिये वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना ।

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति का सीमा में रहते हुये धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं उसकी जांच करना, तथा

(घ) प्राक्कलन किस रूप में सभा में उपस्थित किये जायेंगे इसका सुझाव देना ।

लिहाजा जो एस्टिमेट्स यहां पेश किये गये एस्टिमेट्स कमेटी उन पर सुझाव दे सकती है जब वह मंजूर हो गये तो ग्रान्ट बन गये । फिर पी०ए०सी० का जुरिस्डिक्शन हो जाता है । जो रोजाना एस्टिमेट्स पेश होते है उसके लिये एस्टिमेट्स कमेटी की मीटिंग होनी चाहिये थी लेकिन वैसा नहीं किया गया । अभी तक एस्टिमेट कमेटी बनी ही नहीं है । १०–१२ मार्च को हम बैठे थे । उस समय एस्टिमेट कमेटी बन सकती थी । फिर गालिबन १८, १९ जून को बजट पेश किया गया और हाउस ६ जून से बैठा, उस समय एस्टिमेट कमेटी बन सकती थी और उसके सामने एस्टिमेट्स ला सकते थे । जो एस्टिमेट कमेटी का कंट्रोल है वह भी खत्म हो गया ।

मैं वित्त मंत्री जी से अर्ज करूंगा । जब वह अपोजीशन में डिप्टीलीडर थे तो मुझे याद है कि वह बजट पर बहुत अच्छा बोला करते थे और बहुत बारीकियों में जाया करते थे और अपने भाषणों मे यह मतालबा किया करते थे कि फायनेंस कमेटी रिवाइज की जानी चाहिये और सदन का फायनेंस पर कंट्रोल होना चाहिये । माननीय वित्त मंत्री जी इस बात से इंकार नहीं कर सकते ।

फिर पिछले साल जब एस्टिमेट कमेटी थी उसने एक रिजोल्यूशन पास किया था या तो फायनेन्स कमेटी को रिवाइज किया जाय जिसके सामने बजट पेश होने के पहले सारे प्रोपोजल्स आ जांय नहीं तो एस्टिमेट कमेटी के सामने सारे प्रोपोजल्स आयें लेकिन आज तक वित्त मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया । इसका मतलब यह हुआ कि हाउस का कंट्रोल खत्म और कैबिनेट धीरे-धीरे हाउस के जो अख्तियार हैं उनको इरोड करती जा रही है और एक मजाक होता जा रहा है । फिर जो खर्चा होगा उसको पबलिक एकाउन्ट्स कमेटी स्क्रुटिनाइज करेगी आडिट रिपोर्ट के जरिये । सदन के दोनों पक्ष के सदस्य उसके मेम्बर्स होंगे और विरोधी दल के सदस्यों में से उसका चेयरमैन होगा ताकि अच्छी तरह से खर्चे की देखभाल हो सके । आडिट रिपोर्ट तथा पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिये जाते है लेकिन सरकार उन पर कभी अमल नहीं करती । ४,५ या १० साल की बात है, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज फाइनेन्शियल कंट्रोल हाउस का बिलकुल रह नही गया है । इस सिलसिले में मैं एक लीडिंग अथौरिटी की किताब का उद्धरण पढ़ रहा हूं जिसमें यह लिखा है कि हाउस आफ कामन्स का फाइनेन्शियल कंट्रोल किस प्रकार से है । मैं आपकी इजाजत से वह उद्धरण अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूं जिसका मैं बाद में तरजुमा कर दूंगा ।

An Encyclopædia of Parliament, Fourth Edition Norman Wilding and Philip Laundry page 600, House of Commons Resolution of 1678 के अनुसार—

"That all aids and supplies, and aids to His Majesty in Parliament are the sole gift of the Commons; and all the bills for the granting of any such aids and supplies ought to begin with the Commons; and that it is the undoubted and sole right of the Commons to direct, limit, and appoint in such bills the ends, purposes, consideration, conditions limitations and qualifications of such grant which ought not to be changed or altered by the House of Lords'.

कहने का मतलब यह है कि खर्च करने के लिये रुपया या आमदनी या टैक्स आदि तजबीजात तथा सावरेन्ड किंग के लिये जो रुपया मंजूर किया जाता है यह सब अधिकार कामन्स यानी विधान सभा को है। सबसे मुत्ताल्लिक बात यह है कि ऐसे कानून या विधेयक में विधान सभा को अधिकार है जो एप्रोप्रियेशन बिल आप ला रहे हैं उसका क्या उद्देश्य होगा, किस काम के लिये वह रुपया रखा जा रहा है, उसका क्या कंसीडरेशन होगा, क्या शर्तें होंगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी उसमें कोई तरमींम हाउस आफ लार्ड तक नही कर सकता है एप्रोप्रियेशन बिल से जो रुपया ले लिया उसमें कोई अधिकार कम करने का नही होगा। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि आज जो अधिकार विधान सभा को है वह करीब करीब खतम हो गया और जैसा कि मैंने कहा कि सदन एक मजाक बनकर रह गया है। अध्यक्ष महोदय, इस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेंदारी आपकी है। आप न इस पक्ष के हैं और न उस पक्ष के हैं। सारे सदन के अधिकारों पर एनक्रोच किया जा रहा है तो फिर सदन किससे आशा करे। हाई कोर्ट जा नहीं सकते। जाना भी ठीक नहीं है। यही मौका है, स्पीकर तो कांस्टीट्यूशन का कस्टोडियन होता है और भी कई हैं लेकिन आप का भी स्थान है। इसलिये इस जगह पर आप स्टेबल करें। यही एक समय है जब कि सदन के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट पर लगाम लगायें। और क्या कहूं ?

दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय नें जिस तरह से बात कही, बाद में उसकी बाबत कुछ कहा, उनका वह भाषण मैंने आपको पढ़कर सुना दिया और जो आदेश दिया है वह पढ़कर सुना दिया, बिलकुल परस्पर कंडिक्टरी, जो किसी माननीय मुख्य मंत्री से ऐसी आशा नही होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह जो आपने अभी अपनी विवेचना में बताया, विनियोग विधेयक आने वाला है, उस पर रोक लगायी जाय, अनुच्छेद २०४ में यह है –"विधान सभा द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथा संभव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से ——— (क) सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की तथा (ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरः स्थापित किया जायेगा।" यानी जो आप ने किये हैं, वही आ सकता है। दूसरा आ नहीं सकता, जैसा आपने कहा।

चौधरी चरण सिंह—

वह मेरी जिमेंदारी तो है नही। एडवोकेट जनरल से पूंछे, लीगल रेमेम्बरेंन्सर से पूंछें अगर राशि कम नहीं हो सकती है। मैं कह रहा था कि राशि कम कर दी जाय। एक बात हो सकती है कि एप्रोप्रियेशन बिल में एक क्लाज ऐड कर दें, जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिये यहां मंजूर कराया है, उनमे जो १५ परसेंट का कट कहा है वह यहां रिफलेक्ट होगा। लीगल रिमेंम्ब्रेंसर से पूंछें। यह फैक्ट है कि ज्यादती हो रही है, सदन के अधिकारों का हनन हो रहा है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, विवादित विषय पर माननीय नेता बिरोधी दल नें बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। सुनने के बाद मैं मान्यवर, इस नतीजे पर पहुंचा और स्वयं भी बिचार करके इस नतीजे पर पहुंचा इस वर्ष का उत्तर प्रदेश का बजट दुनियां के इतिहास में उपहास का विषय बनेगा। एक ऐसी सरकार है जो अभी के अपने मस्तिक में निश्चय नहीं कर पायीं कि हमको कितने की आवश्यकता है, कितना मांगना चाहियें, कितनी कटौती करनीं चाहिये। (व्यवधान) पक्का कभी नहीं कर पायेगा। मन में पक्का नहीं है। तो मैं कहता हूं कि कितना हास्यास्पद है। यह कहीं रूल नहीं है, खुद बनाने वाले यह नही कह सकते कि इससे कम की आवश्यकता है। जो राजकीय पत्र हमको मिला, या जो आदेश जारी हुआ है इसमें कितने संबधित सचिव थे, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सारे के सारे वहां उपस्थित थें। उनका मस्तिक कहां था, जब बजट बनाया जा रहा था। सचमुच जो बजट सदन के सामने रखा गया है वह बहुत बड़ा धोखा है नौ करोड़ जनता के ऊपर।

चौधरी चरण सिंह--

माननीय त्रिपाठी जी को याद दिलाने के लिये कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक कहानी पढ़ी होगी मगर और बंदर की। जब मगर ने बन्दर का जिगर खाना चाहा तो बन्दर ने कहा कि जिगर तो मेरा वहां पेड पर टंगा हुआ है। तो इनका दिमांग कहा था, वह तो दिल्ली में टंगा हुआ था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसमें फर्क है, जरा आगे सोंचें। इस तरह से उसने अपना जिगर वहां रख दिया था लेकिन मस्तिष्क अपने पास रखा था। यह दोनों रख आये है। भगवान बचाये। यह उस नदी में डूब जायेंगे। इतनी अनिश्चितता है इनके मस्तिष्क में। यह निश्चय इस बात का नहीं कर पाते, हमारे विरोधी पक्षने कटौती का प्रस्ताव रखा था उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया। होता कटौती का प्रस्ताव, कि हम इतनी कटौती करेंगे, हमने यह गलत प्रोपोजल कर दिया। मारली तो इनको रिजाइन कर देना चाहिये। नौ करोड़ जनता की जिन्दगी हाथ में लिये हुये है, इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते कि कितने पैसे की जरूरत है, कितनी कटौती कर सकते है।

मान्यवर, इन्होंने कटौती शब्द का प्रयोग किया जो हमने भी किया। इसलिये इनको अपने ऊपर सेल्फ कांफीडेंस नहीं है। इसलिये वजट तो इसी आधार पर गिर गया है। अब रह गया कानूनीं प्रश्न जो माननीय चौधरी साहब ने उठाया है। मैं नहीं समझ पाता कि एप्रोप्रियेशन बिल किस आधार पर आयेगा। चाहे बजट "मैंनुअल देखा जाय, कांस्टीट्यूशन देखा जाय या नियमों को देखा जाय, नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आय व्यय का बजट रखते हैं तो अपना अनुमान रखते हैं और जब ग्रान्ट मिल जाती है तो एप्रोप्रियेशन बिल लाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि हमें इतने की आवश्यकता नहीं है तो फिर एप्रोप्रियेशन बिल क्यों लायेंगे, फिर आप क्यों सबको धोखा देते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस बजट के इतिहास में सरकार को क्षमा नहीं किया जायेगा। मौंरेली तो सरकार समाप्त हो गई है। यह कोई चीज शुद्ध बना कर नहीं ला पा रही है।

बजट को प्रेजेन्ट करते समय आपको पंम्फलेट देना चाहिये कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अमुक अमुक रिपोर्ट की और हमने उस पर यह अमल किया। एस्टीमेंट कमेंटी ने यह रिपोर्ट की और उस पर यह अमल कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी एक फाइनेंस कमेंटी थी जो छानबीन करने के बाद बजट में रखती थी। लेकिन आप का हाल क्या है? आप ३२ परसेंट वोट्स प्राप्त करते हैं और ६८ परसेन्ट पर रूल करते हैं। यह आपकी देन है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि सिविल डिसओबीडियेंस करें। यह इसलिये हो रहा है कि आप हमारी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं जब कि बिरोधी दल आप का साथ देने के लिये तैयार है। आप मजबूर करते हैं कि नियम तोड़ें। आदमी नही सिखाता है बल्कि परिस्थिति सिखाती है। आप अगर हमारी बहस को नही सुनेंगे तो आप देश का सत्यानाश करेंगे। मैं इसका सख्त बिरोध करता हूं। इस एप्रोप्रियेशन बिल को हम मिस एप्रोप्रियेशन बिल कह सकते हैं। यह भी कोई तरीका है। दुनियां क्या समझेगी कि आपने एप्रोप्रियेशन बिल रखा और क्या कटौती कर दी।

हम चाहेंगे कि आप अपने विशेषज्ञों को बुलाकर सलाह लें कि क्या कोई ऐसी विधि निकल सकती है कि जो आप चाहते हैं वही हो और यह वजट भी अन रियल न हों। अब लेजिस्लेचर पर तो कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। एक मुखौटा बना हुआ है। मैं कह रहा था कि सदन इसमें इसी नतीजे पर पहुंचता है कि प्रजातंत्र का मुखौटा एक लगा हुआ है। जैसे रामायण में लोगों के मुंह पर लगा देते हैं। यह डैमोक्रेसी का मुखौटा है। आपका हृदय डैमोक्रैटिक नहीं है। आज पब्लिक दाने दाने को तरस रही है। आज लाइन लगी हुई है। लेकिन खून की कीमत लगाई जा रही है। आप भोजन न देकर अपना मंशा पूरा कर रहे हैं और इस बजट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका भविष्य में बुरा नतीजा निकलेगा। अगर सारे प्रदेश को आप बताना चाहते हैं कि आप सही हैं तो अपने विशेषज्ञों से जानकारी प्रात करें और फिर हाउस के सामने लायें।

*श्री गोविंद सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, अभी जो मसला उठा है उसके दो आसपेक्ट हैं। एक आसपेक्ट है उसका कांस्टीट्यूशनल कि ऐसी हालत में जिस दल से एप्रोप्रियेशन बिल आ रहा है उसकी क्या आवश्यकता है। यह कानूनी मसला है। दूसरा मसला पैदा होता है सदन के अवमान का। मान्यवर, जब सदन के अन्दर बजट के इस्टीमेंट पेश किये तो यह कोशिश की गई कि एक एक पाई जो अनुदान पेश की गई, उनमें खर्चा करेंगे। उसके बाद घाटे का वजट बना। जो धनराशि मांगी गई है उसके खर्च करने की अत्यन्त आवश्यकता है। मान्यवर, अगर उनको यह उम्मीद थी कि १५ परसेंट या १० परसेंट की कटौती हो सकती है तो क्यों नहीं इस बात की सूचना सदन को दी कि इस बजट में कटौती हो सकती है। हो सकता था कि यह सदन उन टैक्सों को न लगाता, जिनको लगाया है। मान्यवर चौधरी साहब ने जो पत्र पढ़ा उससे जाहिर होता है कि कुछ सेक्रेटरी महोदय एक कमरे के अन्दर बैठे और उन्होंने फैसला कर दिया कि एकदम १० परसेंट या १५ परसेंट कटौती होगी। मान्यवर, मैं समझता हूं कि तमाम अधिकारियों नें जिन्होंने इस बात का फैसला किया है आज इस सदन के अवमान के दोषी हैं। पहली बात कि उन्होंने सरकार को नहीं बताया कि इस बजट के अन्दर कटौती की जा सकती है और इस सदन को गुमराह किया है।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय नेता बिरोधी दल ने उठाया है। जो अभी आपने पढ़ा मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ६७७ पर उसका केवल अर्थ यह है कि फाइनेशियल कंट्रोल इस सदन का रहेगा और सरकार जिस मद के लिये रुपया निर्धारित करें उस मद में खर्च करें। जितना बजट हम मांगते हैं उससे कम खर्चा करने का अधिकार उसका सुरक्षित है। ३ महीने से सरकार वोट आन एकाउन्ट पर चल रही है और हमारी सरकार सक्षम है। उस को जारी करने से कोई संवैधानिक अनियमितता नहीं होती है और कोई रूल नहीं टूटता

*वक्ता ने भाषण का पुवर्नीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

है। अगर हम वोट आन एकाउन्ट न लाते तो चौधरी साहेब की आपत्ति सही होती। इस सिलसिले में उस बजट के बीच में यह आपत्ति उठी है वह काबिल गौर नहीं है। खारिज होनी चाहिए।

चौधरी चरण सिंह--

मैं सारे सदन की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह आदेश है। आपने देखा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं बताता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष जी.....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रश्न के माध्यम से एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं कि जो मूल प्रश्न उनके द्वारा उठाया गया है वह यह है कि संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय व्यय के नियंत्रण का क्या अधिकार संसद को या विधान मंडल को होना चाहिए और उसकी परिधि क्या है।

पार्लियामेंटरी कंट्रोल और उसकी लिमिट्स क्या है और लिमिट्स के अन्दर अगर आप उनको ठीक प्रकार से समझ पायें तो उनका यह भी विचार है कि अगर कोई विभाग के प्राक्कलनों में कटौती किया जाय तो उस कटौती का वे निर्णय, चाहे सदन चल रहा हो या नहीं वह कटौती बजट पास होने के बीच के दौरान हो या बाद को हो। कटौती की स्वीकृति पूर्व स्वीकृति सदन की स्वीकृति से होनी चाहिए।

श्रीमन्, यह ऐसा विषय है कि जिस पर सदियों तक हाउस आफ कामन्स में, दुनियां के सदनों में विचार-विमर्श होता रहा। यह कोई नई बहस नहीं है और यह बहस इस सदन में ऐसे नेता के माध्यम से उठी है कि जिन्हें मैं समझता हूं इस सदन में सबसे अधिक शासन का अनुभव है और वित्तीय नियंत्रण का भी अनुभव है। शायद अगर मैं भूलता नहीं हूं तो माननीय नेता विरोधी दल वित्त मंत्री भी रहे कुछ दिनों तक। साढ़े सात महीनें तक रहे हैं। तो नेता जनसंघ दल उद्योग और श्रम मंत्री रहे। तो यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस पार्लियामंटरी कंट्रोल के विषय में उनकी सतर्कता बढ़ी और फाइनेंस कमेटी जिसका उन्होंने उल्लेख किया है फाइनेंस कमेटी जब भंग हुई और समाप्त की गई, तो उस समय मैं विरोधी दल में था और फाइनेंस कमेटी में मुझे ४ वर्ष तक मेम्बर रहने का मौका मिला और फाइनेंस कमेटी क्यों भंग हुई शायद नेता विरोधी दल मुझसे ज्यादा इस बात को जानते हैं। जहां तक मुझे सूचना मिली मैं इस समय फाइनेंस कमेटी क्यों भंग की गई, इसके बारे में तो अंतिम कोई निर्णय करने के लिए प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम आपसे विचार-विमर्श करके अन्ततोगत्वा निर्णय लें। फाइनेंस कमेटी में चूंकि सभी दलों के लोग मौजूद थे, मार्च ३१ तक बजट पास करना होगा, तो उस समय ऐसी स्थिति आ गई कि आपसी दलबंदी के कारण आइटम में निर्णय ही नहीं लिया जा सका और वह स्थगित होता रहा और सदन का समय आ गया और कैबिनेट को भी विचार करने का मौका नहीं लगा। तब इसलिए मजबूरन निर्णय लिया गया कि फाइनेंस कमेटी की सिफारिशों के बिना विचार किये निर्णय लिया जाय, जिससे जो राज्यपाल ने तिथि निश्चित की है उस तारीख को बजट प्रस्तुत हो सके। ऐसा न हो कि फाइनेंस कमेटी ने कोई सिफारिश नहीं की है।

इसलिए बजट नहीं पेश हो सका फाइनेंस कमेटी को यह वीटो पावर है। मैं उसका ४ साल तक सदस्य रहा हूं। श्रीमन् मैं नेता विरोधी दल को अश्वस्त करना चाहता हूं।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, अगर आप इजाजत दें तो मैं यह बात बता दूं। मान्यवर, उनको यह बात मालूम है कि किस वजह से फाइनेंस कमेटी खत्म की गई। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूं कि वही दलीलें समझी जायं जो माननीय नारायण दत्त तिवारी जब नेता विरोधी दल की हैसियत से दलीलें देते थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरी दलीलें ये ही समझी जांय तो माननीय नेता विरोधी दल ने इस तरफ से की थीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर दोनों की अमान्य हों तो मेरी मान ली जांय?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पार्लियामेंट्री कन्ट्रोल ओवर एक्सपैन्डिचर.....

श्री अध्यक्ष--

मेरे लिए बहुत कठिनाई हो जायगी। आपकी बात अगर पुरानी मान तो माननीय नेता विरोधी दल जब इधर थे तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी --

फाइनेंस कमेंटी हाउस आफ कामन्स में क्यों नहीं है। वहां पर फाइनेंस कमेंटी का काम एस्टीमेंट कमेंटी करती है। हमारे यहां पर वह पद्धति नही है जो कि हाउस आफ कामन्स में है। वहां पर जब कोई बजट पास होता है, उसके बाद सारा सदन दो कमेंटियों में विभाजित होता है। एक वेज एंड मीन्स कमेंटी है और दूसरी कमेंटी आफ सप्लाइज है। उसमें स्पीकर प्रिजाइड नही करता है। हाउस तो एजोर्न होता है। कमेंटी आफ वेज एंड मीन्स का चेयरमैन भी अलग होता है। वह या तो नामिनेटेड होता है या उपाध्यक्ष प्रिजाइड करता है। कमेंटी आफ वेज एंड मीन्स तमाम टैक्सों पर बिचार करती है। उसमें २१ या ३१ सदस्य नहीं होते हैं, सारा सदन बैठता है। कमेंटी आफ सप्लाइज विभागीय प्राक्कलनों पर बिचार करती है। जो इंगलैन्ड का अनुभव है जिसका माननीय नेता बिरोधी दल ने उल्लेख किया है, वे भी उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने यहां पर हाउस आफ कामन्स की पावर्स, प्रिविलेजेज और इम्युनिटीज के बारे में तो माना है लेकिन फाइनेंस के नियम नही माने। हमारे यहां पर लिखित संविधान बना। पावर्स, प्रिविलेजेज और इम्युनिटीज के बारे में तो माना लेकिन फाइनेंस अपने ढंग से अपने संविधान में व्यवस्था की और उसमें कन्स लिडेटेड फंड, कन्टिन्जैन्सी फंड और पब्लिक एकाउन्ट, ३ एकाउन्ट्स में सारे खर्च को बांटा और खर्च की दो मदें रखीं, एक वोटेड और दूसरा चार्जड। वोटेड वह खर्चा होता है जिस पर सदन में वोट किया जाता है। चार्जड वह खर्च होता है जिस पर वोट नही किया जाता है और उसमें व्यवस्था यह है कि जो वोटेड एमाउन्ट होगा, उसमें जो मैंने भी आज प्रस्तुत किया है, उसके लिये जो फार्म स्वीकार किया है, वह यह है कि समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या .....के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त ....रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। अनधिक धनराशि का बहुत बड़ा महत्व है। वह हमारे संविधान के अनुकूल है। इससे अधिक नही होगा, कम हो सकता है। इसकी अनधिक धनराशि की एक लिमिट आपने, विधान मंडल नें, तय कर दी कि इससे अधिक, इससे ज्यादा नहीं होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

बैन्क में जब हमें ४५० रुपये मिलने चाहिये तो लिखा जाता है ४५१ से अनधिक। उसका मतलब ४४९ भी नहीं। उसका गलत अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो यहां पर संख्या राउन्ड है। मैं इसको भी स्पष्ट कर रहा हूं। कटौती करना किसी वे में या किसी एक्जीक्युटिव का, कार्यकारिणी का बुन्यादी अधिकार है और कभी कर्त्तव्य भी होता है। बजट एस्टीमेट्स का मतलब यह नहीं कि जो आपने स्वीकार किया है, उतना खर्चा करना लाजमीं होगा, यह संसार में कभी हुआ नही है। कि यह एस्टीमेंट्स जितने पास हो गये उतना खर्चा करना लाजमीं होगा, कम नहीं कर सकते, मितव्ययता नहीं ला सकते। ऐसा न हमारे बजट मैंनुअल में है, न कहीं है, न हो सकता है, न कभी हुआ है कि एस्टीमेंट्स में कोई बचत, इकोनामीं नहीं हो सकती वह तो एक लिमिट है श्रीमन्। इसीलिये हमारे यहां दो प्रकार की कमेंटीज हैं जो इस विषय पर बिचार करती हैं एक एस्टीमेट्स कमेटी और एक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी। हमारे यहां की एस्टीमेट्स कमेटी विभागीय अनुदानों के पास होने के बाद यह देखती है कि जो अनुदान प्राक्कलन के रूप मे आये, ग्राट्स के रूप में जो पास हुये उनमें कुछ बचत हो सकती है एस्टीमेंट्स के रूप में और वह एक सफल हथियार के रूप में कमेटी कार्य करती रही है और श्रीमन् आपने देखा होगा कि ऐस्टीमेंट्स कमेंटी की संस्तुतियां, प्रतिवेदन आये हैं सदन में, बिचार भी हुआ है शासन ने बहुधिक संस्तुतियों को कार्यान्वित भी किया है।

पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी वह कमेटी है जो कि खर्चा आडिट होने के बाद एक निष्पक्ष कांप्ट्रोलर जनरल आफ इंडिया के नीचे जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरह हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह से एक कम्पलीट आटोनामस बाडी है, उनके रेप्रेजेंटेटिव यहां आडीटर जनरल हैं वह आडिट करते हैं और वह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत होती है और प्रत्येक विभाग का जो खर्चा हुआ आडिट के साथ उन पर सदन की कमेटी विचार करती है और लगभग उसकी सभी संस्तुतियां शासन मानता है। दो चार उदाहरण रहें होंगे जब उनकी संस्तुतियों को नहीं माना गया और उसको फिर सदन में मामले को लाया गया कि क्यों नहीं माना गाया।

अब सदन में प्रो० हेराल्ड लास्की ने इस विषय पर "रिक्लेक्शंस आन दि कांस्टीट्यूशन" में जो लिखा है उसका हवाला देना चाहता हूं। माननीय नेता सदन नें उनका हवाला दिया था। उन्होंने इस विषय पर बड़ी चर्चा की है। मैं अंग्रेजी का पढ़ना चाहूंगा और फिर उसका अनुवाद भी करना चाहूंगा। पृ० ३८ से ४२ पर है--

(,I cannot agree that the House of Commons should exercise a pre-natal control over estimates and I find it easy to understand why the Committee on estimates from which a generation ago some members hoped so much has in fact been an almost failure."

"मैं सहमत नहीं हो सकता कि हाउस आफ कामन्स को प्राक्कलन पर समय से प्रस्तुतीकरण से पहले, उनकी व्युत्पत्ति से पहले, नियंत्रण करना चाहिये और मैं आसानी से समझ सकता हूं कि प्राक्कलन समिति जो एक पूरी पीढ़ी पहले बनायी गई जिससे इतनीं आशाये की गई थीं वह क्यों असफल रहे।"

"In the first place, estimates are the reflection of policy and the making of policy is the function of Cabinet which seeks approval for what it proposes from the House."

"सर्व प्रथम प्राक्कलन नीति का परिणाम है और नीति बनाना यह मंत्रि परिषद् का कार्य है और उस नीति की स्वीकृति के लिये वह सदन के सम्मुख प्रस्तुत होता है, मंत्रि परिषद् प्रस्तुत करते हैं ।"

"Once you give a Committee or Committees of the House any serious right to investigate estimates, you take away from the Cabinet and from the department the responsibility that is properly theirs."

"अगर आप एक कमेंटी को या सदन की कमेटियों को कोई वास्तव में गम्भीर अधिकार देते हैं कि वह प्राक्कलनों की जांच करें तो आप मंत्रि परिषद् और उस विभाग स जिसका वह जिम्मेदार है वह अधिकार ले लेते हैं ।"

...आगे है :

"That can be seen by examining the parallel process in the United States Congress."

मैं पूरा न पढ़ कर, काफी छोड़कर पढ़ रहा हूं ।

"Finance and policy cannot really be separated from each other and the Estimates Committee even with its sub-committees can neither cover the range of the departments nor hope to change seriously the mind of Minister who knows he has the backing of a Cabinet which in its turn, knows that in the last instance it can rely upon the support of the majority in the House of Commons."

वित्त और नीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और प्राक्कलन समिति अपनी उप-समितियों सहित न तो सभी विभागों का परीक्षण ही कर सकती है और न मंत्री के दिमाग को ही बदल सकती हैं क्योंकि उसके सपोर्ट पर कैबिनेट होती है और कैबिनेट अंततः सदन में बहुमत पर निर्भर करती है ।

"To make the Estimates Committee a really successful instrument of control, it would need, first of all, an official with a status like that of the Comptroller and Auditor-General, with a staff at his disposal with the experience of the Treasury, which could count on receiving Departmental Estimates sufficiently early to be able to have examinde them fully, and to have discussed them at length with the Minister and his officials in time to reshape them in the light of such discussion before they were finally presented to the House of Commons."

एस्टीमेट्स इस प्रकार के नियंत्रण का वास्तविक हथियार बनाने के लिये जरूरी होगा कि एक ऐसा प्रभावशाली अधिकारी हो जैसे कम्प्ट्रोलर ऐंड आडिटर जनरल । फिर ट्रेजरी का स्टाफ उनके डिस्पोजल पर रहता हो जोकि डिपार्टमेंट एस्टीमेट्स को काफी समय से पहले जैसे विभाग और ट्रेजरी जांच करते हैं और फिर मिनिस्टर और उनके अधिकारियों को जांच करना है जबकि सदन में प्रस्तुत होने से पहले इतना करना हो यह सम्भव नहीं है ।

"'Not only, as I believe, is this administratively impossible, but it would eat both into the Minister's time and responsibility in a way that would, in the long run, alter the relations of legislature and executive quite fundamentally."

प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि मेरे विचार से प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह असम्भव ही नहीं

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

है बल्कि एक तरह से मंत्री का जो समय और जिम्मेदारी है उसको कम करते हुये जो सदन और सदन की कार्यसमिति कैबिनेट है उनके सम्बन्धों को बुनियादी तरीके से बदलती है ।

चौधरी चरण सिंह--

हैरोल्ड लास्की एक पोलिटिकल थिंकर थे उनकी किताब पढ़ रहे हैं । वह कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं थे । किताब तो बहुत लम्बी होगी, उसे पढ़ने से क्या फायदा ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हाई कोर्ट, कलकत्ता की एक नजीर थी कि नजीर जब देखनी चाहिये जब बेयर ऐक्ट से न चले ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं बेचारा एक अदना सा सेवक इस सदन का । मैं अपनी बात क्या कहूं । मैं तो संसार के जो विद्वान है उनकी बात कह रहा हूं क्योंकि नेता विरोधी दल के सन्मुख तो उन्हीं की बात चलती है । फिर प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की ने कहा:

"A wise House of Commons, therefore, will, in my view, be satisfied with the post-natal control it exercises through the Public Accounts Committee, and that vital officer of the House, the Comptroller and Auditor-General."

एक बुद्धिमान सदन को इसलिये जो कंट्रोल पी० ए० सी० और कम्प्ट्रोलर और आडिटर जनरल के द्वारा किया जाता है उससे संतुष्ट होना चाहिये ।

इसी तरह श्री जे० एस० मिल की किताब "रेप्रेजेन्टेटिव गवर्नमेंट' जो दुनिया में जहां अंग्रेजी चलती है सब जगह पढ़ाई जाती है, में लिखा है:

"Parliament, accordingly, is not expected, nor even permitted to originate directly either taxation or expenditure. All it is asked for is its consent, and the sole power it possesses is that of refusal."

श्रीमन्, यह जे०एस० मिल का कहना है । अगर मंत्रि परिषद् गलती करती है तो मंत्रि-परिषद् को बदलने का अधिकार हर समय पार्लियामेंट को है । अब मैं माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान एक और उनके कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं... (व्यवधान)...

चौधरी चरण सिंह--

प्वाइन्ट आफ आर्डर । अगर कोई कोटेशन आदि ही आपको देना है तो हाउस आफ कामन्स का दें या स्पीकर की किसी रूलिंग का उदाहरण दें, पोलिटिकल फिलास्फर्स ने क्या कहा है, उनकी राय देने से क्या लाभ है ? आप फिलास्फर्स की यहां बात कर रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् मुझे खेद है कि मैंने माननीय नेता विरोधी दल को नाराज कर दिया । मैं तो केवल यह धृष्टता कर रहा था कि इन विद्वानों ने इस विषय पर जो अपने विचार व्यक्त किये हैं और जिनका मैंने अध्ययन किया, उसे आपके समक्ष रख रहा था । हाउस आफ कामन्सा ने इस विषय में कोई प्रस्ताव नहीं किया । न माननीय नेता, विरोधी दल ने ही कोई प्रस्ताव वहां का यहां प्रस्तुत किया ।

चौधरी चरण सिंह--

हाउस आफ कामन्स का मैंने १६७८ का प्रस्ताव पढ़ा था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह बड़े महत्व का विषय था, इसलिये जो अथारिटी मानी गयी है इस विषय की, उनकी राय मैं रख रहा था । उन्होंने दुनिया के कान्सटीट्यूशन्स का अध्ययन करके अपनी राय व्यक्त की है । अब मैं वाल्टर बैगहाट के "दि इंगलिश कान्सटीट्यूशन" के पृष्ठ १५४-१५५ के विचार पढ़ना चाहता हूं ।

"THE HOUSE HAS NO SPECIAL FINANCIAL FUNCTIONS

(From Walter Bagehot, The English Constitution, Fontana Library, ed. 1963, pp. 154-155)

"Some persons will perhaps think that I ought to enumerate a sixth function of the House of Commons a financial function. But I do not consider that, upon broad principle, and ommitting legal technicalities, the House of Commons has any special function with regard to financial different from its functions with respect to other legislation. It is to rule in both, and to rule in both through the Cabinet."

× × × × × ×

"In truth, whe na Cabinet is made the sole executive. it follows it must have the sole financial charge, for all action costs money, all policy depends on money, and it is in adjusting the relative goodness of action and policies that the executive is employed."

श्रीमन् मेरे पास और भी बहुत से कोटेशन्स है, जिनको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं । सच्चाई तो यह है कि जब यह सदन कैबिनेट को एकमात्र कार्यकारिणी शक्ति देता है तो उसको वित्तीय अधिकार होना चाहिये । क्योंकि प्रत्येक कार्य में खर्च लगता है, प्रत्येक नीति के कार्यान्वित करने में पैसा व्यय होता है और इसीलिये कार्यकारिणी का उपयोग किया जाता है ।

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन यह है कि ये जो भिन्न-भिन्न पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के विद्वान हुये या फिलास्फर, थिंकर हुये, उनके एक्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट से क्या सम्बन्ध है, उनके क्या-क्या अधिकार है, यह एक बहुत ही गहन विषय है, और इस पर लेक्चर हो सकता है । लेकिन यहां तो एक सीमित प्रश्न है और सीमित प्रश्न यह है कि क्या इस सदन का फाइनेंशियल कंट्रोल है ? और अगर वित्त मंत्री के कथनानुसार कैबिनेट को सारा अधिकार है तो उसका अर्थ यह हो जाता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है । और अगर फाइनेंशियल कंट्रोल है तो यह सदन किस तरह से एक्सरसाइज करेगा, कैसे बजट पास होगा, सारी बातें प्रक्रिया नियमावली में दी हुई हैं । जिस तरह से १५ परसेंट की कटौती होने की बात है, बजट पास होने के बाद आपको पूरा अधिकार है कटौती करने का लेकिन जब तक बजट पास नहीं होता, सदन के सामने यह प्रश्न रहता है कि कितना टैक्स लगेगा, कैसे डैफिसिट को पूरा किया जायेगा, यहां तो बहुत ही सीमित प्रश्न है, कोई फिलासिफिकल बात नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने इसलिये इसका उल्लेख किया कि...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वित्त मंत्री जी का अध्ययन बहुत ज्यादा है और वे काफी पढ़े लिखे विद्वान हैं लेकिन जिस तरह की बात आप कह रहे है और जिस उसूल व सिद्धांत की चर्चा आप कर रहे हैं पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की या और विद्वानों ने जो लिखा है उन सारी बातों की--एक साधारण बात है कि जैसा आप कह रहे हैं, यदि सारा अधिकार कैबिनेट को है तो फिर सदन को बुलाने की आवश्यकता ही क्या है ? बजट आप पास कराते जा रहे है और उसकेपास होने के पहले ही कटौती कर दी गयी है आपने अपने अधिकारियों और वित्त सचिव को बुलाया और कटौती कर दी। फिर आप हम लोगों से बजट पास कराना चाहते है। मैं समझता हूं कि यह गलत है । हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और इतनी मोटी-मोटी किताबें अपनी पीठ पर बांधे हुये नहीं रखते हैं । एक साधारण सी बात मैं जानता हूं जो हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गयी है कि अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिये आप नाना प्रकार की पुस्तकें लाकर बहुत सारी दलीलें दे रहे हैं और सही चीज को गलत साबित करना चाहते हैं ।तो उस दलील को मैं नहीं मानता । आप अगर सत्य को असत्य साबित करेंगे तो जो यह सदन के सदस्य है, जो आपको बुद्धिमान मानते हैं वह नहीं मानेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल की ओर से एक अत्यन्त महत्व का प्रश्न उठा । उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमेटी का रिवाइवल किया जाना चाहिये तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने यह व्याख्या दी । धृष्ठता की क्षमा चाहता हूं ।

मान्यवर, कटौती की जो बात है, जो कटौती का प्राविधान है, कटौती का अधिकार है उसके अन्दर व्यय एक बार यह सदन पास करता है । खर्च करने का अधिकार कैबिनेट का है । खर्च करने के बाद आडिट करने का और आडिट करने के बाद उसको सेंसर करने का अधिकार पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को होता है ।

श्रीमान्, जो नेता विरोधी दल ने कहा, उसके बारे में तो मैंने पूर्णतः उल्लेख अपने बजट भाषण में कर दिया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अलग से लिया जाय। इकोनामी एक चलती हुयी चीज है । मान्यवर, इस साल का बजट मार्च ३१, के पहले पास हो जाना चाहिये था । चुनाव होने के कारण ४ महीने बाद उस पर वोट आन एकाउन्ट लेना पड़ा । आप कल्पना करें ४ महीनें पहले बजट....

चौधरी चरण सिंह--

यह कटौती है या इकोनोमी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि बिना कटौती के इकोनामी हो ही नहीं सकती ।

इकोनामी का अर्थ है कि बजट में मितव्ययिता ।जो व्यय मंजूर हुये है उनमें कटौती किये बिना मितव्ययिता हो ही नहीं सकती है ।इकोनामी का मतलब है कटौती । श्रीमन् मैंने जो बजट भाषण दिया है । उसके पृष्ठ ३२-३३ पर लिखा है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, अगर इकोनामी का अर्थ कटौती है तो फिर कटौती के प्रस्तावों को माना जाना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो यहां सदन में, जब अनुदान पेश हुये है, तब कटौती के प्रस्ताव रखे है । उन कटौती के प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया है । अगर इकोनामी का अर्थ यही है तो मेरे कटौती के प्रस्तावों को उन्होंने क्यों नहीं माना है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, अभी जो मंत्री जी ने कहा वह साफ नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् मैंने ३२–३३ पृष्ठ पर कहा है कि उपर्युक्त सभी प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप शेष घाटा १८.३० करोड़ रुपये रह जायेगा ।

अप्रत्याशित आपदाओं से या महंगाई बढ़ने से कुछ व्यय भार और बढ़ सकता है । लेकिन इसका सही अनुमान लगाना कठिन है । भारत के विभिन्न राजनैतिक दल इस बात से सहमत है कि घाटे के बजट से मूल्यों में वृद्धि हुयी है । अतः हमारा विश्वास है कि सदन और प्रदेश की जनता इसकी पूर्ति में हमारा साथ देगी ।

प्रदेश की जनता से इस अतिरिक्त भार को वहन करने की अपेक्षा करते समय मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि जनता यह भी चाहेगी कि सरकार स्वयं अपने व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययता बरते । तदनुसार मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाये जा चुके है । नये आयोजनेत्तर मद अब केवल मंत्रि-परिषद् की स्वीकृति से ही सृजित किये जा सकते हैं । इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये है कि सरकारी भवनों के नवीनीकरण तथा मरम्मत पर सभी खर्चों में २५ प्रतिशत की कमी कर दी जाय और मरम्मतों के ऐसे कार्य जो अगले वित्तीय वर्ष के लिये स्थगित किये जा सकते है, यथा सम्भव चालू वित्तीय वर्ष के व्यय में सम्मिलित न किये जांय यह सारी बातें मैंने कहीं है । जो कदम उठाये गये है उनके बारे में यह रखा है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रार्थना करूंगा कि नियम १८९ में विभिन्न मांगों की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । मांग में अन्तर्निहित नीति से अनुमोदन प्रकट करने के लिये एक सा प्रस्ताव "नीति अननुमोदन कटौती" कहा जायेगा । दूसरी मांग की धनराशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाय । ये दोनों जो शब्द है भिन्न-भिन्न अवसर पर इस्तेमाल किये गये है और उनके अर्थ भी भिन्न-भिन्न हैं । तो मान्यवर, ये अपनी कटौती और मितव्ययिता से क्या समझते है?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अभी तक जितनी बातें कहीं गई हैं उनका किसी का भी डिस्प्यूट नहीं है । मुख्य प्रश्न यह है कि बजट अधिवेशन चल रहा है और मांग आने वाली है जिनको कि स्वीकार करने वाले है । परन्तु उनके पहले ही निर्णय ले लिया है कि कटौती करनी है । एक इक्जक्यूटिव आर्डर से कटौती कर दिया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपलोग पूरी बात सुन लें और उसके बाद निष्कर्ष निकालें । मैं यह निवेदन कर रहा था कि मितव्ययिता और अनेक बातों का संकेत मैंने अपने बजट में कर दिया था । उसी में मैंने यह उल्लेख किया कि आयोजनेतर या आयोजनागत व्यय के पुनर्वीक्षण का कार्य यही समाप्त नहीं होगा बल्कि उसे वर्तमान बचनबद्ध मदों पर भी लागू कर दिया जायेगा और यह आशा है कि इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त बचत सम्भव हो सकेगा । तो मैंने कोई बात छिपाई

[श्री नरायण दत्त तिवारी]

नहीं है । बजट भाषण में उनका उल्लेख है । प्लान और नान-प्लान में व्यय के पुनर्परीक्षण का कार्य यहीं समाप्त नहीं होगा बल्कि उसे वर्तमान बचनबद्ध मदों पर भी लागू किया जायेगा । बजट भाषण में यह बात स्पष्ट है ।

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल से एक और आग्रह करूंगा कि क्योंकि उनको काफी अनुभव है । श्रीमान् वह यह है कि योजना काल में जो अनेक मदों के इस्टीमेट और पूरी योजना बनाकर कभी केन्द्र से और कभी प्लानिंग कमीशन से मंजूरी लेनी होती है । किन्तु पूरी स्कीम कभी यहां नहीं बनी होती है । इसलिये यदि स्कीम के लिये बजट में प्राविधान न करें तथा प्लानिंग कमीशन से भी सहायता न मिले तो इस प्रकार सदन को बार-बार कष्ट दिया जा सकता है । हर एक आइटम के लिये सप्लीमेन्टरी बजट नहीं आना चाहिये ।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य इर्रिलीवेन्ट व्याख्यान देता है तो अध्यक्ष को उसके बीच में रोकने का अधिकार है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

आप अध्यक्ष का कुछ काम तो हल्का कर ही देते हैं । मैं इस पर साफ निर्णय लूंगा । जैसा कि आपने यह कहा कि असंगत है, क्या प्रासंगिक है और क्या अप्रासंगिक । इस वक्त बहुत बहस में जाना ठीक नहीं है ।

श्री बांके लाल--

मान्यवर, मैं आपका निर्णय सुनना चाहता हूं । इसमें इतने बड़े-विद्वान बैठे हुये हैं कि २ दिन तक भाषण दे सकते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं निवेदन कर रहा था कि यह पुनर्परीक्षण बचत का अर्थ यह नहीं है कि सारे ग्रान्टों को बिल्कुल एक मिनीबस फ्लैट कट कर दिया जाय । उसका अर्थ है कि प्रत्येक विभाग अपने यहां प्रत्येक स्कीम को देखे कि किसमें कितना खर्च हो सकता है और जो माननीय नेता विरोधी दल ने सरकुलर पढ़कर सुनाया, उसके आखिर में लिखा गया है कि इस मामले की जांच करने और निस्तारित करने के लिये एक स्टीयरिंग कमेटी बनी जिसमें निम्नलिखित लोग होंगे आदि-आदि तो श्रीमन् यह प्रस्ताव लायेंगे और उन प्रस्तावों पर विचार होगा । फिर रिए-प्रोप्रियेशन की बात भी होती है कि अगर किसी एक मद में अधिक धन की आवश्यकता है और वह अपरिहार्य है जिसे यह सदन समझता है या कैबिनेट समझती है तो फिर रिऐप्रोप्रियेशन किया जाता है एक मद से दूसरे मद में । फिर मैं माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता जन-संघ दल को वह पेपर भेज नहीं सका जिसके आधार पर यह मीटिंग बुलाई गई थी । उसका आधार यह था कि बिजली की स्कीमों के लिये लगभग १२० करोड़ रुपये का प्रबन्ध करना है और भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स को पेमेंट करना है जिसे एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को करना पड़ेगा और हो सकता है कि इनफ्लैशनरी प्रेशर की वजह से रुपया न दे सकें तो हमें और विभागों से कटौती करके रुपया बचा करके पावर विभाग के बजट के रुपये को बढ़ाना पड़ेगा । यह डाकूमेंट जिसके आधार पर यह मीटिंग बुलानी पड़ी है जिसके लिये खेद है कि हम आपके पास नहीं पंहुचा सके ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यह आपके इल्हाम में कब आया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं यही तो बता रहा हूं कि कटौती से रुपया बचा करके बिजली विभाग को ज्यादा दिया जाय ताकि हमारा जो दुर्भाग्य रहा है कि बिजली हम ज्यादा नहीं बना पाये, हम खेती के लिये बिजली ज्यादा नहीं दे पाये और जरूरी कामों के लिये बिजली ज्यादा नहीं दे पाये या तो हम बिजली के सेक्टर में कमी नहीं होने देना चाहते, इसलिये दूसरे विभागों से रुपया बचाकर बिजली विभाग पर ज्यादा खर्च कर सकें ताकि वहां कोई कमी न हो ।

श्री राम सेवक यादव---

और यह जो १५ प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री राम सेवक यादव---

निर्णय नहीं लिया गया है तो आप इसे बिजली वाले अनुदान पर क्यों नहीं लाये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जो निर्णय जब आयेगा तब उसके बाद यह मसला मिनिस्टर के सामने आयेगा, उसके बाद कैबिनेट के सामने आयेगा । और यही नहीं वह सब बातें मैंने अपने भाषण में संकेत में कह दी थीं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं कि इन्होंने डबल जुर्म कर दिया कि पहले तो कटौती थी अब मितव्ययिता भी है । तो अब यह मितव्ययता के द्वारा कटौती को बढ़ायेंगे । आप कृपया यह बता दें कि कटौती और मितव्ययितामें अन्तर नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

इन दोनों शब्दों में क्या अन्तर है यह माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन् आपने तो हमारे क्वेश्चन को टाल दिया जिसे हमें शिरोधार्य करना पड़ेगा लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि अन्तर क्या है इसीलिये आपसे पूछना है ।

श्री अध्यक्ष---

सदन और सदन के माननीय सदस्यों द्वारा जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह तो स्पष्ट होते हैं, लेकिन सदस्य अर्थात बाहर के लोग कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो उसके लिये हम कैसे कहें कि किस अर्थ में किसने प्रयोग किया है, किन-किन भिन्न-भिन्न अर्थों में उस शब्द का प्रयोग हो रहा है । माननीय त्रिपाठी जी का इशारा बाहर से है ।

*चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बिना किसी मजमून के वह घंटों बोल सकते हैं, यह मुझे पहले मालूम नहीं था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मजमून आपका था बोली मेरी थी ।

चौधरी चरण सिंह--

जो मजमून था वह सीधा सा था और वह यह है कि आया जब सदन चल रहा है तब बजट पेश करने के बाद और मुहकमें के एस्टीमेट्स पर वोट लेने से पहले एक आर्डर गवर्नमेन्ट का चला जाता है कि १५ परसेंट या ५ परसेंट की कटौती हो जावे, क्या यह ठीक है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

वह कटौती नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह--

कटौती तो स्वयं आपने कहा है जैसा मैंने पढ़कर सुनाया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

वाराणसी के कलेक्टर और ए० डी० एम० ने कहा है कि वह आदेश पहुंच गये हैं और कटौती शुरू हो गई है ।

चौधरी चरण सिंह--

जिलों में सभी जगह आदेश पहुंच चुके हैं। शासन के समस्त सचिवों को यह पहुंच चुके हैं। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा नहीं है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मितव्ययिता की एक्सराइज की जा रही है और इसका मैंने कारण भी बतला दिया है । अगर सरकार मितव्ययिता करना चाहती है तो इसमें आपको एतराज क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका मतलब यह है कि यह आदेश आपने बजट भाषण के परिपेक्ष में किये हैं और समझबूझ कर किये हैं।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है, अर्धशासकीय पत्र जी० ओ० और डी० ओ० एक ही बात है । क्या यह डी० ओ० अमल करने के लिये नहीं गया है । आप कहते हैं कि मितव्ययिता और कट में कोई फर्क नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि हम कटौती नहीं कर रहे हैं बल्कि बचाव कर रहे हैं, जिसको चौधरी साहब कटाव मानते हैं । अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या कटाव और बचाव में फर्क नहीं है। रिडक्शन और कट इकानामी से अलग है । अध्यक्ष महोदय, यही नहीं उससे पहले कह रहे हैं कि टेलीफोन का खर्च कम करने को लिखा है । बेशक, इसे मैं इकानामी में लूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहराता हूं । यह है कि शासन के विभागों में होने वाले रेगुलेटरी और नाग रेगुलेटरी विभागों के खर्च में १९७४-७५ में क्रमशः ५ और १५ प्रतिशत कटौती के आदेश गये हैं । इसके मुताबिक १५ करोड़ को १२.७५ करोड़ कर दिया जावेगा । यह सभी विभागों में किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, नेगी जी ने इशारा किया था ४५ करोड़ का घाटा है और २७, २८ करोड़ के टैक्स लगा दिये हैं । १५ प्रतिशत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में और ५ प्रतिशत एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में कमी कर रहे हैं । दोनों का औसत १० प्रतिशत होता है । ८ अरब की टोटल फीगर्स है । एक अरब के करीब बचत कर रहे हैं । ४५ करोड़ डेफिसिट दिखाते हैं । टैक्स भी लगाना चाहते हैं और मैंने तो मान भी लिया है लगा चुके हैं ।

मैं मानता हूं कि छोटी-मोटी गल्ती एक दो लाख की रह सकती है। लेकिन यह जो इस तरह से आपने कट किया है, और कहते हैं कि नहीं किया, यह तो साफ गलत-बयानी कर रहे हैं। दिल में समझते हैं कि गल्ती की है, लेकिन मानते नहीं। माननीय वित्त मंत्री जी ने हेराल्ड लास्की और मिल को कोट किया। ठीक है, वे एक बहुत बड़े थिंकर की बात की है। एक हेड, इनसाइक्लोपीडिया सा, रखा. . . फाइनेन्शियल प्रिविलेज के बारे में। विधान सभाओं को फाइनेंस पर कंट्रोल करने का अधिकर है। वह १६७८ के रेज्युलूशन पर पास है। उस रिज्युलूशन के बाद में क्या अमेंडमेंट आये, बतलाया नहीं। एक जनरल बात कर रहे हैं। कोई मिशाल नहीं दिया कि बजट पर बहस चल रही है, और उसके पीछे आर्ड्र्स जाता है कट का और हाइयर फीगर्स पर वोट लिया जा रहा है। मान्यवर, इससे बढ़कर कन्टेम्ट आफ हाउस नहीं हुआ है। आप किस पर वोट ले रहे हैं ? आपने खुद तय कर लिया कि वह एमाउन्ट नहीं खर्चेंगे ? इस तरह से बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है, सदन को और इस प्रदेश के ९-१० करोड़ आदमियों को। एक मामूली डिबेट में भी इस तरह की बात नहीं होती। इस तरह से तो डिबेट का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये अपनी काबलियत से एक गलत चीज को ढंकना चाहते हैं। फाइनेन्शियल कमेटी की बात की। मैं कहता हूं कि इस्टीमेंट्स कमेटी के रूल्स में लिखा है, २३० में। उसको क्यों नहीं निकाल देते। मैं कहता हूं कि आपकी सारी दलील अनरियल हो जाती है। चीफ सेक्रेट्री उस आर्डर के संदर्भ में जिसका मैंने जिक्र किया है। अतः मैं अर्ज करूंगा कि यह जो अप्रोप्रियशन बिल जिस ढंग से लाना चाहता है, वह गलत है और इसको ये उस तरीके से पेश नहीं कर सकते।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से केवल दो आग्रह करना चाहता हूं। मा०चौधरी साहब यह कहना चाहते हैं कि जो भी धनराशि सदन द्वारा पास की जाती है, उसका पाई का पाई खर्च करना चाहिये। उस पर सदन का नियंत्रण होना चाहिये। लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहली बात यह है कि प्रत्येक अनुदान इसी बजट में व्यवस्थित है। नयी स्कीमों के लिये लमसम १००रुपये पास कर देते हैं और आगे चल कर उसी धनराशि पर १ लाख, २ लाख खर्च होता है। फिर पुनरीक्षित अनुमान सदन के सामने लाये जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी धनराशि बजट में व्यवस्थित की गयी हो वे धनराशियां आपके नियंत्रण के बाहर हैं।इसी के लिये लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समितियां गठित की गयी हैं।

चौधरी चरण सिंह—

मैं केवल यह कह रहा हूं कि आपको १० करोड़ रुपया हाउस से नहीं मांगना चाहिये अगर आपने यह तय कर लिया हो कि केवल १७ करोड़ रुपया ही आपको खर्च करना है।

श्री रामायण राय—

हमारी तरफ से बार-बार यह जोर दिया गया कि हम मितव्ययिता करना चाहते हैं और मितव्ययिता तथा कटौती में एक बुनियादी अन्तर है।

श्री बांकेलाल—

पूरे सदन को मूर्ख बनाकर आप यह करना चाहते हैं।

श्री रामायण राय—

जब कोई योजना काट दी जाय, खत्म कर दी जाय तो वह कटौती है और जब उस योजना पर निर्धारित धनराशि को कुशलतापूर्वक खर्च करके उस धनराशि को कम खर्च किया जाय तो यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]
मितव्ययिता हुई जैसे स्टेशनरी पर १ हजार रुपया निर्धारित किया लेकिन कुशलतापूर्वक ८०० खर्च करके काम चलाया तो यह मितव्ययिता हुई और किसी विशेष योजना को हटा देना कटौती होती है। शासन की ऐसी नीयत नहीं है। इसलिये मुख्य मंत्री जी ने उस दिन इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अध्यक्ष---

दिनांक २५-७-७४ को वर्ष १९७४-७५ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या ३२,७४, ४०, ४२ और ७४ को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने के समय माननीय नेता विरोधी दल ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय मुख्य मंत्री इन अनुदानों को प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा उन्हें निश्चित रूप से ज्ञात हुआ है कि सरकार ने ऐसे अनुदानों पर १५ प्रतिशत कटौती करने के आदेश दिये हैं और इस प्रकार जो अनुदान प्रस्तुत किया जा रहा है, वह अवास्तविक होगा माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके उत्तर में यह कहा कि अनुदानों में कटौती के आदेश नहीं हुए हैं बल्कि कुछ खर्च में १५ प्रतिशत की कमी के आदेश दिये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीने यह भी कहा कि सदन द्वारा अनुदानों की मांग स्वीकार किये जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह सारा धन खर्च ही कर दिया जाय, उसमें शासन मितव्ययिता लाने के लियें कमी भी कर सकता है। माननीय नेता विरोधी दल ने शासनादेश की प्रति प्राप्त करने के उपरान्त यह इच्छा जाहिर की कि उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया है इसलिये यह आज के लिये टाल दिया जाय यानी २९ के लिये टाल दिया जाय। आज माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता जनसंघ, माननीय गोबिन्द सिंह नेगी, माननीय काशीनाथ मिश्र, माननीय वित्त मंत्री तथा श्री रामायण राय आदि सदस्यों को सुना। (व्यवधान)। तथा उनके तर्कों व विवेचना से मैं अवगत हुआ। इस संबंध में मेरी जो व्यवस्था है उसे आप सुनें....

चौधरी चरण सिंह---

मैंने जो इस संबंध में कहा है उसे कदाचित् आप समझे नहीं।

श्री अध्यक्ष---

आप चाहते हैं कि इसको सुरक्षित रखूं।

चौधरी चरण सिंह---

हां सुरक्षित रखें। यह अप्रोप्रियेशन बिल भी कल ही आवे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने एक बात कही उस पर आपने कहा कि आपको मौका होगा। जब मैंने वह बात आज पुनः कही तो मैं यह समझता हूं कि आपके मस्तिष्क पर उसका जरूर प्रभाव पड़ा होगा।

श्री अध्यक्ष---

पड़ा है

चौधरी चरण सिंह---

यदि प्रभाव पड़ा है तो यह जो आपकी रूलिंग पहले से लिखी हुई है वह....आज की बातों पर विचार करके रूलिंग दें....

श्री अध्यक्ष---

केवल पढ़ ही नहीं रहा हूं। अभी जैसे कि २५ के बाद एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा वह कैसे रख दिया। अब माननीय नेता विरोधी दल की मंशा यह है और यह अपेक्षा कर रहे है कि मैं इस पर स्वतंत्रतापूर्वक और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दिमाग का प्रयोग करते हुए इसकी रूलिंग को सुरक्षित रखूं तो मैंने उनकी बात मान ली है।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

विरोध पक्ष की उदारता को मैंने कदम-कदम पर देखा है। आपने मांगों के अतिक्रमण की बात भी स्वीकार की यानी जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुए वे मांग ला रहे हैं अर्थात् समायोजन की जो प्रक्रिया सरकार की ओर से चल रही थी, अनिर्णीत स्थिति थी उसमें आपका मन ऐसा था कि उदारता पूर्वक सरकार द्वारा मांग के ऐसे प्रस्ताव लाने के लिये आपको कोई आपत्ति नहीं है .....

चौधरी चरण सिंह---

यह बिल भी कल ही लेते। आज लेने पर तो बजट का उसमें हमारी बात का क्या महत्व होगा और सदन का उस पर क्या अधिकार रह जायेगा .....

श्री अध्यक्ष---

जब अतिक्रमण अनुदान रखा गया तो उसके सिलसिले में वित्त मंत्री ने कहा कि हमें उसे अतिक्रमित करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ रुपया दिल्ली आदि से मिलने वाला था, नहीं मिल रहा है। तो मैं इस रूलिंग को सुरक्षित रख रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने उसे रोक दिया, हो सकता है वह हमारे ही फेवर में हो।

श्री अध्यक्ष---

हम तो आज ही करने जा रहे थे।

चौधरी चरण सिंह---

तो एप्रोप्रियेशन बिल भी कल ही के लिये रखना होगा? हो सकता है आपकी रूलिंग हमारे माफिक हो, अगर यह सम्भव है कि आपकी रूलिंग हाउस के हक में होगी।

श्री अध्यक्ष---

हां, रूलिंग तो हाउस के हक में होगी ही लेकिन आपने इस संबंध में जो उत्तरदायित्व-पूर्ण ढंग से तर्क किया है उससे मैं अवगत हूं।

१९७४-७५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ८--स्टाम्प एवं पंजीकरण, अनुदान संख्या ११--बिक्री-कर, अनुदान संख्या १४--अल्प बचतों की प्रोन्नति तथा अनुदान संख्या २०--कोषागार तथा लेखा प्रशासन (क्रमागत)

श्री नारायण दत्त तिवारी (वित मंत्री)---

श्रीमन्, इसमें जो प्राविधान है वह अल्प बचत योजनाओं से लेकर स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन बिक्री-कर आदि कुछ विभागों के संबंध में धनराशि स्वीकार करने के प्रसंग में है। श्रीमन्, पिछले वर्षों में सेल्स-टैक्स से जो आमदनी हमारे प्रदेश को हुई है उसमें काफी वृद्धि हुई है।

१९७०-७१ में लगभग ५२ करोड़ रुपये की आमदनी सेल्स टैक्स से हुई थी। हमारे सेल्स टैक्स विभाग ने मेहनत करके और एक पुनर्संगठन के रूप में सारे प्रदेश में व्यवस्था करके पिछले तीन वर्षों में सेल्स टैक्स की आमदनी में काफी वृद्धि की है। १९७३-७४ में जो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अनुमानित आमदनी है वह ८३ करोड़ के लगभग सेल्स टैक्स से होने वाली है, जब कि १९७२-७३ में ७० करोड़ । १९७३-७४ में १३ करोड़ बढ़ी है हमारे राजस्व में सबसे अधिक आमदनी सेल्स टैक्स से ही हो रही है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो हमने कदम उठाये हैं, एक तो चेक पोस्टों का निर्माण किया गया है, और १५ चेक पोस्ट बनायी गयी हैं । इस प्रकार जो इवेजन होता था कि उसको रोकने की चेष्टा की । जो सदन ने निर्णय लिए उनको देखते हुए इस वर्ष हमारी आशा है कि सेल्स टैक्स से होने वाली आमदनी लगभग १०० करोड़ की हो जायगी । मैं मानता हूं कि हमारे प्रशासन में भी कई कठिनाइयां हैं, शिकायतें भी हैं ।

(इस समय २ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

अपवंचना की बहुत गुंजायश है । लेकिन जो हमने बीच में सेल्स टैक्स प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिये योजनायें बनायी हैं, जो इवेजन रोकने के लिये सेल्स टैक्स के विजिलेंस स्क्वाड ने व्यापक रूप से छापे मारे हैं, उनसे आमदनी बढ़ाने में, अपवंचना रोकने में काफी सफलता मिलेगी । श्रीमन्, इस दौरान में इस बात की चेष्टा की गयी कि बकाया की वसूली बढ़े । बहुधा सदन में ऐसे प्रश्न आये हैं कि बकाया की वसूली तेजी से नहीं हो रही है। श्रीमन्, १० जिलों में हमने विशेष व्यवस्था की है जिसको अन्दर १० टीम्स बनायी गयी हैं, डिप्टी कलेक्टर भी नियुक्त किये गये हैं, और सेल्स टैक्स विभाग के सीधे प्रशासन के अन्तर्गत दस जिलों में बकाया की वसूली हो रही है। पिछले वर्ष इसका परिणाम हुआ कि सेल्स टैक्स की बकाया की वसूली में २८ प्रतिशत वृद्धि हुई । जबसे हमने नया प्रशासन लागू किया है, अभी हाल में हमने जो दस जिले लिये हैं जहां पर ज्यादा आमदनी होती है सेल्स टैक्स से, जिले के अधिकारियों की बैठक बुलायी ताकि कोआर्डिनेटेड इफर्ट हो और सेल्स टैक्स की वसूली हो सके ।

इसी प्रकार स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग की आमदनी बढ़ाने अपवंचना को रोकने का प्रयत्न है, वह भी जारी है। इस दिशा में इस बात की आशा है कि १८ करोड़ रुपये की आमदनी १९७३-७४ में हमें स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत होगी । यह तब है जब कि शहरी क्षेत्र में भूमि की बिक्री-कर रुकावटें लगी हुई हैं । हमने चेष्टा की है, रजिस्ट्रेशन में बहुत शिकायतें रही हैं कि मूल्यांकन ठीक प्रकार नहीं होता । जिला अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं मूल्यांकन का फार्मूला जो मार्केट वैल्यू है उसके अनुरूप, एक फार्मूला तय हो जाना चाहिये । हम सब रजिस्ट्रार पर नहीं छोड़ना चाहिये, स्टाम रजिस्ट्रेशन का वैल्युएशन डिस्ट्रिक्ट स्टाम्प आफिसर के रूप में पास कर दे, उसमें चोरी की संभावना रहती है । हर जिले के अधिकारी से कहा जा रहा है कि मूल्यांकन ठीक हो, इसकी व्यवस्था करें । लेकिन हर जिले में अब तक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट जज होते थे । इससे बड़ी कठिनाई होती थी और उनकी जो जिम्मेदारी है उनसे यह अपेक्षा करना कठिन होता था, वैसे वे बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन यह उनकी जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं था कि वह जिला रजिस्ट्रार का भी काम करें । इसलिये हमने डिस्ट्रिक्ट स्टाम्प आफिसर डिस्ट्रिक्ट एन्टरटेनमेंट आफिसर तथा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टार का काम करने के लिये, उनके पास पहले से जिला शासन का भी बहुत काम होता था, इसलिये वे इधर ध्यान बहुत कम दे पाते हैं । इसलिये निर्णय लिया गया है कि निकट भविष्य में जिला रेवेन्यू आफिसर कायम किये जायं जिला काडर में जो जिला रजिस्ट्रार का भी काम करें, जिला स्टाम्प आफिसर का भी काम करें और जिला एन्टरमेंट आफिसर का भी काम करें तथा विभिन्न राजस्व की वसूली ठीक हो रही है या नहीं और अपवंचना तो नहीं हो रही है । इसको भी देखें । कुल राजस्व के कार्य को देखें और लगान से परे जितने भी राजस्व के दायित्व हैं उनका भी मूल्यांकन करें। यह हमारी कल्पना है । इसीलिये यह नया पद सृजित

किया गया है । जिला स्टाम्प आफिसर के न होने से जो अपवंचना की शिकायतें रहती है वह बहुत कम हो जायेंगी । इसका भी प्राविधान किया जा रहा है ।

जिला अल्प बचत योजना के क्षेत्र में पिछले वर्ष में काफी तरक्की की है । यह हमारे कार्यकर्ता और एजेंट बधाई के पात्र है कि हमारा प्रदेश इसमें सारे देश में दूसरे स्थान पर है । पश्चिमी वेस्ट बंगाल पिछले वर्ष प्रथम रहा और हमारे प्रदेश का दूसरा स्थान रहा । इससे पहले महाराष्ट्र पहले नम्बर पर था और हमारा प्रदेश दूसरे नम्बर पर था । व्यक्तिगत खातों में हमारा पहला नम्बर है । १९६९–७० में अल्प बचत योजना की शुद्ध उपलब्धि २२ करोड़ ९७ लाख थी यानी २३ करोड़ के लगभग थी । १९७३–७४ में जो शुद्ध उपलब्धि है वह लगभग ७० करोड़ है । इस प्रकार से लगभग तिगुनी उपलब्धि स्माल सेविंग से हुई है । हमें इस चेष्टा को आगे बढ़ाना है और हमारा लक्ष्य यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में ५०० करोड़ की उपलब्धि हमारे प्रदेश में इससे हो जब कि चौथी पंचवर्षीय योजना में २०३ करोड़ रुपयें हुई है । इससे हम दुगुनें से ज्यादा रखना चाहते हैं क्योंकि इसमें दो तिहाई भारत सरकार से वापस आ जाता है । जितना हम इसमें धन इकट्ठा करते हैं उसका दो तिहाई हमें मिलता है । जितनी हम बचत करें उतना ही हमें लाभ होता है । मुझे आशा है कि सदन के माननीय सदस्य इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिये सभी अपना पूरा योगदान देंगे । उसी प्रकार से इस बजट में जो अन्य वित्त विभाग से सम्बन्धित अनुदान हैं उसके सम्बन्ध में प्राविधान है । मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करें ।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८––स्टाम्प एवं पंजीकरण के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११––बिक्री-कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४––अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०–कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिक्री-कर अपने प्रदेश की आमदनी का सब से बड़ा स्रोत है । १९४८ में बिक्री-कर लगाते समय कहा गया था कि जनता पर थोड़ा सा बोझ सरकार लादना चाहती है प्रगति और विकास के लिए । सरकार को एक करोड़ या इससे अधिक कुछ रुपयों की आवश्यकता है । इसीलिए जनता थोड़ा सा बोझ उठाये और यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्य प्रकाश]

कह कर अपने प्रदेश में पहली बार बिक्री-कर लगाया गया और पहले बहुत थोड़ा था। यह कर पहले १ रुपये पर एक पैसा के हिसाब से शुरू किया गया तब से यह रेट्स बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। और यह आज जनता के लिये सबसे बड़ा बोझ सिद्ध हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी यह पैदा हो रही है कि आज यूनिफार्म रेट्स नहीं हैं। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के रेट्स लागू हैं। इसलिए तमाम करदाताओं को इससे परेशानी हो रही है और जो एसेसी है उनको भी परेशानी हो रही है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि सेल्स टैक्स की दरें यूनिफार्म हो जायें। इससे टैक्स का इवेजन भी कम होगा। इसका कारण यह है कि दूसरे प्रदेशों में किसी आइटम पर सेल्स टैक्स कम रहता है और अपने यहां अधिक रहता है तो निश्चय ही इसका असर व्यापारी पर पड़ता है और वह थोड़े से लालच में इवेजन पर लग जाता है। तो मेरा निवेदन है कि सेल्स टैक्स की दरें यूनिफार्म की जानी चाहिए। हमारा तो यह मत है कि यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए और जो उत्पादन कर है उसको नियमित किया जाये, और उसको ही लगाया जाये तो जो काम्पलीकेशन हैं वह दूर हो जायेगा। इसलिए मेरी यह मांग है कि वर्तमान रेट्स कम किये जायं। पूरे राज्य में यूनिफार्म किये जायं और दर ३ प्रतिशत से अधिक न रखी जाय।

इसके अलावा भारी जो रेट्स हैं, भारी सेल्स टैक्स की दरें हैं, उनके कारण से जनता में बड़ी परेशानी हो रही है। आज जो खरीदार है वह वैसे ही चीजों की महंगाई से परेशान है और उसके बाद जब आप १० प्रतिशत, १२ प्रतिशत उनसे टैक्स वसूल करते हैं तो वह उनके व्यक्तिगत जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। हमारे जो बड़े- बड़े फिक्स्ड में डिपाजिटर्स, भी प्रकार की बातें करते हैं। जो सरकारी कर्मचारी है, वह भी चाहता है कि बिना टैक्स से बाजार से चीजें मिल जायं। अगर हमको जनता को ईमानदार बनाना है और हमको दूकानदार को ईमानदार बनाना है तो इन टैक्स की दरों पर मौलिक रूप से विचार करना पड़ेगा। इनकी दरों को यूनिफार्म करना पड़ेगा। इनकी दरों को घटाना पड़ेगा। इसके अलावा अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे हम यह देख रहे हैं कि उन पर भी टैक्स लिया जाने लगा है और हर साल टैक्स को बढ़ाने के लिए और नये-नये आइटम्स जोड़े जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें अभी कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री सत्य प्रकाश--

मैं कह रहा था कि सेल्स टैक्स में बहुत सी वस्तुएं ऐसी थीं कि जिन पर छूट थी लेकिन अब शासन की प्रवृत्ति ऐसी होती जा रही है कि धीरे-धीरे जो भी वस्तुएं गरीब लोगों के काम आती हैं छोटे-छोटे समुदायों के काम आती हैं उन चीजों पर टैक्स लगाया जा रहा है। ७ परसेंट, १० परसेंट, १२ परसेंट टैक्स उन पर भी लगाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण सरकार का निर्णय था। अन्न तो गरीब लोग, मजदूर लोग ज्यादा खाते हैं, वही ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उनके ऊपर इस टैक्स का सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कोई भी सरकार जो गरीबी हटाओ, गरीबों को बचाओ का नारा लगाती हो अन्न पर टैक्स नहीं लगायेगी। पहले यह टैक्स आधा प्रतिशत लगाया गया, फिर उसके बाद १ प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके लगा दिया गया। मई, १९७३ से ४ प्रतिशत क्रय कर लगाया गया। यह कर खाद्यान्नों के प्रथम क्रेता से लिया जाता है।

मान्यवर, इसमें भी बड़े कम्प्लीकेशन्स पैदा हो गये हैं और जितने भी व्यापारी हैं वे मान-लीजिए कि कोई ५० लाख की बिक्री करता है तो ४० लाख रुपये का डिक्लेरेशन फार्म लेना पड़ता है। और १० लाख रुपया १० प्रतिशत से टैक्स चाल कर देते हैं और डिकलेरेशन फार्म्स लेना

और उनकी जांच कराना यह एक लम्बी प्रक्रिया सेल्स टैक्स विभाग ने जारी की है। पहली बात तो यह कि अन्न पर टैक्स लगाना यह बहुत निन्दनीय है। गरीब लोग, रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग ही अन्न ज्यादा खाते हैं, बड़े लोग तो दूध, अंडा, फल मेवा आदि खाते हैं, अन्न तो वे बहुत कम खाते हैं। इस प्रकार से यह गरीब लोगों पर ही टैक्स लगाया गया है। आज मेरी मांग है कि सरकार इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और खाद्यान्नों पर लगाया गया टैक्स वापस ले।

फर्टिलाइजर पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। जो किसान की उत्पादक चीजों के विकास के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उन पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। प्रदेश के किसानों ने सरकार से मांग की है कि फर्टिलाइजर पर टैक्स नहीं होना चाहिए किन्तु उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब कि फर्टिलाइजर का दाम पहले से कई गुना अधिक हो गया है, तो सरकार को इस अवसर पर कृषि की उन्नति को ध्यान रखते हुए इस प्रश्न पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार को उस पर से सेल्स टैक्स माफ करना चाहिये। खाद्यान्नों से सरकार को ३ या ४ करोड़ की आय होती है। हम यह टैक्स दूसरे तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि खाद्यान्नों से हटाकर यह सरकार गरीबों को राहत पहुंचाये।

२३ मई, १९७४ को सेक्शन ३ लागू किया गया है इसके अनुसार उत्पादक जो माल खरीदेगा उसको परचेज टैक्स देना पड़ेगा उत्पादक जो भी रामैटीरियल बाजार से खरीदेगा, उसको क्रय-कर देना पड़ेगा और जब माल को तैयार करेगा तो अपने उत्पादन पर उसे सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। इस प्रकार से १९७३ से डबल टैक्स प्रणाली चालू हो गयी है। यह भी बड़ा चिन्ता का विषय है। इससे हमारे उत्पादन और उत्पादकों पर बड़ा असर पड़ेगा और जो छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज है, उनका विकास रुक जायगा। बड़ी इन्डस्ट्रीज पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि जब कच्चे माल पर सेल्स टैक्स पड़ेगा तो तैयार हुए माल पर टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो उपभोक्ता जो है, उसकी जेब पर भी टैक्स पड़ेगा। मिशाल के रूप में जो खाली शीशियां है, या ग्लास का जो सामान है, उन पर१० प्रतिशत तो सेन्ट्रल एक्साइज पड़ेगा और ७ प्रतिशत उस पर सेल्स टैक्स और जब इनका उपयोग किसी द्वारा किया जायगा अन्य वस्तु के साथ इनका उपयोग किया जायगा तो फिर सेन्ट्रल एक्साइज आरोपित होगी। इस प्रकार से ३४–३५ प्रतिशत तक उपभोक्ता के ऊपर टैक्स पड़ जाता है तो यह विषय भी ऐसा है कि जिस पर हमारी सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और टैक्सों पर टैक्सों के लेने की जो प्रवृत्ति हो रही है उसे समाप्त किया जाय। यह उसी प्रकार से हो रहा है जैसे किसी आदमी के पास एक मुर्गी थी, वह सोने का एक अंडा रोज दिया करती थी। मुर्गी के मालिक ने सोचा कि बजाय एक सोने का अंडा रोज पाने के एक ही दिन क्यों न प्राप्त कर लें। तो उसने मुर्गी का पेट चीर डाला। इस प्रकार से जो एक अंडा प्रति दिन के हिसाब से उसे मिलता था वह भी बन्द हो गया। जनता की जेब निश्चित है, टैक्स का कितना बोझ उसकी जेब संभाल सकेगी, सरकार को इसका ध्यान होना चाहिए। जैसे कोई गाय के लिए निश्चय कर लें कि इतना दूध देती है अगर कोई बेवकूफ उस निश्चित मात्रा से उसका दूहन करता है तो बजाय दूध के उसके थनों से खून आने लगता है। इसी प्रकार के कार्य यह सरकार कर रही है। एक तो हमारी जनता पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है और दूसरे यह सरकार और टैक्स लगाती है, डबल टैक्स लगाने का कार्य इस सरकार द्वारा हो रहा है। जनता की अब स्थिति वह हो गयी है जैसे गाय की दूध के स्थान पर खून के खींचने की हो जाती है। मेरा निवेदन है कि जो रामैटी-रिएल के आइटम्स पे, उन पर टैक्स समाप्त कर दिया जाय और जो नये-नये क्रय-कर आपने लगाये हैं, उनको समाप्त किया जाय। इससे आपके उद्योगों का विकास हो सकेगा और डबल टैक्सेशन से बचा जा सकेगा।

[श्री सत्य प्रकाश]

इसके अलावा सरकार ने नये उत्पादकों को, न्यू मैन्युफैक्चरर्स को छूट दी है। बिक्री कर में नये दूकानदार को ३ वर्ष तक वह दे सके, यह अच्छी बात है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन इसमें एक परेशानी है कि जबसे उस उद्योग को बिजली का कनेक्शन मिल जाता है तब से ३ वर्ष गिनते है। हमारा आग्रह और निवेदन है लोगों की मांग है कि डेट जो रखी है यह पहली बिक्री के साथ जोड़ दी जाय, क्योंकि बिजली मिलने से लेकर और माल के उत्पादन होने के ६ महीने से एक वर्ष समय लग जाता है और ३ वर्ष की छूट २ वर्ष ही रह जाती है, इसलिए नये उत्पादकों को बजाय प्रोत्साहन मिलने के परेशानी होती है। यह उनकी मांग उचित है और सरकार को मान लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हमने एक कनसेशन दिया है तो डेट का अन्तर है और निश्चित रूप से जब सेल्स टैक्स वसूल करते हैं तो आन दि बिगिनिंग आफ दि सेल्स उसको मानें।

इसके अलावा १९५६ से पहले छोटे दूकानदार को एक छूट दी कि १५ हजार तक की जो बिक्री करता था उसको हमने बिक्री कर के रजिस्ट्रेशन से मुक्त कर रखा था, लेकिन उसके बाद उस सीमा को घटाकर १२ हजार कर दिया। आज ५६ से लेकर ७४ तक आप देखें कि कितने परिवर्तन हुए। तब आपका बजट ३० करोड़ था और आज १ अरब की सीमा पार कर रहा है, लेकिन उस १२ हजार की न्यूनतम सीमा पर लक्ष्मण रेखा जैसे खिंची हुई है, उससे आगे बढ़ने को आप तैयार नहीं है, जबकि रेट्स बढ़ गये है तो बिक्री ३० रुपये या इसके आस पास चल रहीं है, यह एक साधारण सी बात हो गयी है। एक आदमी की ३०–३५ रुपये की बिक्री हो जाती है। इसलिए यह सीमा निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण है, इसलिए जब आप विचार कर रहे हैं सेल्स टैक्स पर तो आग्रहपूर्वक निवेदन है कि उस न्यूनतम सीमा को बढ़ा कर ५० हजार कर दें, जिससे कि इसके अन्तर्गत आने वाले छोटे छोटे दूकान,गली गली मोहल्लों बठने वाले और जो जनता की सप्लाई लाइन मेनटेन करने के लिए ऐसा करते हैं, जो हिसाब किताब नहीं रख सकते हैं, जो ऐक्ट्स की परिधि को नहीं समझ सकते हैं, उनको राहत मिले और वह ईमानदारी से अपना काम काज कर सकें। वरना आज छोटे दूकानदार जितने आपके टैक्स आफिसर्स और इंस्पेक्टरों से बेचैन और परेशान ह और सताये जा रहे है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते है। बड़े बड़े दूकानदार, मिल मालिक, बड़े बड़े टैक्स पेयर तो हिसाब-किताब रखते है क्योंकि उनके पास अकाउंटेंट्स है, वह ऐक्ट्स के मुताबिक सारी चीजों को मेनटेन कर लेते है, लेकिन जो वन-मैन-शो है, अकेला छोटा दूकानदार, वह कैसे मेनटेन रख सकता है। इसलिए आवश्यक है कि यह १२ हजार की छूट बढ़ा कर ५० हजार कर दी जाय।

इसके अलावा, मैंने अभी जिक्र किया था कि जो स्लैब सिस्टम है यह महत्वपूर्ण है, मैं पुनः इसको आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। छोटे छोटे मामलों में हमारा ज्यादा श्रम और शक्ति लग जाती है और उतने ही समय में बड़े बड़े कैसेज कर सकते है, ज्यादा ध्यान उन पर दे सकते है। इसलिए ७ (डी) की लिमिट २५ हजार की दो लाख कर दी जाय तो छोटे मामलों में तेजी से निपटारा हो सकता है, जल्दी कर मिल सकता है और राजस्व को भी सरकार को हानि नहीं होगी। इसके साथ जो एक लाख की सीमा रखी गयी है उसमें स्लेब्स बनाये जायं। ५० हजार तक की छूट और ५० से हजार ६० हजार तक स्लैब हो जाय और इसी तरह १०–१० हजार के अन्तर पर स्लैब बन जायं और यूनिफार्म रेट्स आफ टैक्स रखे जायं। किसी ने ७० हजार की बिक्री की और ३ परसेंट टैक्स लिया तो जितना टैक्स का रुपया बना उतनी ही जजमेंट वर्ष के पीछे बनाकर भेज दिया जाय और बनाने की आवश्यकता न पड़े। जैसे ही उसके पास जजमेंट पहुंचे, अगर पैसा कम जमा है तो उसने जमा कर दिया। इस तरह से हर वर्ष नियर्ण घर बैठ मिल जाया करेंगे और छोटे दूकानदार से टैक्स वसूल करने में और बिक्री करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेल्स टैक्स ऐक्ट

जो आज दूभर होता जा रहा है उसको सरल बनाया जाय और एक लाख तक की सीमा के लिये स्लैब सिस्टम को चालू किया जाय ।

इसके अलावा कर विभाग के एक वर्ष में अनेकों आदेश प्रसारित होते है । कभी कुछ आइटम्स पर टैक्स बढ़ाया जाता है, कभी कुछ पर नया टैक्स लगाया जाता है । आदेश प्रसारित हो जाते है लेकिन जिन पर उनका प्रभाव पड़ने वाला होता है उनको उसका पता भी नहीं दिया जाता । बड़े बड़े व्यापारिक संघ बने हुए है । ऐसा भी हो सकता है कि कर विभाग हर महीने अपना एक बुलैटिन प्रकाशित करे और जितने आदेश हों उनका उसमें जिक्र हो ताकि सारे लोग जान जायें कि कर विभाग ने ये ये पवितंन किये है । इससे जो वर्ष पीछे असेसमेंट होगा उसमें नये कम्प्लीकेशन्स नहीं होंगे । वरना मैंने देखा, अभी उ ाव जिले का एक मामला मेरे सामने आया, वहां सस्ते गल्ले के दुकानदारों पर सेल्स टैक्स भी लगा दिया और परचेज टैक्स भी लगा दिया जबकि उन पर एक ही टैक्स लगना चाहिये । फिर सेल्स टैक्स समाप्त किया गया और परचेज टैक्स अब भी चल रहा है क्योंकि यह तय नहीं हो सका है कि पहला खरीदार एफ० सी० आई० है या सस्ते गल्ले के दुकानदार । तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी कर विभाग की ओर से एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित कराया करें ।

इसके अलावा यह बताया गया कि २४–२५ साल के बाद एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया गया कि करवंचना को रोकने के लिये चेक पोस्ट्स स्थापित की गयीं । यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिये था लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिनको मंत्रीजी ही जानते होंगे, लेकिन देर से सही, एक सही कदम उठाया गया है । इससे हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी और जो टैक्स हमें अभी तक नहीं मिलता था वह मिलेगा । लोग दूसरे प्रदेशों से लाखों रुपयों का माल ले आते थे और बिना लिखा पढ़ी के बेच देते थे और सरकार को एक पैसा भी टैक्स नहीं मिलता था । लेकिन अभी यह प्रभावी नहीं बन सका है । अभी गाजियाबाद की चेकपोस्ट पर नम्बर १ का भ्रष्टाचार हो रहा है । वहां सेल्स टैक्स अधिकारी और ट्रांसपोर्टर मिल कर खूब धन्धा कर रहे हैं, आप स्वयं देख सकते हैं । हमारी चेकपोस्टस् पर काफी भ्रष्टाचार जन्म ले रहा है । इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि वहां पर जो कांस्टेबिल र हे वह आर०टी० ओ० का जैसा पैटर्न है कि उनके कर्मचारी और आफिसर्स के पास एक वर्दी रहती है उसी प्रकार से इन चेक पोस्ट्स पर भी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये वर्दी होनी चाहिये ताकि दूर से ही ट्रक चालकों को पता लग जाय कि सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खड़े हैं और हम बच नहीं सकते । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मंत्रीजी वर्दी पहने लेकिन उनके अधिकारी और कर्मचारी वर्दी पहने ताकि लोगों को पता लग जाया करे ।

श्री अधिष्ठाता––

आप कितना समय और लेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश––

अभी तो कुछ बातें और कहना है ।

एक बात मैं यह जो कैशमेमो पर १० पैसा का टिकट लगाया जाता है इससे बड़ी परेशानी व्यापारियों को होती है । पहली बात तो यह कि यह टिकट मिलता ही नहीं है । पोस्ट कार्ड तक पर जो ५ पैसे का टिकट अतिरिक्त लगाया जाता है वह भी नहीं मिलता है । अब अगर व्यापारी को कोई रसीद पर टिकट लगने से रह गया तो उसे जुरमाना देना होता है । इस-लिये इस १० पैसे के टिकट लगाने की प्रथा को आप बन्द कर दीजिये, इससे जो २–३ करोड़ की आमदनी आपको होती है, उसको दूसरे किसी टैक्स के जरिये आप प्राप्त कर सकते है । मैं

[श्री सत्य प्रकाश]

मांग करता हूं कि १५ अगस्त से इसे आप बन्द करने की कृपा करें । इससे व्यापारियों को एक तरफ राहत मिलेगी, दूसरी ओर जो दूकानदार कैशमेमो नहीं काटते, वे काटा करेंगे और उसके कारण भी आपकी आय में वृद्धि हो सकेगी । आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने पायेगा ।

पड़ोसी राज्यों में जिन चीजों पर जो टैक्स है उससे ज्यादा टैक्स उन चीजों पर हमारे यहां नहीं होना चाहिये । जब अन्य प्रदेशों में किसी चीज पर टैक्स का रेट कम होता है और हमारे यहां ज्यादा होता है, तो व्यापारी जहां कम टैक्स होता है वहां से माल ले आता है, हमारे यहां से उसको नहीं खरीदता है । इस कारण टैक्स का जो लाभ हमारे प्रदेश को होना चाहिये वह अन्य प्रदेशों को होने लगता है । इस पर भी माननीय वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिये ।

कुछ और कठिनाइय व्यापारियों को है । असेसमेंट के लिये व्यापारियों को बुलाया जाता है, दिन भर बाद शाम को ४ बजे के बाद उनको बताया जाता है कि तुम्हारे केस में फलां तारीख पड़ गयी है । यदि किसी कारणवश असेसमेंट आफिसर कहीं जाता है, और व्यापारी का केस उस दिन नहीं होता है जिस दिन की तारीख पड़ी है तो व्यापारी को सुबह ११ बजे तक ही बता देना चाहिये । इससे उस व्यापारी का सारा दिन खराब नहीं होगा, वह अपना माल जाकर बेच सकेगा और जब माल बेचेगा तो उससे सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी । इसलिये सरकार को इसके लिये आदेश देना चाहिये कि तारीख की सूचना सुबह ही ११ बजे तक दे दी जाय ।

टैक्स के पेमेंट के लिये भी व्यापारियों को बड़ी असुविधा होती है । चालान भर कर पहले उनको सेल्सटैक्स आफिसर से हस्ताक्षर कराना होता है, फिर बैंक की लम्बी कतार में खड़ा होना पड़ता है । इसके लिये मेरा सुझाव है कि आप सेल्सटैक्स आफिस में ही टैक्स जमा करने की व्यवस्था करा दें । वहीं एक कैश काउन्टर होना चाहिये । इससे ५ मिनट के काम के लिये जो ५ दिन व्यापारियों को दौड़ना पड़ता है वह मेहनत और समय बच जायेगा । सरकार का भी कोई विशेष खर्च इससे बढ़ने वाला नहीं है ।

असेसमेंट के बाद देखने में यह आया है कि जजमेंट देने में अधिकारीगण एक एक महीना लगा देते है । जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनायड । जब आज किसी के केस की सुन वायी होती है तो उसका जजमेंट भी आज ही होना चाहिये । अगर किसी केस में कोई समय लगने वाला है तो अधिक से अधिक एक सप्ताह में उसका जजमेंट अवश्य हो जाना चाहिये । जब जजमेंट में देर लगती है तो फिर भ्रष्टाचार की बात पैदा हो सकती है और उसके कारण राजस्व पर भी उसका असर पड़ता है । इन सब बातों को देखते हुये यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि हियरिंग के बाद तुरन्त जजमेंट हो । सेल्स टैक्स दफ्तर में बहुत काम लोगों को रहता है । आपने १२ या १५ फार्म्स निकाले है जिनको समय समय पर लोगों को भरना पड़ता है लेकिन उसकी उपलब्धि बड़ी मुश्किल से होती है । कागज की नकल लेने में बड़ी मुश्किल है । डिले करके लोगों को परेशान किया जाता है । अगर इस क्षेत्र में ज्यादा राजस्व प्राप्त करना चाहते है तो ज्यादा मोबिलाइज कीजिये । जो उत्तर मांगें उनका उत्तर जल्दी मिलना चाहिये, जो नकल मांगें उनको नकल मिलना चाहिये । करदाता के बैठने का भी प्रबन्ध होना चाहिये सेल्स टैक्स आफिस में करदाताओं के बैठने का कोई प्रबन्ध नहीं है । गर्मी में ठंडे पानी का प्रबन्ध नहीं है । जनता की मार्फत व्यापारियों से और व्यापारियों की मार्फत जनता से जब आप एक अरब रुपया वसूल करते है तो करदाताओं को सुविधायें प्रदान करना भी आपका कर्तव्य हो जाता है । करदाताओं के बैठने के लिये उचित स्थान की व्यवस्था होनी चाहिये । गर्मी में करदाताओं के लिये पंखे का कोई प्रबन्ध नहीं है । आफिसर तो पंखे में बैठते है लेकिन करदाता गर्मी में तप रहे है । मैं समझता हूं कि यह मानवता के भी विरुद्ध है, यह नहीं होना चाहिये ।

सबसे बड़ा सवाल अपील का है । अपीलेट आफिसर पर कंट्रोल सेल्स टैक्स कमिश्नर का है । इसलिये सामान्य जनता व सामान्य व्यापारियों की धारणा है कि उनको अपील में राहत नहीं मिलेगी । एक साइकोलाजिकल चेंज हो गया है । पहले जैसा था कि अपीलेट आफिसर सीधा हाईकोर्ट के अन्दर रहता था । लेकिन विभाग को लोगों को आगे बढ़ाने के लिये, उनको प्रमोशन देने के लिये सेल्स टैक्स आफिसर को प्रमोशन देने के लिये उनको अपीलेट आफिसर बना दिया । अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेल्स टैक्स कमिश्नर के हाथ में आ गया है । इसलिये कुछ लोगों के मन में यह धारणा हो गयी है कि उनको अपील में न्याय नहीं मिलेगा । वे स्टाम्प आफिसर के तरह से हो गये है । जो नीचे से असेसमेंट होकर आता है उसी पर अपनी स्वीकृति दे देते है या फिर रिमांड कर देते है । मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे तीन साल का रेकार्ड निकाल कर देंखे तो यही पायेंगे कि अगर कहीं रिमांड या रिजेक्शन हुआ है तो सेल्स टैक्स आफिसर ने भी रिजेक्ट कर दिया या रिमांड कर दिया । इसलिये आज जरूरी है कि अपीलेट आफिसर को रिवीजन का अधिकार होना चाहिये लेकिन उनसे यह ब्योरा न मांगा जाय कि कितना टैक्स किस बिना पर छोड़ दिया । इससे लोगों के साथ सही न्याय होगा ।

आपने बतलाया कि १० जिलों में १६ करोड़ रुपया बकाया है और मैं समझता हूं कि एक दिसम्बर, ७२ तक ३६ करोड ७६ लाख रुपया बकाया था और उनमें से १४३ केसेज ऐसे है जिनके अन्दर एक लाख से ऊपर का बकाया है । अगर ईमानदारी से टैक्स वसूली की व्यवस्था हो तो मेरा ख्याल है कि इससे आपका टैक्स भी बढ़ेगा और इससे सभी को काफी लाभ होगा । जो नियम फार्म्स के बने हुये है उनको जरा कम कीजिये वरना कानूनी शिकंजे में पड़कर आपके दफ्तर के लोग काफी परेशान करेंगे, उत्पीडित करेंगे और लोग सही ढंग से आनन्द से व्यापार नहीं कर सकेंगे । टैक्स नहीं देने से मानसिक स्थिति से लोग बेचैनी में रहेगें ।

आज सरकार बकाये पर १८ परसेंट ब्याज लेती है लेकिन कुछ देती नहीं है । लाखों रुपया रिफंड का लोगों को देना होता है । रिफंड के मामले में लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिये और अगर आप इंटरेस्ट लेते है तो उनको इंटरेस्ट दीजिये भी । लोगों ने बहुत मांग की तो आपने शायद फरवरी, ७३ में निर्णय लिया है कि हम इंटरेस्ट देंगे लेकिन आज तक उसका इनफोर्समेंट नहीं किया गया । अगर आप देंगे भी तो उसकी दर ६ परसेंट है या १२ परसेंट, यह भी कुछ नहीं मालूम है । रिफंड के वाउचर देने में आपके यहां बड़ा घोटाला है । आपके दफ्तर के कर्मचारी कहते है कि हमें कुछ दीजिये तब रिफंड वाउचर लीजिये ।

सेन्ट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर बैठे आपका रिफंड वाउचर भेज देता है । प्रदेश की सरकारी दफ्तर में जाकर लौटिये । अगर सरकार को पैसा लेना है, तब तो वह तुरन्त पैसा लेती है । कुर्की करती है और अगर सरकार को पैसा देना है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है । इस प्रकार की बात ठीक नहीं है । जिस हाथ से लें उसी हाथ से दीजिये। हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये अगर किसी के पांच रुपये पड़ें हैं तो उसका रिफन्ड बाउचर उसके घर पहुंच जाय । यह नहीं कि पहले कमशन तय होता है और बाद में रिफन्ड बाउचर बनता है । यह मनमानीं नहीं होनीं चाहिये ।

इसके अलावा जो सरकार ने रिवीजन पर ट्रिब्यूनल बनाने की बात की है तो ट्रिब्यूनल ऐसा होना चाहिये कि उसमें एक व्यक्ति आपके डिपार्टमेन्ट का हो , एक व्यक्ति हाई कोर्ट का और एक व्यक्ति बाहर का होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात समाप्त करें आपको आखिर में भी समय मिलेगा ।

श्री सत्य प्रकाश—

मैं अपनी बात यहीं कह कर समाप्त करता हूं । और यह आशा करता हूं कि आप लोग मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

*श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)—

अधिष्ठाता, मैं जो मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके साथ साथ मान्यवर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स का जितना एसेसमेन्ट किया जाता है उसके अनुपात में उतना इवेजन होता है । अगर ऐसेसमेन्ट के रेशियों से ऐसेसमेन्ट के अनुपात से सेल्स टैक्स वसूल किया जाय तो प्रदेश के डेवलपमेन्ट में काफी तरक्की हो सकती है । कोई भी प्रगतिशील प्रदेश तब तक डेवलप नहीं कर सकता जब तक उसके पास पर्याप्त राजस्व न हों । राजस्व प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि जितने आमदनी के जरियें हैं उनको टैक्स किया जाय ।

मान्यवर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में स्वतंत्रता प्राप्ति के २५–२६ वर्षो के बाद आज भी व्यापारी २–३–४ बहीखाते रखते हैं । इनमें से एक बही खाता तो सेल्स टैक्स अफसरों के सामने रखा जाता है और इसी प्रकार के जो अन्य बहीखाते हैं उनको व्यापारी अपने प्रयोग के लिये रखते हैं । अपने इस्तेमाल के लिये रखते हैं । सरकारी अधिकारियों के प्रयत्नों के बावजूद भी आज तक यह सफलता नही मिल पायी कि यह जो ३–४ तरह के बहीखाते हैं उनको कैसे समाप्त किया जाय । इसमे जहां तक व्यापारियों के दोष तो हैं ही परन्तु सरकारी अधिकारी भी इसमें दोषी हैं ।

हम एक प्रीजम्शन को लेकर चलते हैं कि जितना व्यापारी वर्ग है वह बेईमान है और जो रिटर्न्स वह प्रस्तुत करते हैं वह गलत हैं । यह बात पूर्णतः ठीक नही है । १००–१०० में से १००वीं रिटर्न्स गलत आते हैं यह मानना ठीक नहीं है। दुर्भाग्य वश इसमें वह भी व्यापारी आ जाते हैं जिन्होंने अपने रिटर्न्स ठीक दिये होते हैं ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था करें यह प्रीजम्शन रखने के बजाय कि उसने गलत रिटर्न्स दिये हैं, इसकी जांच करायें, आवश्यक जांच करायें कि रिटर्न गलत है या सही । इसकी इन्क्वायरी करें और अगर कोई रिटर्न गलत निकले तो उस व्यापारी के खिलाफ पीनल ऐक्शन लेना चाहिये । कठोर ऐक्शन लेना चाहिये । जिससे इन पर कन्ट्रोल हो ।

इसमें होता यह है कि २–४ ऐसे व्यापारी होते हैं जो गलत रिटर्न पेश करते हैं । और जो गलत आदमी होते हैं, अधिकारी होते हैं । उनसे यह व्यापारी गण मिल कर साफ निकल जाते है । इनके रिटर्न्स पास हो जाते हैं । पर जो ऐसे व्यापारी होते हैं जिन्होंने रिटर्न्स ठीक भरें हैं, ठीक भर कर सब्मिट किये हैं और जो सरकारी अधिकारियों को खुश करने में कामयाब नही हो पाये हैं वह व्यापारी पिस जाते हैं । ऐसे व्यापारियों के मन में यह बात उठती है कि अगर उन्होंने गलत रिटर्न पेश किया होता और अधिकारी से मिल लिया हो तो शायद अच्छा होता तो इस तरफ ध्यान देना चाहिये । इस प्रकार साफ व्यवस्था हो कि जो व्यापारी ठीक रिटर्न पेश करेंगे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

मान्यवर आपने न्यूनतम बिक्री कर की सीमा १२,००० रु० रखी है। यह सीमा ठीक है। मैं इसके बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मुझे यह कहना है कि जब आपने १२ हजार रु० की सीमा निश्चित कर दिया है तो इससे कम बिक्री वालों पर क्यों नोटिसें जाती हैं। वे इस छूट को पाते हुये भी यदि उनके पास नोटिसें जाती हैं, तो वे बिक्री कर के कार्यालय जाते हैं, फाइलें निकलवाते हैं तथा वकीलों के पास जाना पड़ता है। इन सब बातों में उसका २००–२५० रु० खर्च हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो व्यापारी सेल्स टैक्स देने के जिम्मेदार (लायबिल) नहीं है उनको नोटिसें न भेजी जांय।

इस संबन्ध में एक सर्वे होना चाहिये कि जो व्यापारी बिक्री कर की सीमा में नहीं आते हैं और उनके पास नोटिसें गई हैं। सर्वे से यह साबित हो जायगा कि यदि उन व्यापारियों के पास नोटिसें न जाती तो जो खर्च सेल्स टैक्स अधिकारी को फाइल प्रस्तुत करने में नोटिसें भेजने में तथा वकीलों आदि पर हुआ है वह न होता। इस प्रकार सरकार का यह मकसद होना चाहिये कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक आमदनी बिक्री कर वसूली द्वारा हो कि हम अपने अधिकारियों के लिये इस बात के लिये राजी करें कि उन्हीं व्यापारियों पर नोटिसें जारी करें जो कि बिक्री कर सीमा के अन्दर आते हों।

मान्यवर, इसका बड़ा स्वागत होना चाहिये कि सरकार ने एक सूत्री कार्यक्रम को लागू किया। एक सूत्री कार्यक्रम से एक बार सेल्स टैक्स देय हो जाता है। एक व्यापारी को हर सौदे (ट्रान्सेक्शन) के ऊपर एक फार्म भरना पड़ता है। यदि किसी व्यापारी ने २००–२५० सौदे किये तो उसको हर सौदे के ऊपर फार्म भरकर जमा करना पड़ता है और उसमें काफी खर्च हो जाता है। इससे व्यापारी का खर्चा बढ़ जाता है और सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि सेपरेट ट्रांसेक्शन के बावजूद उतने खर्च का एक फार्म भरा जाना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १० पैसे का जो टिकट है उसकी हमारे यहां इतनी कमी चल रही है कि वह ३ रुपये से लेकर ५ रुपये तक बिक रहा है। इसके बावजूद भी मिलने में दिक्कत है। यहां सदन में यह प्रश्न भी उठाया गया था कि इसकी व्यवस्था की जाय। किन्तु अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चूंकि टिकट की कमी है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सुझाव आ जांय कि टिकट लगाने की जरूरत न हो। कैश मेमों में भी टिकट की जरूरत न हो और १० पैसे अधिक लगा दिये जांय। हमारे यहां सरकारी कर्मचारियों तथा म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को चार-चार दिन तक वेतन, इसी टिकट के न मिलने के कारण नहीं मिला। मान्यवर, इसकी व्यवस्था की जाय।

इसके साथ ही साथ, मान्यवर, अभी कुछ दिन हुये हरियाणा के कुछ मंत्री आये थे और उन्होंने व्यापारियों से बातें की। उन्होंने अपनी दिक्कतें उनके सामने रखीं कि हमारा विश्वास नहीं किया जाता, हमारी बेइज्जती की जाती है और हर अधिकारी चाहे वह इंस्पेक्टर रैंक का हो या कमिश्नर रैंक का और व्यापारी चाहे करोड़ों रुपयों का व्यापार करने वाला हो वह उसको बेईमान समझ कर उसकी दूकान पर रेड करता है, उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कहते है कि रेड्स नहीं होना चाहिये लेकिन हैरेस करने के लिये और इस गरज से कि इससे रुपया लेना है यह किया जाता है कि जिससे व्यापारी परेशान हो जावे और परेशान होकर वह यह सोचे कि जो भी इनकी मांगे है उनके पूरा कर दो। तो मेरा निवेदन है कि इसमें भी ऐसा तरीका अख्तियार किया जाना चाहिये जिसमें व्यापारी वर्ग और अधिकारी वर्ग के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)

मान्यवर, स्टाम्प और पंजीकरण के अन्दर जितना भ्रष्टाचार है उस पर विचार करने की आवश्यकता है । एक बात यह है कि कोषागार और रजिस्ट्रेशन जहां पर होते है वहां पर स्टाम्प ही नहीं है और इसके कारण जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिये वह नहीं हो पा रहे है । दूसरी चीज यह है कि जो रजिस्ट्रेशन होते है उनके अन्दर निश्चित रकम तय की जाती है कि इतना परसेंट लेंगे तब रजिस्ट्रेशन करेंगे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं है, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार की योजना बनावें कि स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभागों में से भ्रष्टाचार खत्म हो सके ।

मान्यवर, बिक्री कर के अन्दर एक बहुत बड़ी राशि सरकार को मिलती है उत्तर प्रदेश में । इससे १ अरब ११ करोड़ रुपये की बहुत बड़ी धनराशि सरकार को मिलती है । इसमें बहुसूत्री बिक्री कर का जो तरीका है वह बहुत परेशानी का कारण बन गया है । इसमें प्रोडक्शन के ऊपर बिक्री कर का अधिकार दिया है तो उससे जहां होलसेलर खरीदता है वहां वह टैक्स देता है और जो जहां पर रिटेलर खरीदता है वहां पर वह देता है । इतनी बडी परेशानी है कि छोटा सा व्यापारी जो परचूनी की दूकान करता है चाहे वह नमक, तेल, मिरचा, हल्दी, बेंचता है उसको भी कहा जाता है कि बिक्री कर का रिटर्न भरो उसका इतना बड़ा काम नहीं होता कि वह बिक्री कर का रिकर्ड रख सके नतीजा यह होता है कि उसको परेशान किया जाता है और इतनी बुरी तरह से उसको परेशान किया जाता है कि उसकी सारी दूकान चौपट हो जाती है । तो मेरा सुझाव यह है कि यह बिक्री कर एक सूत्री होना चाहिये । इसके लिये दो सुझाव मेरे पास है । एक तो यह कि जब उत्तर प्रदेश के अन्दर जो माल बनता है उसके ऊपर प्रोडक्शन प्वाइन्ट पर टैक्स लेना चाहिये, अगर निर्माण स्थल पर प्रोडक्शन पर टैक्स ले लिया जायगा तो नीचे के व्यापारियों को परेशानियां नहीं होंगी, पूरा टैक्स आ जावेगा । दूसरा यह है कि प्रदेश से बाहर का जो माल होता है यानी जो माल बाहर से आता है बन कर उसके लिये क्या होता तो उसके लिये जो फर्स्ट परचेजर हो उस पर टैक्स लगना चाहिये । अगर यू०पी० वाला खरीदेगा तो वह टैक्स देगा । इससे भी छोटे दूकानदारों को राहत मिलेगी और आपको पूरा टैक्स मिल जावेगा ।

गल्ले के ऊपर मान्यवर, साढ़े चार परसेंट टैक्स लगाया गया है । आप विचार करें कि जो बिजीनेस डेढ़ परसेंट पर होता है उस पर साढ़े चार परसेंट टैक्स लगाया जाता है और इसीलिये चोरी बड़ी सीमा में होती है । ७० परसेंट चोरी होती है । करीब ३० परसेंट ही सरकार को मिलता है और उसमें से भी १० परसेंट इधर उधर हो जाता है दोनों प्रकार के लोगों में वह बंट जाता है व्यापारी और उसके अन्दर जो सरकारी अधिकारी वर्ग है उनके माध्यम से ७० परसेंट यह कर चोरी होता है । तो मेरा निवेदन है कि गल्ले के ऊपर जो इतना हैवी टैक्स है उसे कम किया जाना चाहिये । मान्यवर, अगर वह कम हो जाता है तो वह कम हो जावेगा ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो १२,००० रु० की सीमा बांधी गई है, यह बहुत कम है । आप कल्पना कीजिये कि इस मंहगाई में १२,००० में क्या सामान मिल सकता है । इसको बढ़ाकर कम से कम २५,००० कर दिया जाना चाहिये । जो १२,००० रु० की छूट भी दी गई है इसके लिये कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स में कराओ और हर साल अपना एकाउन्ट पेश करो । इसके लिये पेशी में दौड़ना पड़ता है इस परेशानी से बचने के लिये अधिकारियों से सौदेबाजी करनी पड़ती है । मुझे अफसोस है कि मंत्री जी यहां नहीं है । यह चीज टेकनिकल है । उनका ध्यान इस ओर जाना चाहिये । सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में सर्वे अधिकारी और असेसमेंट अधिकारी एक ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदमी होता है । इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है । जो व्यापारी सरवे को ठीक करा लेता है वह बच जाता है और जो नहीं कराता है वह मारा जाता है । तो सरवे और असेसमेंट अधिकारी अलग अलग होना चाहिये । यह तरीका इंकमटैक्स डिपार्टमेंट में है और मध्य प्रदेश में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में भी है । इसी तरह से मेरा कहना है कि जज, सेल्सटैक्स को कमिश्नर के अन्डर नहीं होना चाहिये । इससे सही न्याय नहीं मिल पाता है ।

मान्यवर, एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूं । जब सरवे करने के लिये कोई अधिकारी जाता है तो व्यापारी से दस्तखत करा लेता है लेकिन उसके बाद कोई क़ागज उसको नहीं देता है और लौटकर अपने घर पर आकर जो चाहता है लिख लेता है । व्यापारी ने दुकान दिखाने में आनाकानी की या बन्द कर ली या जैसा भी वह चाहता है लिख लेता है । इसका नतीजा यह होता है कि व्यापारी परेशान हो जाता है ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आपके यहां सेक्शन १५ बहुत कठोर है इससे दंड प्रक्रिया बहुत सख्त हो गई है लेकिन व्यापारी को कोई सुविधा नहीं दी गई है । मेरा कहना है कि दुकानदार को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिये इससे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह सही सही टैक्स अदा करेंगे । श्रीमन्, गल्ले के दुकानदारों पर भी टैक्स लगाया गया है ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सस्ते गल्ले का भाव १.३३ पैसे और चीनी का भाव २.१५ पैसे है तो इस पर सेल्स टैक्स क्यों लगाया जाता है और इसको व्यापारी कहां से देगा ? इसी तरह से चेक-पोस्ट्स पर भी धांधलियां है । पेटियां, बंडल आदि ट्रकों से, एक निश्चित रकम देकर लोग निकाल ले जाते हैं । इस तरह से सेल्स टैक्स से बच जाते हैं । जो व्यापारियों का रुपया जमा होता है, चाहे एडवांस के रूप में या दूसरे रूप में, उसमें व्यापारियों को ब्याज नहीं मिलता । जब उससे टैक्स लेते हैं, तो उसको ब्याज मिलना चाहिये । उन व्यापारियों से आपने १ अरब और ११ करोड़ टैक्स के रूप में लिया है । लेकिन उनको किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । इनकम टैक्स विभाग के अन्दर उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं । असेसमेंट का नक्शा जाता है । १२ फार्म बना दिया । सेल्स टैक्स में दिखाया भी नहीं । सी फार्म जो है, उसके देने की बात कह दी लेकिन दफ्तर में नहीं है । तो जो व्यापारियों की कठिनाइयां हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये । टैक्स पेयर्स के लिये भी कुछ सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेंद्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बिक्री-कर पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव बिक्री-कर से संबंधित माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाह रहा हूं । मान्यवर, मैं एक व्यापारी घराने से संबंधित व्यक्ति हूं जिसको बिक्री-कर की कठिनाइयों के बारे में जो ज्ञान है, उसको सदन के समक्ष रखूंगा । मैं मंत्री जी से, आपके माध्यम से, यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो गल्ले और गेहूं पर बिक्री-कर लगाया हुआ है, उसे हटा दिया जाय और उसकी जगह ग्वार और ज्वार पर सेल्स टैक्स रखा जाय । मान्यवर, हमारे प्रदेश से ७५ प्रतिशत ग्वार और ज्वार बाहर जाता है । इस पर टैक्स लगाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र प्रसाद जैनेरिया]—

दूसरे, मैं सर्राफे से संबंधित कुछ सुझाव देना चाहता हूं । बुलियन पर सेल्स टैक्स १ प्रतिशत है, जबकि बुलियन का व्यापार जो है, उसमें बुलियन ३ तरीकों से बिकता है। इस प्रकार एक किलो पर ३४:३५ रुपये सेल्स टैक्स आ जाता है और चांदी के जेवर पर ४ प्रतिशत टैक्स है जबकि दूसरे जो बराबर के प्रदेश है, जैसे दिल्ली में १ प्रतिशत, राजस्थान में ४ आना सैकड़ा, मध्य प्रदेश में १ रुपया सैकड़ा, चंडीगढ़ में २ रुपये सैकड़ा, हरियाणा में २ रुपये सैकड़ा, गुजरात में १ रुपये सैकड़ा, महाराष्ट्र में एक रुपया सैकड़ा ।

इसी प्रकार से यहां पर जब ४ रुपया सैकड़ा सेल्स टैक्स है और अन्य प्रदेशों में बहुत कम है लिहाजा सारा व्यापार बुलियन का दूसरे प्रदेशों में चला जाता है । यहां पर व्यापारी भी चोरी करने पर मजबूर होता है और जो बिक्री उसे दिखानी चाहिये वह नहीं दिखाता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि दूसरे प्रदेशों की तरह यहां पर सेल्स टैक्स लगना चाहिये । इससे आपकी आमदनी जो इस समय होती है उससे दुगुनी होगी । जो व्यापारी चांदी का व्यापार करता है वह १ रुपये में १० पैसे की बिक्री दिखाता है। अगर सेल्स टैक्स दूसरे प्रदेशों की तरह हो जाय तो फिर वह पूरी बिक्री दिखायेगा । आपकी आमदनी भी इससे बढ़ेगी । इसके अलावा सेल्स टैक्स में १२ हजार रुपये तक छूट दी गयी है । यह छूट उस समय फिक्स की गयी थी जब कि चांदी का भाव १०० रुपये किलो था लेकिन आज चांदी का भाव १२०० रुपये किलो है। इसलिये ५०,००० हजार रुपये तक छूट सेल्स टैक्स में होनी चाहिये ताकि व्यापारी पूरी बिक्री दिखा सके ।

व्यापारी को ईमानदार समझा जाय । टैक्स दाता की भी वही इज्जत की जाय जो अन्नदाता यानी किसान की आप करते है । लेकिन टैक्स दाता की इज्जत अगर किसी को देखनी है तो सेल्स टैक्स आफिस में जाकर देखें जहां उसको बैठने को जगह नहीं मिलती, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं होती और गर्मियों में वह बाहर तपता रहता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार व्यापारी को ईमानदार समझे ताकि उस पर अच्छा असर पड़े और वह जनता की सरकार की मदद करने वाला है । ऐसा करने से सेल्स टैक्स से जो कुल आमदनी होती है वह ड्योढ़ी तक हो सकती है।

सेल्स टैक्स की दरों के कारण ९९ प्रतिशत व्यापारी आज सेल्स टैक्स की चोरी करता है और उस चोरी के कारण व्यापारी को दूसरे तरह से परेशान होना पड़ता है । जब अधिकारीवर्ग बाजार में चेकिंग के लिये जाता है तो दूकानदार दूकानें बन्द कर के भाग जाते हैं और फिर वे अधिकारियों को दूसरे तरीके से खुश करते है जिससे जो रुपया सरकारी खजाने में जाना चाहिये वह अफसरों की जेब में चला जाता है । जो कमिश्नर अपीलों का फैसला करते है उसमें जो कमी होती है जिससे उसका रिफंड वाउचर भी नहीं मिल पाता है । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री ने अनुदान पेश करते हुए कोर्ट स्टाम्प का जिक्र किया लेकिन यह सर्वविदित है कि स्टाम्प मिलने में आज कितनी परेशानी जनता को होती है । कहीं भी जाइये, स्टाम्प नहीं मिलते हैं । उसमें इस कदर चोरी और घूसखोरी चल रही है कि न कहने से भी बदतर है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह एक आमदनी की चीज है तो उसको हर जगह सुलभ करायें और ज्यादा से ज्यादा छापकर तहसीलों कचहरियों आदि जगहों पर पहुंचायें । इस तरह से इसमें गड़बड़ी है कि २५, ३० प्रतिशत ब्लैक में लेने पर भी वह नहीं मिलते हैं ।

बिक्री-कर के करों की चोरी के बारे में यहां पर पहले भी जिक्र आया था कि सेल्स टैक्स में चोरी होती है और उससे बचने के लिये मंत्री जी ने बैरियर्स बना दिये हैं । मान्यवर, बैरियर्स बना देने से चोरी नहीं रुक पाती है बल्कि वह और बढ़ जाती है । इस तरफ माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना पड़ेगा सरकार की ओर से एक दल बना है जो कि बाजारों में पहुंचता है और दुकानों पर इस तरह से छापा मारता है जिससे मालूम होता है कि कोई भी बहुत बड़ी चीज ये करने जा रहे है। गद्दी पर से छोटे से छोटे कागज को भी ये लोग बटोर लेते हैं और फिर दो घंटे के बाद वही कर्मचारी, वही अधिकारी उन्हीं के साथ बैठकर चाय पीने लगता है और अपना हिसाब किताब बैठाकर चलता बनता है । माननीय मंत्री जी अगर इस बात का सबूत चाहते हों तो वह भी मैं दिखा सकता हूं । मेरे कहने का मतलब यह है पहले भी मैं इस संबंध में कह चका हूं और पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक यह नाटकीय कार्य बन्द नहीं होगा, सही रूप से काम नहीं होगा तब तक यह चोरी नहीं रुक सकती है । ये अधिकारी लोग देखने में तो कुछ और ही दिखायी देते हैं लेकिन उनके कृत्य दूसरे ही होते हैं । सचमुच अगर उनके कैरेक्टर की जांच की जाय तो मालूम होगा कि किस तरह से ये लोग लूट-खसोट मचाये हुये हैं । आज करोड़ों रुपया चोरी होता है । आज बिक्री कर अधिकारी, कर्मचारी और महाजन मिलकर लूटकर खा लेते हैं । अतः मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि इसको रोकने के लिये वे कोई ठोस कदम उठायें, विचार-विमर्श करें कि ये चोरियां कैसे रोकी जायं । साथ ही अपने नियमों का सही रूप से अमलदरामद करायें ताकि भ्रष्ट अधिकारी या दुकानदार को सबक मिल सके इस प्रकार जो आपको इस क्षेत्र में बहुत नुकसान हो रहा है वह न हो पाये और बचत हो सके।

आज यह भी होता है कि कुछ लोग मिलकर एक फर्म खोल लेते हैं और उसमें गड़बड़ी करके फिर साल-दो साल बाद अलग-अलग नयी फर्म बना लेते हैं और नये नाम से फर्म चलने लगती है जिससे पिछला बकाया रह जाता है । इसलिये जो बकाया जिस पर रह जाता है उसको सख्ती से वसूल किया जाना चाहिये । इसी सिलसिले में एक अर्ज यह करना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास करोड़ों या लाखों की तादाद में बकाया होता है उनसे बसूली का तरीका नहीं अपनाया जाता है और जिनके पास कम रकम बाकी होती है उनको १४ रोज हवालात में रखा जाता है, नाना प्रकार की यातनायें उन्हें सहनी पड़ती है, दे भी नहीं पाते है फिर भी सख्ती से वसूल किया जाता है । इसके विपरीत जो सक्षम भी हैं, अधिक रुपया टैक्स का बाकी भी है, जिनके पास लाखों की जायदाद होती है उनके लिये बसूली का तरीका वह नहीं अपनाया जाता है । इन बड़े लोगों को सिर्फ नोटिस दे दिया जाता है, वे मौका ले लेते है और यहां आकर मंत्री जी से मिलकर स्टे ले लेते है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का भेद-भाव नहीं बरता जाना चाहिये । जो लोग मजबूर होते हैं, देने के लायक नहीं होते हैं, उन्हें भी उसी तरह का मौका दिया जाना चाहिये जिस तरह से सक्षम व्यक्तियों को मिलता है।

सेल्स टैक्स के सिलसिले में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं । मैंने भी पहले बताया था कि बहु-पदीय करों को जहां तक हो सके कम करके जहां प्रोडक्शन होता है वहां पर यह टैक्स वसूल कर लिया जाय तो काफी हद तक चोरियां रोकी जा सकती हैं । एक एक माल पर बाज दफा जाहिर होता है कि ८-८, १०-१० दफा कर देना पड़ता है वह माल मंहगा पड़ जाता है । इसके अलावा चोरियां भी ऐसे ज्यादा होती है । जैसे खाने वाले तेल हैं उस पर बहुपदीय कर है । एक दूकानदार जो लाही खरीदता है वह सेल्स टैक्स देता है जो माल तैयार करता है उस पर टैक्स सेल्स टैक्स देता है । दस रुपये मन से ज्यादा उसको सेल्स टैक्स पड़ जाता है । जो आदमी सेल्स टैक्स नहीं देता, उसका

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

तेल दस रुपये मन कम में पड़ता है । इसलिये मार्केट में वह सबसेसफुल होता है जो चोरी से काम चला लेता है । जो रजिस्ट्रेशन करवा कर ईमानदारी से काम करता है वह बाजार में टिक नहीं पाता है । इसलिये मजबूर हो कर उसको भी चोरी करनी पड़ती है ताकि मारकेट में टिक सके । मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से सिफारिश करूंगा कि इस तरह का जो भेदभाव बाजार में बरतते हैं इसको मिटाना चाहिये । इसके लिए वह उपाय कर सकते हैं । उनके पास काफी बड़ी फोर्स है जो इससे मदद ले सकते हैं ।

मान्यवर, सेल्स टैक्स के सिलसिले में एक बात और बता देना चाहता हूं कि यह जो गृह उद्योग हैं, छोटे-छोटे कारखानों को चलाते हैं, उन पर सेल्स टैक्स का रखना उनको फेल करना है । जो कुटीर उद्योग हैं उनके द्वारा तैयार किये हुए माल पर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिये । बड़े बड़े मिल मालिकों द्वारा जो माल तैयार होता है उस पर सेल्स टैक्स रखें ताकि हाथ से बनने वाला सामान मार्केट में आसानी से बिक सके और उनको रोजी रोटी मिल सके ।

इन शब्दों के साथ मैं जिन्होंने संशोधन का प्रस्ताव रखा है उनका समर्थन करता हूं ।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आज के इस विवाद में बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं । मान्यवर, जो बजट मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन के लिये बोलूंगा । यह सत्य है कि करके बिना किसी भी प्रकार का काम नहीं चल सकता और बिक्री कर व्यवस्था इस बजट में प्रस्तुत की गयी है उससे मैं काफी संतुष्ट हूं । हमारे वित्त मंत्री स्वयं एक अच्छे इकोनामिस्ट हैं और सारे भारत में इस बात की प्रशंसा सुनता हूं । वे वित्तीय मामले में काफी एक्सपर्ट हैं । अन्य प्रदेश के वित्त मंत्री भी उनकी बहुत सी लाइनों को फालो करते हैं । यह जरूर है कि विरोधी दल के लोग जो बातें बतलाते हैं उनमें भी सत्य कुछ होता है । लेकिन जो लोग राज्य का काम चलाते हैं, जिनको सरकार की जिम्मेदारी संभालनी है उनको कभी कभी कड़ा बनना पड़ता है जैसे एक अध्यापक को अपने बच्चे को ठीक रास्ते पर लाने के लिये लाठी लेनी पड़ती है, पनिश करना पड़ता है । अपनी जनता को कर से लादने का हमारा या हमारे दल का या हमारे वित्त मंत्री का भी कोई ऐसा इरादा नहीं है । हम चाहते हैं कि हमारी जनता की आकांक्षायें पूरी हों, जनता का विकास हो । एक बड़ी कमी सरकार की है जिसे मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा । सरकार ने टैक्सों के मामले में कोई ऐसी टैक्स प्रणाली नहीं निकाली, पुराने जमाने की परम्परायें है, उनमें रेवोल्यूशनरी चेंज की जरूरत है । मैं आपको बताऊं . . . .

श्री अधिष्ठाता--

माननीय जगदीश प्रसाद मिश्र जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आपको सामने से नहीं आना चाहिये ।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि कर की चोरी रोकने के लिये हमें विशेष प्रयत्न करने चाहियें । मैं यह सुझाव दूंगा कि जो भी कागजात दुकानदार के पास हों उन सब पर सरकारी मुहर होना चाहिये । जैसे केश मेंमों, बही खाते वगैरा । जैसे म्युनिसिपैलिटी में यह होता है कि टैक्स पेयर जो टैक्स देता है उसकी रसीद दी जाती है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके दो भाग होते हैं। इसी तरह की रसीद दुकानदार के पास होनी चाहिये जिसमें दोनों तरफ जो सामान लिया जाय वह दर्ज होना चाहिये। इससे ग्राहक जो सामान लेता है उसको चैक किया जा सकता है कि उसकी बही में वह सामान दर्ज है या नहीं। इस तरह की अगर चैकिंग होती रहेगी तो सरकार को एक बड़ी रकम मिल सकेगी।

श्री अधिष्ठाता (एक सदस्य से)—

यह बहुत बुरी बात है कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप लोग बीच में से आते ज हैं। आप तशरीफ रखिये।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

मेरी प्रार्थना है कि कर को वसूल करने के लिये उपाय सोचे जाय। अपने अधीन डिपार्टमेंटल हैड्स के साथ बिचार विनियम कर के ऐसे उपाय निकाले जांय जिससे टैक्स वसूल हो जाय और वह सरकारी खजाने तक पहुंचे। अक्सर ऐसा होता है कि कर वसूल हो जाता है लेकिन वह सरकारी खजाने तक नहीं पहुंच पाता। इसमें बहुत गुंजाइश है कि वह कर ले ले और सरकारी खजाने तक न जाय। इसलिये जैसे कि कर लगाने में बुद्धि का प्रयोग किया गया है उसी तरह से उसी कुशलता कर के वसूल करने में बुद्धि का प्रयोग किया जाय। जो कर वसूल होता है उसकी पाई पाई खजाने में पहुंचनी चाहिये।

बहुत सा पुराना टैक्स बकाया पड़ा हुआ है, उसको वसूल करने में सरकार ने सख्ती नहीं दिखायी है। कांग्रेसी सरकार जिस तरह से होर्डर्स के साथ सख्ती करती है उसी सख्ती के साथ जिन पर बकाया है उनसे कर वसूल किया जाय। हमारी प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे जनता नाराज हो जाय लेकिन राष्ट्रीय हित में हम जनता की नाराजगी स्वीकार करेंगे। हम जनता के कड़वे से कड़वे निर्णय को स्वीकार करेंगे। यह उनकी कितनी उच्च भावना है कि हमारे पैरेन्टस भले ही नाराज हो जाय लेकिन नेशन के इंट्रेस्ट में हमें वह कदम उठाना पड़ेगा। मैं विरोधी भाइयों से पूंछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति निक्सन एक बार बाहर गये थे और टूरिस्ट्स होटल में मास्को में ठहरे थे और ८७ डालर एक रात का उस होटल का रेट था और जब जून में गये तो उनको १८ रुपया ज्यादा देना पड़ा। तीन महीने के अन्दर कितनी मुद्रा स्फीति हुई। उसमें दे रखा है। कई लोगों ने कहा कि चीन ने तरक्की की है। मैं कहता हूं कि रूस में मुद्रा स्फीति है।....

श्री अधिष्ठाता—

बिक्री कर के बारे में कहें।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

बिक्री कर के लिए जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है मैं उनको सफाई देना चाहता हूं। तो इसी तरह से अफ्रीका और एशिया के देशों में कई रिवोलूशन हुए। मैं कहूंगा कि इन करों को लगाना चाहिए। इन करों के द्वारा हमारे प्रदेश की भलाई होगी और जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। इस तरह से मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस कटौती पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। इस बिक्री कर या सेल्स टैक्स के बारे में जो चर्चा यहां पर हुई उसको

[श्री भगवती प्रसाद]

मैंने सुना, लेकिन आज हम २६ साल की हुकूमत के अन्दर इस देश में कर की बात कर रहे है। खासतौर से इस कर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा जो हमारे सदन में बैठे हुए हैं तो मुझे पुरानी सारी बातें याद आती है।

श्री अधिष्ठाता--

आप तो उनके पुराने मित्र रहे हैं।

श्री भगवती प्रसाद--

इसीलिए तो। कर को लगातार हिन्दुस्तान में, शायद सभी माननीय सदस्य अनुभवी और इतिहास को जानने वाले हैं, जितनी भी हुकूमत आयी कर लगाती रही है। कर किस पर लगता था, कर लगता था किसान पर। उस समय कोई उद्योग नहीं था जिस पर कर लगता। उदाहरण के लिए जजिया कर लगा। कर से जनता सदियों से पीड़ित है। २६ साल के बाद आज भी किसी सड़क पर जाइये, किसी भी मुहल्ले में जाइये, किसी भी झोपड़ी में जाइये, कर है।मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं बताना चाहता हूं कि एक लड़का मुझे मिला तो मैंने उससे कहा कि किस विभाग में जाओगे तो उसने कहा कि सेल्स टैक्स विभाग में। मैंने कहा कि किसी कम्पटीशन में क्यों नहीं चले जाते हो। उसने कहा कि मुझे ज्यादा दिन नौकरी नहीं करनी है। एक साल सर्विस करना है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर इसलिए ले जाना चाहता हूं कि अगर पूरे प्रदेश में कर अधिकारियों की पूरी इन्कम, उनकी प्रापरटी, उनके बैंक बैलेंस की जांच कराई जाय और सरकार कर उनके ऊपर लगाये तो साधारण किसान पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय मंत्री महोदय आप देखेंगे कि मैं छुट्टी पर गया था, सेशन बंद था और हमारे जिले के फैजाबाद के सेल्सटैक्स अधिकारी हमारे कमरे में रहे एक हमारे माननीय पुराने विधायक थे इसी सदन के, उनका लड़का कर अधिकारी का ट्रांसफर रुकवाने आया था, क्योंकि उनके पास ५ भट्टे थे। अगर ट्रांसफर रुक जाता तो वह कर माफ कर देता। इसलिए हमारे कमरे का ताला तोड़ कर उसमें वह कर अधिकारी रहे। मान्यवर, आपका ध्यान में हर जिले के कर अधिकारी की तरफ दिलाना चाहता हूं। जब कर अधिकारी जिले से चलता है किसी अच्छी खासी मंडी में तो उसका चपरासी पहले पहुंचता है, बड़े बड़े आढ़तिया, बड़े बड़े व्यापारी के पास जिनके पास लाखों की चोरी का माल छिपा हुआ है, मैं उस प्वाइंट की तरफ आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं उस पक्ष का हूं कि जिनके पास करोड़ों की दौलात इकट्ठा होती है जिनका भार सारे किसानों और मजदूरों पर पड़ता है, उन पर कर नहीं लगना चाहिए।

इस गोमती के किनारे इतनी बड़ी होटल की अट्टालिका कैसे खड़ी है। इसका जवाब हमारे किसी सदस्य या मंत्री जी के पास नहीं है। जहां पर ३-३ सौ, ५-५ सौ रुपये खर्च करके भले से लोग उस अट्टालिका में रहते हैं। क्या हिन्दुस्तान के किसी सड़क के किनारे ऐसा इन्सान नहीं है कि जो रोज अपनी जरूरियात के सामान का कर देता है। लेकिन ५०० रु० पाने वाले, ३०० रु० पाने वाले या ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के ऊपर कर का एक नाटक होता है। अधिकारियों का चपरासी जाता है जहां पर बड़ी बड़ी दुकानें होती है, जहां पर बड़े बड़े व्यापारी होते है। जब वह अधिकारी पहुंचता है तो उसकी कार पहुंचती है तो होता क्या है कि छोटे छोटे दूकानदार जो १ हजार कर्ज लेकर या दूकाने खोल रखे है, जो २ हजार रुपये कर्ज लेकर छोटी-छोटी दूकानें खोल रखे हैं, उसका अगर एक पैसे का भी उधार है तो उसको पकड़ कर कर लिया जाता है। मैं उसका उदाहरण देता हूं। एक कर अधिकारी के पास मैं मौजूद था। वह इतना गरीब, यतीम हो गया, उसका धंधा बंद हो गया। दूसरे जिले में चला गया वह खाने कमाने के लिये।

मैं सुझाव तो ज्यादा नहीं देना चाहता हूं लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर किसानों के ऊपर कहीं से कर भार पड़ता है, किसान के किसी भी सामान पर कर भार पड़ता है और गांवों के किसान के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स पड़ता है तो समझिये कि यह जजिया कर के जमाने से अंग्रेजों के कर के जमाने से भी निकम्मी सरकार है उत्तर प्रदेश की। सरकार अगर आज भी कर भार किसानों के ऊपर से नहीं हटाती है, छोटे व्यापारियों के ऊपर से नहीं हटाती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर नहीं वसूलती है इन सेल्स टैक्स अधिकारियों की पूरी जायदाद का हिसाब नहीं लिया जाता है। मैं चाहूंगा कि इसका बकायदा हिसाब लिया जाया करे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बात की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि वे इसे नोट कर लें। जीवन बीमा कार्पोरेशन में भवन बनवाने के ऋण की २ स्कीमें चलती है। एक है ओ०वाई०एच० और दूसरी चलती है एम्पलाइज ओन यौर हाउस। इस में ऐसा है कि जो एम्लाइज ऋण लेते है जीवन बीमा कार्पोरेशन के एम्लाइज होने के नाते उस पर इन्टरेस्ट की कुछ छूट है और जो बाकी लोग लेते है, उन पर ज्यादा इंटरेस्ट लेते है। जब रजिस्ट्रेशन होता है तो हमारी प्रदेशीय सरकार स्टाम्प ड्यूटी लेती है। तो जब पब्लिक ऋण लेती है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी माफ कर देती है, पहले कुछ कम थी, लेकिन अब वह स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी है परन्तु जो जीवन बीमा के कर्मचारी है उनसे स्टाम्प ड्यूटी बहुत चार्ज होती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि, जैसे रोडवेज के कर्मचारी है, जब वे बस में सफर करते है, तो उन्हें बस का किराया नहीं देना पड़ता, इसी प्रकार से हमारे जो रेल के कर्मचारी है, उनको पी० टी० ओज पास वगैरह की सुविधा मिलती है। उन रेल के कर्मचारियों से, जो बस में सफर करते हैं यह कह कर उनसे ज्यादा किराया लिया जावें कि तुमको रेल्वे में बहुत सुविधायें मिलती है, उचित न होगा। माननीय तिवारी जी को हमसे बहुत ज्यादा पैसा और सुविधाएं मिलती है, तो जब वे मार्केट में चीजें खरीदें, उनसे ज्यादा पैसा लिया जाय, इससे ज्यादा ज्यादती की बात और क्या हो सकती है। इसी प्रकार से जीवन बीमा निगम के जो कर्मचारी है, उनके साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। यदि कार्पोरेशन उनको कोई कन्सेशन देता है तो उनसे आप स्टाम्प ड्यूटी थोड़े ही ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आम लोगों और बीमा निगम कर्मचारियों में जो भेदभाव बरता जा रहा है, उसको खत्म कर देना चाहिये।

दूसरी बात मुझे अल्प बचत के सम्बन्ध में निवेदन करना है। इनमें कुछ लोग तो बड़ी धनराशियां जमा करते है, जैसे लाखों, करोड़ों रुपया और कुछ ऐसे होते है जो केवल ५० रुपया, १०० रुपया ही जमा करते हैं। तो मैं समझता हूं कि करोड़ों की धनराशि जमा करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी। हिन्दुस्तान की ५५–६० करोड़ जन संख्या है और ६ लाख हमारे गांव है। तो हमें अल्प बचत की योजना ऐसी बनानी चाहिए कि जितनी धनराशि कम हो उस जमा करने वाले को उतना ही अधिक इंटरेस्ट मिले। जैसे ५० रुपया अगर कोई जमा करता है तो उसे सबसे अधिक सूद का रुपया मिले और जो १०० रुपया जमा करते है उसे कम ताकि थोड़े पैसा जमा करने वाला यह समझे कि मुझे इन्टरेस्ट का रेट ज्यादा मिलेगा। इन्टरेस्ट की दर आपको ऐसी बनानी चाहिये कि ५० रुपये की डिपोजिट पर ज्यादा, १०० रुपये पर उससे कम और इसी प्रकार से एक हजार और एक लाख रुपये पर उससे ही कम हो जाना चाहिये। यदि नीचे की राशि पर अधिक रेट कर दिया जायगा तो बचत के रूप में आपको अरबों रुपया मिल सकेगा।

[श्री गोरे लाल शाक्य]

इसके साथ साथ पंजीकरण के सिलसिले में मुझे निवेदन करना है। मुझे कोई भी ऐसी मिसाल दे दे कि बिना रिश्वत के कहीं पर पंजीकरण होता हो। तो मैं चाहता हूं कि यह जो रिश्वत ली जाती है, यह बिल्कुल बन्द होनी चाहिये।

साथ ही सेल्स टैक्स विभाग के बारे में सुनने में आया है कि अब अधिकतर लोग सेल्स टैक्स आफिसर बनना चाहते हैं। उसका खास मतलब यह है कि ये लोग सेल्स टैक्स की चोरी करते है। तो हम चाहते हैं कि सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिये डिस्काशन ऐट दि सोर्स का सिस्टम होना चाहिये, ऐसा कोई तरीका अपनाना चाहिये कि किसी व्यापारी को शुरू में ही उतना टैक्स लग जाना चाहिये किसी औसत के आधार पर, तब वह ठीक रहेगा, नहीं तो चोरी बराबर होती रहेगी।

मैं ज्यादा न कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

अधिष्ठाता महोदय, सेल्स टैक्स और अनुदानों के संबंध में जो मांगें वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत की हैं मैं उनका समर्थन करने और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सेल्स टैक्स, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प वगैरह ऐसा विषय है जो ऐसा प्रतीत होता है कि काफी शुष्क है, पर सेल्स टैक्स हमारे प्रदेश की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत से कर लगाये जाते रहे हैं और यह कर भी आजादी के बाद या इसी दौरान में शुरू हुआ और मंशा यह था कि इस कर से प्रगति और विकास कार्यों में मदद मिलेगी। पर एक निवेदन करूंगा कि जहां इस दिशा में यह कर सहायक हुआ, विकास के लिये रुपया एकत्रित हुआ, वहां इसकी वसूली का जो तरीका है उसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका परिणाम यह है कि बड़े-बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं पर छोटे-छोटे दूकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था की जाय कि छोटे-छोटे दूकानदार जो अधिक हिसाब-किताब नहीं रख सकते या जिनकी इतनी आमदनी नहीं है उन पर एक लम्प-सम का तरीका रख दिया जाय कि इतना रुपया सेल्स टैक्स का देंगे और जो बड़ी-बड़ी आमदनी वाले हैं, बड़े-बड़े व्यापारी हैं उन पर विशेषरूप से वसूली हो, ढिलाई न बरती जाय। अधिकतर देखा जाता है कि सेल्स टैक्स अधिकारी लोगों का ऐसा तरीका चल पड़ता है कि जितनी आमदनी सेल्स टैक्स की होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, इस दिशा में कदम उठाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

मैं दो शब्द कहना चाहूंगा रजिस्ट्रेशन के बारे में। यह नियम बनाया गया है कि जो कोई भी प्रापर्टी ट्रांसफर होती है उसके वैल्यूएशन की बहुत कुछ जिम्मेदारी, या कितने में रजिस्ट्रेशन करें या न करें, वह सब रजिस्ट्रार पर ही मुनहसिर रहता है और उनकी दया पर मुनहसिर रहने से जैसा मन में आता है किसी की रजिस्ट्री तो वह कर लेता है, किसी की नहीं करता। मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने कहा कि कोई तरीका वह अख्तियार कर रहे हैं जिसके जरिये से यह वैल्यूएशन की सारी कार्यवाहियों का तरीका बदला जा रहा है और उसके बदलने के कारण ऐसे अधिकारी उसको करें जो निष्पक्ष हों। वास्तव में जिससे सरकार को भी हानि न हो और साथ ही साथ किसी को अधिक परेशानी का सामना भी न करना पड़े ऐसी व्यवस्था करेंगे तो जहां इससे आमदनी का एक रुख बढ़ेगा, वहां जनता को भी तकलीफ न होगी।

मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय जगह जगह पर हैं और रजिस्ट्री जहां पर होती है---मैं कोई आक्षेप की या इस विभाग की भर्त्सना की बात नहीं कहता---लेकिन अधिकांश यह देखा गया है कि ये स्थान ऐसे हैं जहां रोन-रोन का जोर रहता है। शायद ही कोई डाकूमेंट होता हो जिसका बिला कुछ लिये हुए रजिस्ट्रेशन हो जाय। कायदे कानून के अनुसार जो कुछ भी हो, उसके बाद ऊपर से कुछ न कुछ हमेशा पहुंचता रहता है। बिना उसके रजिस्ट्री हो नहीं सकती। कोई न कोई ऐसी बात निकल आती है कि

इतना चूंकि लिखा जा चुका इसलिये एग्रीमेन्ट के बदले दूसरा डाक्यूमेन्ट हो गया, सेल डीड के बदले दूसरा हो गया। और अड़ंगे लगाये जाते हैं। मैं समझता हूं कि जो प्रबन्ध किया जायगा, जैसे वैलुएशन वगैरह की बात माननीय मंत्री जी ने कही, उसमें लोगों का शोषण होने से बचाया जा सकेगा और सरकार की आमदनी बढ़ेगी।

जहां तक स्माल सेविंग्स योजना की बात है, यह बहुत अच्छी है परन्तु इसके प्रचार का वही पुराना तरीका है कि कहीं सिनेमा में स्लाइड लगा दी, जो पर्याप्त नहीं है। छोटी-छोटी बचतों से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं सरकार और वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि सारे भारतवर्ष में एक गरीब प्रदेश, जिसकी आमदनी अधिक नहीं है, द्वितीय स्थान प्राप्त करता है।

श्री अधिष्ठाता महोदय––

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)––

मान्यवर, मैं दो, तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह कि व्यापारी जो सेल्स-टैक्स का अपना रजिस्टर काम में लाते हैं, जिनके सम्बन्ध में १ और २ नम्बर की चर्चा बहुत समय से होती रही है, मैं चाहता हूं कि सेल्स-टैक्स विभाग उन रजिस्टरों को अपनी मुहर लगा कर और दस्तखत कर के जारी किया करे जिससे कि वे बदले न जा सकें। दूसरे, बहुत समय से प्रदेश को जनता और व्यापार करने वालों की खासतौर से यह मांग है कि बजाय बहुसूत्री कर के एकसूत्री कर लगाया जाय जिससे व्यापारियों और विभाग, दोनों को आसानी हो। मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। बहुत समय से इस मांग को न मानने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता।

तीसरी बात यह है कि स्टाम्प, जब कभी जरूरत होती है, मिलते नहीं हैं बल्कि ब्लैक से मिलते हैं। रसीदी टिकट बाजार से गायब हो गये हैं। पोस्ट-कार्ड, लिफाफे और जनरल स्टेम्प भी गायब हो गये हैं। अगर आप रसीदी टिकट जनता को प्रोवाइड नहीं करवाते तो यह बड़े शर्म की बात है। मैं एक बात और कहूं कि छोटे-छोटे दुकानदारों के ऊपर तो आपके अफसर तुरन्त जुल्म और सितम करके बकाया वसूल कर लेते हैं लेकिन जिसके ऊपर १० लाख से ऊपर बकाया है उनके ऊपर आपका रोबदाब कुछ काम नहीं करता, ऐसा लगता है कि उनके रोबदाब में आप रहते हैं। हमारे बरेली में बलवन्त मोटर वर्क्स एक बहुत बड़ी फर्म है। उस पर करीब १५ लाख रुपया कई साल से बकाया है। लेकिन आपने कोई कोशिश उसको वसूलने की नहीं की। कानपुर और दूसरी जगहों की बात तो जाने दीजिए। वह सेठ लोग हैं। उनसे पैसा लेकर आप चुनाव जीतते हैं। उन पर तो आपकी विशेष कृपा रहेगी ही। यह बलवन्त सिंह जी भी शायद कांग्रेस के रहे हों इसलिये उनसे वसूलयाबी करना मुनासिब न समझा हो।

अब जरा जो रजिस्ट्री की गयी है पडरौना, जिला देवरिया के सब-रजिटार नं० २, ७३२ के पृष्ठ ९६, नं० ५०४३ पर २३ नवम्बर, १९७३ को श्रीमती मालती पांडेय के नाम उसको देखिये। यह रजिस्ट्री हुई है सेवरही शुगर मिल, देवरिया के सपहा फार्म पर बनी कोठी की। जो ३ लाख रुपये से ऊपर की कोठी है और उस पर एक लाख का फार्म है उसको ३१ हजार में खरीद लिया। तो इतना कम स्टाम्प क्यों लगाया गया ? क्या इसकी जांच

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

आपने करवायी है, यदि नहीं तो आप करवायें। ४ लाख की लागत की चीज को ३१ हजार में खरीद लिया, आप अवश्य इसकी जांच करवा लें। चूंकि वह एक कैबिनेट के मंत्री और उनकी धर्मपत्नी का सवाल था, इसलिये कोई जांच नहीं हुई। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, पृष्ठ व नम्बर आदि भी सब दे दिये हैं, आप इसकी जांच करवा लें। इसी प्रकार के बीसों उदाहरण हैं, मैंने तो एक ही उदाहरण आपको दिया कि किस तरह से स्टाम्पों की चोरी होती है। जब राजनीतिक बड़े बड़े-नेता ऐसी बातें करेंगे तो बाकी लोगों पर उसका क्या असर होगा, यह सोचने की बात है।

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जब रजिस्ट्री कराने हम लोग जाते हैं तो एक तो स्टाम्प बड़ी मुश्किल से मिलता है, मिलने के बाद जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो बयनामा वापसी के लिये दो महीने से लेकर ४ महीने तक का समय दे दिया जाता है। कह देते हैं कि रजिस्ट्री के लिये अभी समय नहीं है। जब तक बयनामा नहीं होता, दाखिल खारिज नहीं होता है। इसलिये बड़ी दिक्कत होती है। जब पैसा दे दिया जाता है तो रजिस्ट्री जल्दी हो जाती है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं इसका। बरेली में ३ महीने से पहले बयनामा वापस नहीं होता रजिस्ट्री के बाद।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। प्रदेश में हजारों फर्म्स ऐसी हैं जो एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स के लिये केन्द्रीय सरकार के स्टील कन्ट्रोलर से तथा हमारे यहां के उद्योग विभाग से लोहे के विभिन्न प्रकार के परमिट्स ले लेती हैं। १-१, २-२, २०-२० बैगन लोहे के परमिट उनको मिल जाता है। इस पर उनको सेल्सटैक्स नहीं देना पड़ता। नतीजा यह होता है कि वह सारा माल कानपुर के हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स की स्टाक यार्ड से और टाटा की स्टाक यार्ड से निकल कर खुले आम बेच दिया जाता है, फर्म तक वह आता ही नहीं। बीसों फर्म यहां की ऐसी यहां के आइरन एण्ड स्टील कंट्रोलर द्वारा पकड़ी गयी है जिनके यहां एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स बनते ही नहीं थे और कोटा बाहर दे दिया जाता था। उनका कोटा सस्पेंड तक किया गया है। मेरा सुझाव है कि इस पर आप सेल्स टैक्स लगा दें। इससे आपको १०-२०, ५० लाख की आमदनी अवश्य हो जायेगी। इससे एक चीज यह भी होगी कि फिर उनको एक रजिस्टर भी मेनटेन करना पड़ेगा। उससे यह भी मालूम हो सकेगा कि कितना माल उन्होंने खरीदा और कितना माल किस किस तरह बेचा या क्या क्या बनाया।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

एक मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं है समय।

*श्री भूप सिंह केन (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपके माध्यम से मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पहले का जो बिक्री कर था और इस समय बिक्री कर में जो सुधार माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, दोनों में जमीन और आसमान का अन्तर है। यू० पी० से दिल्ली को माल जाता रहता था और बार्डर पर बिक्री कर की बड़ी चोरी हो जाती

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी। आज हमारे वित्त मंत्री जी ने व सरकार ने वहां पर जो चुंगी स्थापित की है उससे बहुत लाभ हुआ है लेकिन साथ ही साथ में यह भी बतला देना चाहता हूं कि बिक्री कर की चोरी को रोकने के लिये गाजियाबाद में लोगों ने मोहननगर से पहले जो चौकी स्थापित हुई है उससे कोई लाभ नहीं है। मोहननगर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जो चौकी स्थापित की गई है वह मोहन नगर के पहले स्थापित की गयी है हालांकि यह चौकी आगे होनी चाहिये थी जहां चौपाले पर सड़क से दो तीन तरफ को रास्ता जाता है। वहां चौकी होने से सरकार को बहुत लाभ होता है। मोहननगर से पहले भी दिल्ली को माल फ्री जाता था और आज भी वहां से दिल्ली को फ्री माल जाता है और उनका सेल्स-टैक्स का पैसा बच जाता है। अगर उस चौपाले पर चौकी स्थापित होती तो सेल्स-टैक्स के लाखों रुपये की बचत होती और उससे सरकार को काफी लाभ होता।

दूसरी बात यह है कि हमारे लोनी कस्बे में इंडस्ट्रियल स्टेट स्थापित किया गया है। वहां पर जितनी छोटी-छोटी फैक्टरियां हैं वे सरकार की तरफ से बनायी गयी हैं। वे नाम के लिये यू०पी० के लोगों को दी गयी हैं। लेकिन अगर आज इनक्वायरी की जाय तो ९९ प्रतिशत फैक्टरियां दिल्ली के लोगों की बनी हुई हैं। यू० पी० के लोगों के उत्थान के लिये आपने य फैक्टरियां बनायी थीं लेकिन यू० पी० के बदले हमारे पड़ोसी सूबे दिल्ली का उत्थान हो रहा है। मैं दिल्ली से कोई ईर्ष्या नहीं रखता, ऐसा मेरा कोई ध्येय नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को ऊंचा उठाने के बजाय आप दिल्ली के लोगों को ऊपर उठा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के सरमायेदारों व बड़े लोगों के हाथों में वे फैक्टरियां आ गयी हैं। उनसे उनका उत्थान हो रहा है। साथ ही साथ सरकार का इससे बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि दिल्ली वाले दो आफिस रखे हुए हैं। एक तो दिल्ली में और दूसरा यू० पी० के अन्दर फैक्टरी में। वे बजाय ३ परसेंट सेल्स टैक्स देने के वहां फ्री माल ले जाते हैं जिससे सरकार को बड़ी हानि होती है। अगर सरकार की हानि होती है तो सारी जनता की ही हानि होती है।

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे इसकी छानबीन करें तो पायेंगे कि वहां, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं वे सब बाहर के ही हैं। अगर सरकार उनको वापस लेने में विवश है तो उसको चाहिये कि वहां पर जो बिक्री कर की चोरी होती है उसको वसूल किया जा सके इसका प्रबन्ध अवश्य करें। चाहे दिल्ली या पंजाब के रहने वाले लोग हों अगर आप इन सरमायेदारों से, व्यापारियों से सही माने में सारा बिक्री कर वसूल कर लें तो धन की बहुत सारी परेशानी खतम हो सकती है। क्योंकि हर व्यापारी दो खाता रखता है। एक तो असली खाता होता है जिसे वह छिपाये रखता है और दूसरा नकली खाता होता है जिसको वह दिखाये रहता है। असली खाता जो होता है उसी में वह बेईमानी करता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जितने सरकारी अधिकारी हैं वे लोग उन व्यापारियों से मिले होते हैं, उनसे उनकी साठ-गांठ होती है और झूठमूठ की दरख्वास्त दिलवा कर उनके केस को खतम कर देते हैं। जो सेठ और सेल्स-टेक्स अधिकारी होते हैं वे आपस में मिल कर गुपचुप अपना काम कर लेते हैं। अगर सही मानों में, हमारे जितने अधिकारी हैं, वह ठीक से काम करें तो जो यह बेईमानी की कोशिश की जा रही, जो बदमाशी की जा रही है, बिक्रीकर छिपाया जा रहा है, उसमें सुधार हो सकता है। और जो यह पैसा, हर साल जिसका सरकार को नुकसान होता है वह सरकारी खजाने में आ सकता है।

मैं अपने मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो दिल्ली से यहां सामान खरीदने आते हैं, यहां से माल खरीदकर ले जाते हैं वह तो साढ़े तीन परसेंट के हिसाब से देते हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि जो यह मोहननगर वाले लोग हैं, जो

[श्री भूपसिंह केन]

इंडस्ट्रियल स्टेट, लोनी के ९० प्रतिशत सेठ हैं वह साफ बच जाते हैं। तो इस तरह से लाखों रुपये की हर साल चोरी हो जाती है, और सरकार का नुकसान होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां पर यह १२ परसेंट लिया जाता है, इसमें मेरा विचार है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनकी हैसियत ज्यादा है उनके ऊपर इससे ज्यादा होना चाहिये, क्योंकि जो कुछ वह दिखाते हैं उससे ज्यादा उनकी हैसियत होती है। इसी तरह से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो बड़े-बड़े सेठों से तो पिसते हैं साथ में इनको अधिकारीगण भी परेशान करते हैं। तो मेरे कहने की मंशा यह है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं। जो परेशानी से अपनी रोजी कमाते हैं उन पर कुछ ढील देना चाहिये, कुछ माफ करना चाहिये? क्योंकि सेल्स टैक्स छोटे व्यापारियों से लिया जाता है। व्यापारी किसी न किसी तरीके से इसको पूरा कर लेते हैं, उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता है परन्तु वह जो जनता है, जो सामान खरीदती हैं उससे वसूल कर लेते हैं। इस तरह से इसका भार जनता पर पड़ता है।

समय कम है, इसलिये मैं मंत्री महोदय ने जो अनुदान रखा है उसका पूरा समर्थन करता हूं और कटौती के प्रश्न का विरोध करता हूं।

*श्री सत्य प्रकाश---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने मेरे कटौती के समर्थन में बातें कही हैं, धन्यवाद देता हूं। विपक्ष की ओर से मेरी कुछ बातों का समर्थन किया गया है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि न्यूनतम जो सेल्स-टैक्स है उसको बढ़ाने के लिये मैंने मांग की है और सामने के सदस्यों ने भी इसकी मांग की है। इसके अलावा मैंने सेल्स टैक्स के बारे में जो विचार रखे हैं, लगभग वही विचार हमारे माननीय सदस्यों ने रखे हैं इसलिये मैं इन बातों पर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन सब बातों पर वह ध्यान दें।

मैंने ट्रिब्यूनल के बारे में कहा है। रिवीजन के स्थान पर निश्चय हुआ है कि ट्रिब्यनल बनेगा। तो जहां पर रिवीजन कार्यरत है उन स्थानों पर ट्रिब्यूनल की स्थापना होनी चाहिये। जिससे लोगों को मुकदमें में कठिनाई न उठानी पड़े और उनको दूर-दूर जाकर फैसलों को न लेना पड़े। इसलिये इस बात का ध्यान रखा जाय कि जहां जहां आपके रिवीजन कार्यालय कार्यरत हैं वहां पर ट्रिब्यूनल की स्थापना होनी चाहिये।

मान्यवर, बिक्री-कर के आंकड़ों को अगर हम देखें तो उनमें हर साल वृद्धि हो रही है।

१९६८-६९ में ५१ करोड़ के ऊपर था, १९६९-७० में ५८ करोड़ ४२ लाख था, १९७०-७१ में ६२ करोड़ २६ लाख था, १९७१-७२ में ७० करोड़ ५० लाख था, १९७२-७३ में ८६ करोड़ ८० लाख था और १९७३-७४ में ९९ करोड़ २१ लाख था तथा १९७४-७५ के लिये जो उन्होंने अनुमान रखा है वह १ अरब १० करोड़ ९२ लाख एक सौ रुपये का है। यह १९७४-७५ का वर्ष ऐसा है जो सेल्स-टैक्स विभाग में एक लाख अरब रुपये की सीमा को पार कर रहा है। यह बहुत भारी उपलब्धि है। इस विभाग ने पिछले सभी वर्षों में बराबर प्रगति की है और १९६६-६७ से अब तक चार गुना टैक्स बढ़ा है। लेकिन करवंचना हो रही है। यदि इसको रोका जाय, दरों में एकरूपता लाई जाय, वसूली में सख्ती की जाय तो यह कर एक अरब से ऊपर डेढ़ अरब तक पहुंच सकता है।

मान्यवर इस विभाग में अपराध अनुसंधान शाखा की भी स्थापना की गई है जिसको विशेष अनुसंधान शाखा के नाम से जाना जाता है। अपराधों के कार्य को इस शाखा को सौंपा जाना चाहिये और उसको शीघ्र लागू करने की व्यवस्था करायें। मान्यवर, जहां तक छापों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात है तो यह लगने चाहिये। लेकिन जो करबंचना करते हैं उन्हीं को पकड़ा जाय। अन्धाधुन्ध छापे न डाले जायं क्योंकि इससे व्यापारियों में टेरर की भावना बढ़ जाती है। इस शस्त्र की वजह से वैमन्यशता के कारण व्यापारी एक दूसरी की शिकायत करते हैं और जिससे छापे लगते हैं। इसके अलावा पार्टीबन्दी में यदि कोई व्यापारी चुनाव में खड़ा होता है और किसी दूसरी पार्टी के व्यापारी ने शिकायत कर दी तो भी छापे पड़ जाते हैं। इस प्रकार कर-बंचना न करने वाले व्यापारी को समाप्त करना उचित नहीं है। इस शस्त्र का उपयोग सही होना चाहिये। इसी प्रकार सरकारी सेल्स-टैक्स के दफ्तर पर भी छापे लगने चाहिये ताकि वहां की कार्य व्यवस्था ठीक रहे। इससे अच्छे लाभ निकल सकते हैं। परन्तु इन दस्तों का उपयोग टेरर के लिये नहीं होना चाहिये क्योंकि जिन व्यापारियों से शासन को एक अरब रुपये प्राप्त हो रहे हैं यदि उनमें टेरर की भावना पैदा कर दी जायेगी तो आय के एक मुख्य साधन को हानि पहुंचेगी।

मान्यवर, विभाग को मालूम है कि अभी भी विवादों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। इसलिये इन विवादों का निस्तारण करने के लिये यदि अधिकारियों को बढ़ाने की जरूरत हो तो उनको बढ़ाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। विभाग की यह हालत है कि चार-पांच साल तक बिक्री कर के केसेस तय नहीं हो पाते हैं। कर वसूली के लिये श्रीमन्, एक सर्वे होना चाहिये और जिस साल सर्वे हो उसी साल के हिसाब-किताब देय माने जायं। पिछले वर्षों के हिसाब को उसमें न जोड़ा जाय। भ्रष्टाचार की बात है। भ्रटाचार श्रीमन् इस विभाग में कदम-कदम पर व्याप्त है। इसलिये इसकी जांच होनी चाहिये। इसको बढ़ावा देना ठीक नहीं है। दफ्तर में तथा चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार है। इसको समाप्त करने के लिये हर सम्भव प्रयास होना चाहिये। यह अधिकारी लोग एक तरफ सरकार को ठगते हैं और दूसरी तरफ व्यापारियों को मनमाने ढंग से ठगते हैं। इसलिये सरप्राइज चेकिंग इनकी होनी चाहिये और जो अनियमिततायें पकड़ी जायं उन पर कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके साथ ही मान्यवर अफसरों के प्रमोशन की बात को भी ध्यान में रखना चाहिये। इस विभाग में अफसरों के प्रमोशन के बारे में बड़ी धांधलेबाजी बरती जा रही है। और इनमें दो प्रकार के कार्डस हैं, एक वह जो डाइरेक्टली रेक्रूटेड हैं और दूसरे वह जो सन् १९४८ से बराबर सीनियारिटी के हिसाब से आगे रहे हैं। इन कार्डस के जो प्रोमोशन्स हैं वह एक बटा ३ और दो बटा तीन के हिसाब से तय हैं किन्तु कुछ दिनों से इस रेशियो की बात तोड़ दी गयी है और अब दो प्रकार के आफिसर्स हो गये हैं एक तो पेट और दूसरे जो पेड नहीं हैं और इसी आधार पर यानी पेट और पेट नहीं है के आधार पर प्रोमोशन्स हो रहे हैं जो किसी भी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। इसलिये सीनियारिटी की लिस्ट फिर से बनायी जावे और जिनका हक है उन्हीं को प्रोमोट किया जावे और जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जावे। ऐसा होने से एक मानसिक कुंठा पैदा हो रही है वह समाप्त होगी।

एक बात और ध्यान में आयी कि कई संस्थायें हैं जो कच्चा माल लेती हैं और हमारे सारे साधनों का उपयोग करती हैं और उसके बाद वह माल कलकत्ता और बम्बई के अपने गोडाउन्स में रखती हैं और वहां ले जाकर बेचती हैं और उनसे हमको उस माल पर टैक्स नहीं मिल पाता है। इन बातों का पता लगाया जाना चाहिये कि हमारे साधनों का जो उपयोग करते हैं उनसे हमें टैक्स मिल जावे इसका हमें प्रयत्न करना चाहिये।

इसके अलावा दो प्रकार के व्यापारी हैं। एक तो वह हैं जो रेगुलर और ठीक प्रकार से टैक्स देते हैं और दूसरे वह हैं जो करापवंचन करते हैं। मेरा सुझाव है कि पिछले पांच वर्षों से जो संस्थायें हमें ठीक समय से और ठीक-ठीक टैक्स देती चली आ रही हैं और हर साल लेने देने

[श्री सत्य प्रकाश]

का हिसाब ठीक से रहती हैं उनको एक सर्टीफिकेट सरकार को देना चाहिये कि वे गुड टैक्स पेयर्स हैं और उनको वह सारी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये जो एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को मिली हैं जैसे हम उनको एक सर्टीफिकेट देते हैं तो उनको हमें कुछ न कुछ देना पड़ता है लेकिन जिनसे हमें ठीक समय पर ठीक ठीक करोड़ों रुपया मिलता है उनको हमें गुड टैक्स पेयर्स का सर्टीफिकेट भी न दें यह उचित नहीं है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

तो आपका मतलब यह है कि उनका दर्जा आजादी की लड़ाई के लड़ने वालों के बराबर होना चाहिये। यह बता दीजिये जिससे यह पता चल सके कि जनसंघ की नीति इस मामले में क्या है?

श्री सत्य प्रकाश—

आप मेरा मतलब ही शायद नहीं समझे। मैंने दो तरह के व्यापारी बताये हैं। एक तो वह जो करों की चोरी करते हैं। तो जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके साथ सख्ती होनी चाहिये लेकिन जो ५ साल से बराबर टैक्स ठीक समय से ठीक ठीक दे रहे हों और जिनका पिछले पांच वर्षों का रिकार्ड अच्छा हो उनके लिये मैंने कहा है कि जो बड़े-बड़े संस्थान हैं और जो लाखों रुपये का टैक्स ठीक समय से देते हैं उनके लिये हमारी तरफ से सुविधायें प्रदान की जावें और उनको भी सर्टीफिकेट दिये जाने चाहिये कि वे गुड टैक्स पेयर हैं और उनके लिये कच्चे माल की सुविधा प्रदान करनी चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स आगे भी उनसे वसूल हो सके। मैं यह बात कहता हूं कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जल सोख कर और फिर उसका हजारों गुना बरसा कर जनता के हितों का सम्पादन करता है उसी प्रकार राजा को भी चाहिये कि जनता से जो कर वसूल करे उसको प्रजा की भलाई पर ही व्यय करे, यही हमारे मुख्य ध्येय होना चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार को इसका अनुपालन करना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये कि कर लगा कर वह सब उनसे छीन लेना चाहिये जो उनका नहीं है। अगर इस नीति पर ध्यान रखेंगे और जो सुझाव हमने दिये हैं उनका अनुपालन करेंगे तो आगामी वर्षों में सरकार को अधिक धन मिलेगा और उससे प्रदेश आगे बढ़ेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं, श्रीमन्, सम्मानित सदस्य बरेली श्री सत्य प्रकाश जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत से सुझाव दिये हैं जो विचारणीय हैं। मैं उन्हें यह आश्वस्त करता हूं कि शासन ऐसे सभी रचनात्मक सुझावों पर विचार करता रहा है और भविष्य में विचार करने के लिये तत्पर भी है जिससे एक तरफ तो करापवंचना रुके और दूसरी तरफ जो करदाता हैं उनको कम से कम कष्ट पहुंचे। इससे करापवंचन में सहायता मिलेगी उनको हम अवश्य अमल में लावेंगे। करापवंचन बहुत है इस पर सम्मानित सदस्यों ने जो व्याख्या की है और उसके ऊपर चिन्ता व्यक्त की है यह स्वाभाविक ही है और बकाया के बारे में तो हमारा निरन्तर प्रयास रहा है कि कम हो लेकिन पहली बात तो यह है कि यह बकाया हम जोड़ते हैं सन् ४८ से जब पहले पहल बिक्री कर लगा था तब से जोड़ते हैं। इसलिये पिछले २५ वर्षों में हमने जो सेल्स टैक्स असेस किया है ६०५ करोड़ रुपये में, अगर स्टे वगैरह को निकाल दें तो बकाया की धनराशि २९ करोड़ १५ लाख रह जाती है। तो यह जो बकाया है यदि वह ६०५ करोड़ के परिपेक्ष में देखा जाय तो अधिक नहीं है लेकिन फिर भी जो है उसको वसूल करने की हम चेष्टा कर रहे हैं। उसका विवरण हम दे चुके हैं। जहां तक प्रश्न एक सूत्री बिक्री-कर का है इसके लिये हम १९७३ से प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश बहुसूत्री टैक्स समाप्त कर दिये गये हैं। १ दिसम्बर, १९७३ से अब केवल ३९ आइटम रह गये हैं जिन पर मल्टी प्वायन्ट सेल्सटैक्स

लगा हुआ है, बाकी पर सिंगिल प्वायन्ट टैक्स है। हम इस कोशिश में हैं कि ३९ वस्तुओं पर भी सिंगिल प्वायन्ट टैक्स हो जाय। हम इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन मल्टीप्वायन्ट सेल्स टैक्स जहां पर हमें सिंगिल प्वायन्ट सेल्स टैक्स वसूल करने में कठिनाई होती है, लगाना अनिवार्य हो जाता है। श्रीमन्, जहां तक व्याज का सम्बन्ध है इसके बारे में आदेश हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष कानून भी बन गया है कि अगर समय से रिफण्ड नहीं होता है तो शासन ६ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देगा।

श्री सत्य प्रकाश––

यह इन्फोर्स नहीं हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

यह तो पिछले वर्ष ही इन्फोर्स हो चुका है। अगर माननीय सदस्य कोई उदाहरण दें तो मैं अनुपालन कराऊंगा। जहां तक पेनालटी की बात है, अन्य राज्यों में ३० प्रतिशत तक आटोमेटिक पैनालिटी इस्तेमाल की गई है। हमारे यहां केवल १८ प्रतिशत पेनालिटी इन्टरेस्ट है। सेल्स-टैक्स वसूल करने के लिये यह पेनालिटी रखना जरूरी है। यह कहा गया कि जो अपीलेट कमिश्नर हैं उसको सेल्स-टैक्स कमिश्नर के अन्डर न रक्खा जाय। सन् ६८ में यह कानून बन गया था। सेल्स-टैक्स ऐक्ट की धारा ९ में संशोधन हुआ था और इसके संदर्भ में आदेश दिये गये थे कि सेल्स-टैक्स कमिश्नर कोई भी आदेश नहीं देगा जिससे अपीलेट कमिश्नर के डिस्क्रीशन पर इन्टरफिरेन्स हो या किसी प्रकार से रोकथाम हो। जो आंकड़े मेरे पास हैं उससे यह बात साफ हो जाती है। १९७३–७४ में ६७,८८८ अपीलें की गई। इनमें से ६०,१०५ का डिस्पोजल हो गया। इनमें से जो डिस्मिस की गई उनकी संख्या २९.५ प्रतिशत थी और जिनको संशोधित किया गया उनकी प्रतिशत ३६ है और जो पूरी मान ली गईं वह १७.५ प्रतिशत हैं। रिमाण्ड १७ प्रतिशत में किया गया। इससे स्पष्ट है कि १०० केसेज में डिस्मिसल केवल २९.५ प्रतिशत में हुआ है। बाकी ७०.५ प्रतिशत केसेज में रिमाण्ड हुआ या मोडीफिकेशन हुआ या अपील एलाऊ हुई। मान्यवर, जो इस समय अपीलों की प्रणाली है, उसमें अब न्याय मिल रहा है––और अपीलों के निर्णय में अब असंगतियां नहीं हैं। चूंकि इस समय साढ़े चार बजे का निश्चित है इसलिये बाकी सुझावों के संबंध में और कुछ न कह कर यही कहना चाहता हूं कि उन सुझावों पर गम्भीरता से विचार होगा। अन्त में मैं माननीय सदस्य, बरेली, से आग्रह करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें, क्योंकि वित्त विभाग की तो उन्हें सहायता करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८––स्टाम्प एवं पंजीकरण––के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८––स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५९,७७,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—बिक्री कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११—बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिय आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९८,४७,००० रुपये से अनिधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—अल्प-बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १४—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १८,९५,४०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कोषागार तथा लेखा प्रशासन—के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २०—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन-राशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७८,५७,१०० रु० अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १—राज्य विधान मण्डल

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा-नुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५५,९५,००० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १—राज्य विधान मण्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५५,९५,००० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९८—ऋण और अग्रिम वित्त

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९८—ऋण और अग्रिम वित्त, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९८—ऋण और अग्रिम वित्त, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग, विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं यह कह रहा हूं इससे पहले कि अनुज्ञा दी जाय आप नियम १२३ को देख लें । इसके अनुसार एक दिन पूर्व विधेयक की प्रतियां हमको बट जानी चाहिये थीं ।

श्री अध्यक्ष—

संविधान के अनुच्छेद २०४ को माननीय सदस्य देखें उसमें लिखा है :—

"विधान सभा द्वारा अनुच्छेद २०३ के अधीन अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र राज्य की संचित निधि में से—

(क) सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की, तथा

[श्री अध्यक्ष]

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहिले रखे गये, विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया जायगा।" इसमें यथासम्भव शीघ्र लिखा हुआ है। यह अविलम्ब कर दिया गया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

लेकिन इसमें संशोधन दिया जा सकता है और मैं क्या संशोधन दूं जब कि बिल ही मुझे नहीं मिला। यह विचित्र बात है। यह हमारे साथ अन्याय है। आपको ऐसी व्यवस्था देनी चाहिये जिसमें सामंजस्य हो।

श्री अध्यक्ष --

आपने उसे पास किया, सदन ने पास किया। मांगें पास होने के उपरान्त तुरन्त उन्होंने रख दिया।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

समय के अन्दर इतना तो होना चाहिये कि एक विधेयक जब पेश हो तो उस पर संशोधन दिया जा सके।

मंत्रि परिषद् द्वारा अनुदान स्वीकृत होने से पूर्व ही १५ प्रतिशत की कटौती के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति तथा व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

एक रूलिंग दे दूं इस पर।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

इस पर व्यवस्था मांगी थी।

श्री प्रभुनारायण (जिला वाराणसी)--

इस पर आज ही रूलिंग हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

"दिनांक २५ जुलाई, १९७४ को वर्ष १९७४-७५ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या ३२, ७२, ४०, ४२ और ७४ को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने के समय माननीय नेता विरोधी दल ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि माननीय मुख्य मंत्री इन अनुदानों को प्रस्तुत नहीं कर सकत क्योंकि ऐसा उन्हें निश्चित रूप से ज्ञात हुआ है कि सरकार ने ऐसे अनुदानों पर १५ प्रतिशत कटौती करने के आदेश दिये हैं और इस प्रकार जो अनुदान प्रस्तुत किया जा रहा है, वह अवास्तविक होगा। माननीय मुख्य मंत्री ने इसके उत्तर में यह कहा कि अनुदानों में कटौती के आदेश नहीं हुए हैं बल्कि कुछ खर्चों में १५ प्रतिशत की कमी के आदेश दिये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि सदन द्वारा अनुदानों की मांग स्वीकार किये जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह सारा धन खर्च ही कर दिया जाय, उसमें शासन मितव्ययता लाने के लिये कमी भी कर सकता है।

दिनांक २६ जुलाई, १९७४ को माननीय नेता विरोधी दल ने उक्त आदेश को देखना चाहा और उनके पास तथा माननीय नेता जनसंघ दल के पास उसकी प्रति भेज दी गयी।

दिनांक २६ जुलाई, १९७४ को सदन में माननीय नेता विरोधी दल ने इस आधार पर कि आदेश उन्हें उसी समय प्राप्त हुआ है तथा इस सम्बन्ध में वे कुछ अतिरिक्त तर्क देना चाहते हैं, इस विषय को २९ जुलाई, १९७४ को लिये जाने का सुझाव दिया जिससे माननीय नेता सदन ने भी अपनी सहमति व्यक्त की ।

आज दिनांक २९ जुलाई, १९७४ को उक्त आपत्ति पर माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता जनसंघ दल, माननीय गोविन्द सिंह नेगी, कम्युनिस्ट दल, माननीय श्री काशीनाथ मिश्र, श्री बांके लाल एवं श्री रामायण राय तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को मैंने सुना । माननीय नेता विरोधी दल ने तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ पुस्तकों का हवाला दिया, उनको भी मैंने देखा । उक्त आपत्ति पर उठाये गये प्रश्नों को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है :—

(१) विधिक स्थिति,

(२) औचित्य के प्रश्न,

(३) वित्तीय नियंत्रण,

मैं अपना निर्णय इन्हीं तीन विषयों तक सीमित रखता चाहता हूं और वह इस प्रकार है :

इस समय जो अनुदानों की मांगें सदन के विचाराधीन हैं, वे संविधान के अनुच्छेद २०२ के अनुसार श्री राज्यपाल द्वारा रखवाये गये 'वार्षिक वित्त विवरण' के ही अनुसार हैं, जिसमें सम्बन्धित वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है । दूसरे शब्दों में 'वार्षिक वित्त विवरण' जो उक्त अनुच्छेद २०२ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है, उसमें आय और व्यय के प्राक्कलित विवरण होते हैं और वह ही अनुच्छेद २०३ के अन्तर्गत भारित व्यय से सम्बन्धित प्राक्कलनों को छोड़कर विधान सभा में मतदान के लिये अनुदान की मांग के रूप में श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत किये जाते हैं । इस सदन के सम्मुख उक्त अनुच्छेद २०२ के अन्तर्गत प्रस्तुत 'वार्षिक वित्त विवरण' के प्राक्कलन हैं और तत्सम्बन्धी अनुदान की मांगों के लिये अनुच्छेद २०३ के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की सिफारिश है और उन्हीं पर इस सदन को विचार करना है । सदन में जब अनुदान की मांगों के प्रस्ताव प्रस्तुत होते और पारित किये जाते हैं, वह इस रूप में होते हैं कि 'अमुक धनराशि से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय' । अनुदानों के स्वीकृत हो जाने के बाद संविधान के अनुच्छेद २०४ के अधीन जो विनियोग विधेयक पारित होता है, उसमें भी संहित निधि से ऐसी धनराशि दिये जाने तथा विनियोग करने का प्राविधान होता है जो उसमें उल्लिखित धनराशि से अधिक न हो । इन सबका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि सदन द्वारा अनुदान की मांगों के जरिये तथा विधान मण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके जो खर्च की स्वीकृति दी जाती है, उसमें अधिकतम धनराशि का उल्लेख होता है जिसके भीतर सरकार को अपने व्यय को नियंत्रित करना होता है ।

बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ ३३ पर यह कहा था कि, "प्रदेश की जनता से इस अतिरिक्त भार को वहन करने की अपेक्षा करते समय मैं इस तथ्य से भी अवगत हूं कि जनता यह भी चाहेगी कि सरकार स्वयं अपने व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययता बरते ।" इसके बाद माननीय वित्त मंत्री ने कुछ मदों पर मितव्ययता के प्रस्ताव का उल्लेख भी किया है ।

संविधान के अनुच्छेद २०५ में अनुपूरक, अपर या अतिरिक्त अनुदान के तथा अनुच्छेद २०६ में प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की व्यवस्था है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि संविधान में ही, ऐसी परिस्थितियों के लिये जब व्यय अधिक हो जाय या अन्य अप्रत्याशित आवश्यकतायें आ जायं, मूल बजट के अनुदानों के स्वीकृत होने तथा विनियोग विधेयक, के पारित हो जाने के

[श्री अध्यक्ष]

पश्चात् परिवर्धन एवं समायोजन की व्यवस्था निहित है। अभी प्रस्तुत बजट के अनुदानों की मांगों पर विचार के दौरान स्वयं सदन ने, लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों को अतिक्रमित करते हुए कतिपय अनुदानों को पारित करके इस समायोजन के सिद्धान्त की पुष्टि की है। वित्तीय नियमों एवं बजट मैनुअल में भी स्वीकृत अनुदान के भीतर विभिन्न मदों में तथा एक स्वीकृत अनुदान से दूसरे स्वीकृत अनुदान में पुनर्विनियोग करने का अधिकार शासन को है, जिसका अभिप्राय किसी अनुदान के मद में अथवा अनुदान में व्यय की कमी या आधिक्य के लिये समायोजन का अधिकार विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत कुल अधिकतम धनराशि के अधीन रहते हुए करने का है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि संविधान या नियम में इस प्रकार की कोई रोक नहीं है कि सरकार मितव्ययता की दृष्टि से विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत विविन्न मदों में व्यय करते समय कमी न करे। इस प्रकार की कोई बाध्यता भी नहीं है कि जितनी धनराशि विनियोग किये जाने हेतु पूरे वर्ष के लिये स्वीकृत की जाती है, वह सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर ही दी जाय परन्तु संविधान के अनुच्छेद १६४(२) तथा वित्तीय प्रक्रिया सम्बन्धी उक्त अनुच्छेदों के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए शासन का यह भी उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह सदन की इच्छानुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों का उपयोग करे।

माननीय नेता, विरोधी दल ने ऐसे किसी नियम या संविधान के उपबन्धों का उल्लेख नहीं किया है जिससे सदन द्वारा इस प्रकार श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्तुत अनुदान की मांगों पर, इस आधार पर विचार करने की रोक हो कि शासन ने अपने आदेश द्वारा मितव्ययता की दृष्टि से कटौती का निर्णय लिया हो।

शासन के उस आदेश को भी मैंने देखा, जिसका जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने किया है। उक्त आदेश द्वारा, २ जुलाई, १९७४ को प्रशासन में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित कतिपय सचिवों की बैठक के "कार्यवाही विवरण" को शासन के समस्त सचिवों को सूचनार्थ एवं प्राथकिता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। इसमें उक्त दिनांक में लिये गये अन्य निर्णयों के अतिरिक्त कतिपय विभागों में ५ प्रतिशत की कटौती तथा अन्य विभागों में १५ प्रतिशत की कटौती करने के निर्णय का भी उल्लेख है। यद्यपि उक्त आदेश अधिकारियों की बैठक का एक विवरण मात्र है और उसे, जिस रूप में वह है, शासनादेश नहीं कहा जा सकता परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने इससे इन्कार नहीं किया कि ऐसे शासनादेश हैं कि इस प्रकार की कटौती की जाय। कटौती और बजट में अन्तर का प्रश्न भी उठाया गया और मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री रामायण राय से सहमत हूं कि कटौती का तात्पर्य किसी योजना को काटने से है, जो नीति से सम्बन्ध रखता है और बचत या नितव्ययता का अभिप्राय यह है कि स्वीकृत योजना को चालू रखते हुए उसके व्यय में कमी की जाय। यह सही है कि उक्त आदेशों में बजट के प्राविधानों में कटौती की बात कही गयी है और कठिनाई इन्हीं शब्दों के कारण उत्पन्न हुई है। उचित होता यदि इन शब्दों का प्रयोग न करके यह कहा जाता कि बजट के प्राविधानों के अनुसार व्यय में कमी करके बचत की जाय परन्तु उक्त आदेश को देखने से यह स्पष्ट है कि उद्देश्य के व्यय में मितव्ययता लाने का है और उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग तकनीकी अभिप्राय से न होकर मितव्ययता के ही अभिप्राय से है।

माननीय नेता विरोधी दल ने सदन द्वारा वित्तीय नियंत्रण का भी प्रश्न उठाया है। उनका कहना है कि इस प्रकार की मितव्ययता की दृष्टि से कटौती इसलिये आवश्यक हो जाती है कि बचट को तयार करते समय सभी पहलुओं पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त इससे वास्तविकता की दृष्टि से तैयार नहीं किया जाता है और न ही सदन या सदन की समितियों को इस प्रकार कार्य करने का अवसर मिलता है जिससे सदन का वित्तीय नियंत्रण प्रभावी हो

सके । ऐसा देखा गया है और इसका समर्थन करके लेखा समिति के प्राक्कलन समिति के समय-समय पर दिये गये प्रतिवेदनों से भी होता है कि बजट का प्राक्कलन तैयार करते समय शासन द्वारा उतनी सावधानी नहीं बरती जाती जितनी कि होनी चाहिये । इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि सदन और उसकी समितियों का जितना और जिस प्रकार का वित्तीय नियंत्रण होना चाहिये और जो संविधान के अन्तर्गत अपेक्षित है, वह नहीं हो पाता ।

माननीय नेता विरोधी दल ने स्वयं अपने व्यवस्था के प्रश्न उठाते समय यह स्वीकार किया है कि यह असाधारण मामला है और बजट के प्राविधानों में मितव्ययता की दृष्टि से कटौती पहले भी होती रही है । जसा मैं ऊपर कह चुका हूं, ऐसा करना संविधान अथवा नियम के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता ।

अतएव मैं व्यवस्था के इस प्रश्न को अग्राह्य करता हूं ।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

वैसे रूलिंग शिरोधार्य है इस प्रकार से । मगर मेरी एक प्रार्थना थी कि हम लोगों के सुनने के बाद तुरन्त आपने फैसला सुनाना प्रारम्भ किया । इसका मैंने मतलब यह समझा कि मस्तिष्क आप बना चुके थे पहले आपको सब मालूम था (व्यवधान) मुझे कह लेने दीजिए । जब एक मर्तबा पहले मस्तिष्क बना लेते हैं, उसके बाद कहा जाता है सुनने के लिए, कि आप मस्तिष्क बनाएं. . . ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

दैट अमाउन्ट्स टु ऐसपर्शन आन योर रूलिंग, सर ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आपने सुना नहीं । इस पर मैंने सावधान और सतर्क होने की बात भी कही है । (माइक्रोफोन बन्द था) सुनने के बाद देते तो बड़ा अच्छा था ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी ने. . . .

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ (क्रमागत)

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय ।

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, कुछ बोलने तो देंगे आप ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय कोई लम्बी बात न कह कर, माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, दो तीन बातों की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं । (व्यवधान) एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में माननीय प्रभु नारायण सिंह जानते हैं । और इनकी आदत रही है मिसएप्रोप्रिएट करने की ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

वैरी सीरियस ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह कदाचित मिसएप्रोप्रिएट हो गये उधर चले गये ।

श्री रामसेवक यादव—

मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की कार्यकुशलता गिर रही है । और एक ही मामूली मिसाल दूंगा । ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं । हम लोग यहां बैठते हैं । यह जो सचिवालय है, इसके वित्त सचिव का क्या नम्बर है, आज तक डायरेक्टरी हमारे यहां नहीं पहुंची है । यह आपकी कार्यकुशलता है । जब कि सदन इतने दिनों से बैठ रहा है । आपके आदेशों का कहीं पालन नहीं होता है । यह जो सचिवालय का टेलीफोन एक्सचेंज है । इसकी हालत यह है कि घंटों घंटी बजती रहती है और कोई उठाने वाला नहीं है । इस तरह से टेलीफोन खराब रहते हैं । इसके लिये मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि यह केन्द्र का विषय है । लेकिन इसमें आप की भी जिम्मेदारी आ जाती है ।

मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी के जो आदेश होते हैं उनका पालन नहीं होता है । कभी-कभी तो हमें ऐसा लगता है कि यहां के अधिकारी उनका पालन नहीं करते हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि ऐसे आदेश दे दिये जाते हैं और यह कह दिया जाता है कि ऐसे आदेश रहेंगे लेकिन इनका पालन न करें । मैं एक मामूली बात रखता चाहता हूं । २३-७-७४ को एक रेडियोग्राम है । मुख्य मंत्री ने वायदा किया था और उन्होंने कहा था कि आज ही चला जायेगा और पुरानी खाद पुराने भाव पर बिकेगी । इससे मुख्य मंत्री जी याद रखेंगे और समस्त लोगों को, जिलाधिकारियों को और उनके जरिये कोआपरेटिव यूनियन वगैरा को भी आदेश चले गये । मैं बाराबंकी का उदाहरण देना चाहता हूं और जगहों पर भी होगा । लेकिन उसकी सूचना अभी नहीं आई है । वहां पर पुरानी खाद के साथ-साथ नई खाद भी नये दर पर दी जा रही है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

वहां कोई अलग प्रशासन है ।

श्री रामसेवक यादव—

किसका शासन है । यह तो आपके देखने की बात है एक बोरी खाद पुराने रेट पर दी जा रही है और एक बोरी नये रेट पर दी जा रही है । इसका क्या अर्थ है । इसमें कहीं भ्रान्ति नहीं है । इसकी ऐसी भी भाषा नहीं है जिसका दूसरा अर्थ लगाया जा सकता हो । लेकिन यह चीज हो रही है और दो ब्लाकों से खबर आई है ।

इसी तरह से गेहूं की वसूली में भी कई तरह के माप-दण्ड चले । इससे आप देख सकते हैं कि एक ही सरकार है या दो सरकार हैं । कहीं पर दो बोरी गेहूं पर एक क्विन्टल खाद दी गई और कहीं पर एक बोरी पर एक क्विन्टल खाद दी गई । मैं एक ही मिसाल दूंगा और आगे नहीं जाना चाहता हूं । जो सरकार की नाक के नीचे हो रहा है उसी चीज को कहूंगा । जैसे कहा जाता है कि "चिराग तले अन्धेरा" । बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ ब्लाक में व्यापारी और बड़े-बड़े किसान महंगे गेहूं को खरीदकर गंगागंज में लाते थे जो लखनऊ में ही है । उनको एक बोरी गेहूं पर एक क्विन्टल खाद मिलता था । वहां पर दो बोरी पर एक बोरी मिलता था । इस तरह से उन्होंने सीमेन्ट, खाद तथा चीनी वगैरा ली और उसको कालेबाजार में बेच रहे हैं । इस गवर्नमेन्ट के काम से काले बाजार को प्रोत्साहन मिलता

है। इस तरह की चीज आज चल रही है। क्या ऐसे आदेश जायेंगे कि जहां पुरानी खाद बटती है वहां नई देने से रोक दी जाय। जब तक यह आदेश रहेंगे तब तक यह चीज चलती रहेगी। मैं आपके सामने यह चीज रख रहा हूं कि सरकार के आदेशों का कहीं पालन नहीं होता है।

आज सुबह एक प्रश्न उठा था तो उद्योग मंत्री जी ने कहा था कि इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी जा रही है और फिर उन्होंने कहा कि ४८–५२ जिले हैं, उसमें देर लगती है। जब पूरक प्रश्न पूछा गया कि एक जिले के कलेक्टर ने रिपोर्ट दी तो बदला उत्तर था कि किसी से नहीं आया तो ऐसा लगता है कि शासन नाम की कोई चीज इस प्रदेश में नहीं है। हर चीज राम भरोसे चल रही है। तो यह राम भरोसे कब तक चलेगा। उसको ठीक करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक कानूनी व्यवस्था का सवाल उठाकर खत्म कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

इस विनियोग विधेयक के ऊपर कहें।

श्री राम सेवक यादव––

विनियोग विधेयक के ऊपर भी सब चीजों को कह सकते हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)––

एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल रहे हैं? यह भाषण नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष––

माननीय काशी नाथ मिश्र अपने कानों का प्रयोग नहीं करते। मैं वही बात कह रहा था जिसको उन्होंने कहने का कष्ट किया।

श्री राम सेवक यादव––

इसीलिये मैं कह रहा था कि कानूनी व्यवस्था बिगड़ रही है और २ भूतपूर्व सदस्यों के बारे में सवाल उठे। तीन-तीन लोग एक लाइन में खड़े कर के गोली से मार दिये जाये। ऐसा लगता है कि डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अगर ऐसा ही होता रहा तो स्थिति भयावह हो जायेगी। उसी तरह से अध्यक्ष, महोदय, गुलूकोस काण्ड का सवाल है। आरोप लगाया गया था कि वी० जे० फार्मा को लाइसेन्स दिलाने में बहुत बड़े नेता का हाथ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने आरोपों का खण्डन भी किया। आज नेशनल हेराल्ड में साफ है। मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है।

"My dear Dr. Chakravarty,

With reference to my phone conversation with you this morning, I am asking, as desired,.....

श्री प्रभु नारायण सिंह (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष––

(श्री राम सेवक यादव से) सुन लीजिए।

श्री प्रभु नारायण––

क्या सदन में अखबार के आधार पर कोई बात हो सकती है। अखबार में छपी हुई चीज को नहीं रखा जा सकता है।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

प्रश्न यह है कि इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि गुलूकोस के मामले में किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं जायेगा। इसी सदन में कहा गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, जितने समय तक यह सम्पन्न नहीं हो जाता सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष---

प्रस्तुत कार्यक्रम जब तक सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक के लिये विधान सभा का समय बढ़ा दिया जाये। किसी को आपत्ति नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं ठीक से सुन नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष---

सदन का समय बढ़ा दिया जाये। यह प्रस्ताव आया है और इस पर राय ली।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

ठीक है बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष---

अखबार को आधार नहीं बनाया जा सकता है।

श्री राम सेवक यादव---

अध्यक्ष महोदय, उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि नहीं किसी का हाथ नहीं है। अगर किसी बड़े से बड़े का हाथ होगा तो वह बक्शा नहीं जायगा और मैं समझता हूं क्या मुख्य मंत्री जी अपने वचन पर कायम रहेंगे। जो विधान परिषद् में यह सवाल उठा था इसमें साफ इन्होंने लिखा है कि अगर डा० चतुर्वेदी ने लिखा है और फिर इसके बाद चक्रवर्ती ने एडिशनल ड्रग कंट्रोलर को एक नोट देकर कहा कि---प्लीज सी इट। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन से, माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि जब इस देश की कुर्सी के ऊंचे स्थान पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ इस तरह की चीजें आयें तो इस पब्लिक लाइफ को साफ सुथरा रखने के लिये जो हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे, जिसमें अधिकारी लोग भी आते हैं, तो उन पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा। हम लोग जब इस उच्च कुर्सी पर विराज करके गैर जिम्मेदारी का काम करेंगे, असत्य का भाषण करेंगे तो इस देश का क्या होगा? मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिये और चाहे कितने ही बड़े से बड़े आदमी क्यों न हों, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी दें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, इसके पूर्व इस विनियोग विधेयक के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। हम तो मान्यवर, इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि यह बजट और यह अप्रोप्रिएशन बिल एक साथ मान्यवर दोनों बिला सोचे समझे लाये गये हैं। दूसरी बात जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं वह मान्यवर कि इस सरकार के साथ तो ऐसा लगता है कि इस बजट पर नियंत्रण होना कठिन है। अब जब हमने अप्रोप्रिएशन बिल पर विचार करना प्रारम्भ किया और हमने सारे अनुदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकार कर दिये। इतनी बड़ी धनराशि हमने आपको दे दिया कि आप इस प्रदेश के कार्य में उसको उपयोग में लायें। उसका विनियोग करें। तो दो बात मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर। इसके पूर्व का नियंत्रण तो हमारे हाथ से निकल गया लेकिन पास होने के बाद आप इस पर नियंत्रण रखें। यह मेरी प्रार्थना है और उस सन्दर्भ में मैं कुछ कहूंगा। उस बीच में हमारी सरकार और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट आता है। इसके पूर्व मैं अपना सुझाव यह दे चुका हूं। एक ही बात फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के बारे में कहने का इशारा करूं तो शायद वह उसके बारे में पर्याप्त होगा कि हाई कोर्ट की नजीर हो चुकी है कि यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट बहुत ही अच्छी स्कीमों को कबरिस्तान बना चुका है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट जो है, वह अब हाई कोर्ट की रूलिंग पर विचार करे।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी पालिसी और सरकार द्वारा नियंत्रण पर विचार करे। आज बड़ी कठिन परिस्थितियों से यह देश गुजर रहा है। मैं एक बात कहूंगा। अपने अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि हम कृषि उत्पादन बढ़ायें। वह हमारी बेसिक कड़ी है, उसकी ओर विशेष ध्यान दें। सदन में सामान्य चर्चा तो हो चुकी हैं लेकिन नियमानुसार में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस प्रदेश में ८५ प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है और लगभग ५४ प्रतिशत कृषि से आय होती है तो स्वाभाविक है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाय और ग्राम्य जीवन और कृषकों के जीवन को सुधारने की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी बिगड़ी आर्थिक स्थिति में हमारी सरकार ने क्या किया? २६ वर्षों में कौन नीति अपनाई, कैसे धन का उपयोग किया कि केवल ४० प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई हो सकी। जो नलकूप बने उनकी स्थिति ऐसी दयनीय है कि तरस आता है पानी के बिना क्योंकि बिजली नहीं रहती है। दूसरा साधन अब किसानों के पास क्या रहा, कैश क्राप गन्ना है जो चीनी मिलों को वे बेचते हैं। इन मिलों ने सरकार को इलेक्शन के लिये १० करोड़ रुपया दिया। जो सूचना हमें प्राप्त है, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस समय ६८ मिलों पर गन्ना उत्पादकों का मूल्य २१ करोड़ ३४ लाख रुपया बाकी है। यह उसके अलावा है तो १२ मिलों के ऊपर २ करोड़ ६५ लाख रुपया बकाया है। आपने उनकी हालत सुधारने के लिये उनकी मदद नहीं दी। आज की स्थिति में आप कृषकों की क्या दुर्दशा कर रहे हैं।

तीसरी स्थिति यह है कि कितनी जनता के लिये आज गांवों में पेय जल की व्यवस्था है। हर १२ गांव में एक ऐसा गांव होगा जहां पर पेय जल की व्यवस्था हो सकी है। इस हिसाब से अगर देखा जाय तो इन्हें २४० वर्ष लगेंगे जबकि ये सारे गांवों में पेय जल की व्यवस्था कर पायेंगे। यह कैसी दृष्टि इनकी हमारे गांवों की ओर है।

विद्युतीकरण की बहुत चर्चा चली। आप देखें कि कुल १ लाख १२ हजार ६२४ गांवों में से लगभग २९ हजार ३४१ ग्रामों में विद्युतीकरण किया गया है। अर्थात् केवल २६ प्रतिशत २६ वर्षों में विद्युतीकरण हुआ है। जिसका अर्थ यह है कि १ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हुआ है। इस हिसाब से आप ७४ वर्षों में बाकी जगहों को बिजली देने जा रहे हैं। आज बिजली की जो स्थिति है, उससे यह सरकार क्या समाधान कर पायेगी। विद्युत् विभाग में ३६ डिवीजन्स में से २६ को डिस्बैन्ड कर दिया है।

देहात की रीढ़ की हड्डी कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट है और दूसरा है कम्युनिटी डेवलपमेन्ट विभाग। इन दोनों से उनकी कड़ी होनी चाहिये पर आप इन पर अपना नियंत्रण देखिए? कितना रुपया दिया जाता है, उसको देखिए, माननीय तिवारी जी आपको देहात में जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, आप को तो उसके पसीने से नफरत है, हमको तो नहीं है, जो रुपया यहां से जाता है वह धनिकों के पास जाता है, गरीबों के पास वह नहीं जाता है। इसके बारे में तो रिजर्व बैंक ने टिप्पणी की है कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह रुपया गरीब किसानों के पास नहीं

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जाता है, उनके हाथों में नहीं जाता जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है। कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट कैसा विभाग है ? आपने सेम्पिल किया, सब को तो डिटेक्ट नहीं कर पाये लेकिन कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में १,०४८ केसेज एम्बैंजिलमेन्ट के हैं और जून और जुलाई के ७९ केसेज आपने पाये। इनमें करीब-करीब २-१/२ करोड़ रुपये का गड़बड़ घोटाला है और इन ७९ कैसेज में भी कम से कम ६० लाख से १ करोड़ रुपये का घोटाला है। यह तो खिचड़ी का एक चावल है। डिटेल में कैसे बताया जा सकता है ? आज भी दिल्ली के एक मिनिस्टर ने घोषणा की है कि हमारी सारी अर्थ व्यवस्था कम्युनिटी और कोआपरेटिव के आधार पर रखी गयी है। मगर कैसी दशा कर दी आपने कोआपरेटिव की, जिसने फर्टिलाइजर गरीब को नहीं दिया। फर्टिलाइजर, सीमेन्ट और सीड्स का ब्लैक कर लिया। नेकनीयती से आपने भेजा होगा। एक तो पर्याप्त आपने भेजा नहीं और जो भेजा वह उनके पास पहुंचा नहीं। यह स्थिति है कि करोड़ों रुपया आप मांग कर ले जा रहे हैं इसमें फेंकने के लिये गरीब के नाम पर, मगर मिलता नहीं उसको। यह तो ऐसा है कि भगवान आप हैं, आपकी वस्तु आपको ही समर्पित है, "त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।"

दूसरा सामुदायिक विकास विभाग है। मैं इशारा कर दूं। मुझे बड़ा प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है आर्य जी पर, लेकिन मैं पूछता हूं कि कितना भ्रष्ट कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट है, मैं कह नहीं सकता। हमारे माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार का नाम लिया, मैं मनन कर रहा था कि भ्रष्टाचार का नाम न लूं, लेकिन जैसे प्राण के लिये वायु है वैसे ही आज समाज के लिये भ्रष्टाचार आवश्यक हो गया है। खाद्य मंत्री बोल रही थीं। मैं क्या कहूं कि जिलों में क्या हो रहा है। कलेक्टर शिक्षा देता है कि तुम खरीद लो, हमें दे दो, तुम्हारा पड़ता पड़ जायगा। तुम हमें सस्ता दोगे तो सस्ता खाद, सस्ती चीनी मिलेगी, ब्लैक में तिगुने दाम में पाओगे। कैल-कुलेट करके देख लो, मुनाफा पाओगे, अच्छे दाम पाओगे। इस प्रकार से तो प्रदेश भर को आपने ब्लैक-मार्केट के आश्रित कर दिया। अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो वह तो आपने आफिसर्स में बांट दिया। वसूली में तो ढाई-ढाई सेर तक गेहूं ले लिया है गरीबों से और कहते हैं कि चिन्ता मत करो, तुम्हारा पूरा हो जायगा।

कम्युनिटी डेवलपमेन्ट क्या है ? मेरी आदत है, क्षमा करेंगे, कि जब मैं व्यक्तिगत रूप से कोई कम्प्लेंट या कोई चीज मंत्री या सरकार को देता हूं तो मैं स्वयं पहले जांच कर लेता हूं ताकि मेरी दरख्वास्त पर यह प्रमाण न मिल सके कि मैंने अनर्गल या झूठ लिखा है। कम्युनिटी डेवलपमेन्ट मंत्री जी से कहा तो उन्होंने लिख दिया उस पत्र पर जिसको मैंने कितना दुखी होकर लिखा था, तो उस पर लिख दिया कि "माननीय त्रिपाठी जी, आपका पत्र मिला, मैंने सम्बन्धित अधिकारी को भेज दिया।" उसके बाद दुखी होकर मुख्य मंत्री जी के पास गया, क्योंकि मेरे घर से लगी हुई एक मील की दूरी पर सड़क है। मुझे खुशी है कि उन्होंने विजिलेंस कमीशन को भेजा और जांच पर पता लगा कि आधे से ज्यादा खा गये हैं। कैसे सुधरेगा यह डिपार्टमेन्ट ? अगर आपकी यही नीति है, यही ढिलाई है, मंत्री महोदय का यही रवैया है जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति तो भगवान ही कल्याण करे।

सामुदायिक विकास के ३६८ अधिकारी निलंम्बित किये गये मगर हुआ क्या। खाद, सीमेन्ट, बीज सब नाबदान में गया। इसी संदर्भ में मैं कुछ सड़कों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा नमूने के लिये। बांसी-डुमरियागंज रोड की हालत आप देखें और जांच करें कि कितना उसमें खर्च किया गया है। कणजा-धर्मसिंहा रोड की हालत क्या है। बिजनौर की एक सड़क है जो कागज पर न बन गयी। सड़क बन गयी, बनने के बाद उसकी मरम्मत हो गयी और बाद में पता चला कि सड़क बनी ही नहीं। जब कम्युनिटी डेवलपमेन्ट में इस तरह की चीजें होती हैं तो नियंत्रण नहीं कर सकते। यह जो आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं वह भी चरमरा गयी हैं।

तो मैं कहता हूं मुख्य मंत्री जी आप विचार करें इस बात पर, यह आपके विचार करने की बात है। रुपया तो आप खा जायेंगे, लेकिन देखिए यह तो खिचड़ी का एक चावल रखा गया है। उससे आप पूरी तस्वीर का अन्दाजा भलीभांति लगा सकते हैं। मैंने चिट्ठी भेजी कि ऐसा केस पकड़ा गया है, एक बी०ए०,एल०-एल०बी० है, उसका अंगूठा लगवा दिया एक मामले में।

मैंने बताया। मन्त्री जी ने लिखा कि आकर मेरे कमरे में वह लिस्ट देख लीजिये। कब, मैंने फुर्सत नहीं, इतनी मोटी लिस्ट। मैं इनके सामने भ्रष्टाचार लाना चाहता हूं, ये अपने कमरे में बुलाते हैं। मैंने फिर चिट्ठी लिखी कि मेरे पास भेज दीजिये, मैं देख लूं। अगर यह समझते हैं कि मैं उसे निगल जाऊंगा तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं भी उनकी तरह जिम्मेदार पद पर रह चुका हूं। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिये। जवाब नहीं दिया आज ५ दिन हो गये। आपका डिपार्टमेन्ट आपके साथ है और थपोड़ी बजाने वाले आपके साथ हैं। सही छिद्रान्वेषण करने वाला विरोधी दल है। मैं अपने आपको आपसे कम जिम्मेदार किसी पहलू पर नहीं समझता। जितनी बातें मैंने कही हैं अगर आप बताइये कि मैंने जानबूझ कर झूठ बोला है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपको सत्य की ओर संकेत करता हूं कि आज की स्थिति क्या है।

रिजर्व बैंक की रूरल एरिया में जो क्रेडिट स्कीम थी वह फ्लाप कर गयी। कम्युनिटी डेवलपमेन्ट और सहकारी समितियां, इनके बारे में मैंने बात कह दी। आप हमारे साथ सहयोग करने के लिये तैयार नहीं हैं। आप समझते हैं कि किसी अफसर को पकड़ा जायगा तो आप पकड़े जायेंगे। आप गलत अफसर की वकालत करते हैं। आप यहां कहते हैं कि हमें सूचना चाहियें। मुझे नीचे के जवाब देने वाले कहते हैं कि जवाब गलत जा रहा है। मन्त्री जी यहां उसकी वकालत करते हैं। किसे फरियाद की जाय। मैं कहता हूं भविष्य बुरा है अगर ध्यान नहीं देंगे। मैं हृदय से कहता हूं कि लोगों को मजबूर होकर दूसरे रास्ता अख्तियार करना पड़ेंगे।

खाद्य की स्थिति पर कुछ कह नहीं सकता। हमारी माननीया मन्त्री जी बैठी हुई हैं। रोज खाद्य पर चर्चा होती है। बड़ी वाल्कैनिक स्थिति है। बांसी क्षेत्र में आज तक सीमेन्ट नहीं गयी। वह मेरा क्षेत्र है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बांसी को सीमेन्ट भेजने के सिलसिले में मैंने खुद पूछताछ की थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं आपकी शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अभी तक पहुंची नहीं थी, अब पहुंची होगी। बांसी तो एक छोटी जगह है। सारे प्रदेश में, जैसा मैंने कहा था, २७ जिले हैं जहां गेहूं नहीं पहुंच रहा है, आप स्वयं जानती हैं। हम विरोधी दल के होने के नाते जो भी हमारा कर्तव्य है वह हम करेंगे। मेरे मित्र कहते हैं कि तुम जनसंघ की सिफारिश लाये थे और यही भावना मन्त्री तक पहुंचती है। एक ही महीने में पावर में रहा, वैसे तो चार महीने रहा, लेकिन मैंने कभी स्वप्न में भी ऐसी बात नहीं सोची थी। आपने एग्रीकल्चर की वही स्थिति कर दी।

आप उद्योग की स्थिति को देख लीजिये। उद्योग आज उजड़ रहा है आपके प्रान्त से। यहां की जो मूल इंडस्ट्रीज थीं--चमड़ा, चीनी, टैक्सटाइल विद्युत् के अभाव में दे आर ग्रोनिंग। नयी यूनिट्स के लगने की कोई सम्भावना नहीं है। माननीय तिवारी जी ने स्वयं कहा कि बिजली की कमी के कारण उद्योग यहां से शिफ्ट कर रहे हैं। और बड़ी खुली बात है, बिजली टारगेट के मुताबिक पैदा नहीं हो रही है। तो उद्योग भी खटाई में पड़ गये। कांपते हुए इस पुरुष रूपी दंगाल उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी? बिजली बोर्ड की बात दो मिनट कह दूं, मन्त्री जी ध्यान में रख लें कि इसकी लापरवाही और अकुशलता अद्वितीय है। मुझे सूचना

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मिली है इसकी, आपको बता रहा हूं। इसे कृपया नोट करें। एक बिल का नं० है ६१९९७-ए, दिनांक २३-१०-७३, दूसरे बिल का नं० है ६१९९८-ए, दिनांक २२-१०-७३। एक बड़ी फर्म से ट्रान्सफार्मर्स तथा दूसरे कुछ उपकरण मंगाये गये, बिना स्टाक का वेरिफिकेशन किये ९० परसेंट पेमन्ट कर दिया गया। जब १० परसेंट बाकी का पेमेन्ट हुआ तो उस समय स्टाक का वेरिफिकेशन हुआ, उस समय गड़बड़ी का पता चला कि उसमें पचासों लाख रुपये के माल का घपला है। यही नहीं, स्टेशन पर माल पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, आपको काफी डीमरेज देना पड़ता है।

हरदुआगंज का पावर प्लान्ट सरकार ने बेच दिया। किसके हाथ बेचा और कितने में बेचा? आपने अपने टर्म्स के खिलाफ बेचा और मोदी के हाथ बेचा और काफी कम दामों पर बेचा। जहां कोयले का भंडार रहता है, वहां आपने इस प्लान्ट को बेच दिया। १० लाख की चीज को ४ लाख में बेच दिया, इसलिये बेच दिया कि सन् ७६ में चुनाव आने वाला है, पैसा आखिर कहां से आयगा। प्राइवेट पार्टीज के हाथ बेचने का क्या कारण है? मान्यवर, इसको कुछ आप समझें। बड़ी गड़बड़ी है इस विभाग में, मैंने एक दो बातों पर ही संकेत किया है।

सामान्य प्रशासन के बारे में भी एक-दो बातें कहूंगा। मेरा निवेदन है कि आप मन्त्रियों का चयन मेरिट्स के आधार पर ही करिये। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने खुद सोचा होगा इस बारे में, मैं इतना ही कहूंगा कि एक दो विभाग ऐसे हैं जो पालिटिकल रीजन्स से अन-रिप्रेजेन्टेड रह जाते हैं। मैं इस समय हर मन्त्री के बारे में अलग-अलग नहीं बता सकता, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि यह गवर्नमेन्ट पंगु है इस समय। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में कमीशन की रिपोर्ट को अभी तक आपने लागू नहीं किया। उसने यह सिफारिश की है कि इसमें आप रिफार्म्स कीजिये। क्या होने चाहिये, इस वक्त यह समय नहीं है बताने का, लेकिन आप करिये। यह कमीशन की राय है कि अगर इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी पंचवर्षीय योजना फेल हो जायगी। आज सर्विसेज में, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में, एक विद्रोह की स्थिति है। मैंने उस दिन भी कहा था तो यह कहा गया कि मैं तो दोनों में झगड़ा कराना चाहता हूं। नहीं, आप ऐसा न समझिये। हम अगर शिया लोगों के बारे में कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं साम्प्रदायिक झगड़ा कराते हैं, अगर उनकी बात नहीं कहते तो कहते हैं कि मुसलमानों से यह लोग दूर रहते हैं। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि आप इन सर्विसेज में इनके इमालूमेन्ट, टाइम-स्केल, सीनियारिटी आदि सारी बातपर विचार कीजिये। मैंने उस दिन भी कहा था कि यंग आफिसर्स को बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं रहता। आपने कहा कि कुछ ऐसे आफिसर्स हैं जिन्होंने बड़ा कमाल किया है। हो सकता है, मगर उनको ज्यादा तजुर्बा नहीं होता। इस तरह से तो ५० वर्षों के बाद फिर राष्ट्रपति को भी बाहर चले जाना चाहिये, किसी को भी उसके बाद सर्विसेज में नहीं रहना चाहिये। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर आपने मिस्टर रेचा को जो ८ वर्ष पहले रिटायर हो गये थे, आफिसर्स ट्रेनिंग कालेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया? मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता। आपने कुछ सोचा होगा, उनमें कुछ योग्यता होगी, उनमें कुछ विशेषता होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप किसी को रूल आउट नहीं कर सकते कि केवल यंग आदमी ही लिये जायें बूढ़े न लिये जायं। जहां तक आई० ए० एस० व पी० सी० एस० की बात है, उनको आपस में लड़ाने का काम आप कर रहे हैं, एक बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी ने यह कहा, एक मन्त्री महोदय के मुंह से एक बात निकल गयी कि उनको आपस में लड़ा कर उनकी राज जानना चाहते हैं।

जहां तक आफिसरों की प्रोन्नति, नियुक्ति व स्थानान्तरण की बात है वह आप अपने मन से न करके मेरिट के आधार पर कीजिये। सारी सर्विसेज के मन में इस तरह की भावना हो गयी है कि इसमें उनके साथ न्याय नहीं होता। स्थानान्तरण के सिलसिले में आपने एक बार कहा था कि जिसका भी ट्रांसफर हो जाय पहले अपने स्थान पर जाकर ज्वायन कर ले फिर मेडिकल

लीव वगैरह ले वरना उसे सजा दी जायगी । लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि १२ तारीख को एंडीडेट में मेडिकल विभाग ९८ व्यक्तियों का ट्रांसफर १२ तारीख के पहले की तारीख में कर दिया गया । आप इसकी जांच करें कि यह बात कहां तक सही है । पी० डब्ल्यू० डी० सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में और अनेक सर्विसेज में आपके इस आदेश का उल्लंघन हुआ है । क्या इसी तरह से सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेशन चल सकेगा । आज आपका प्रदेश प्रशासनिक मामले में खोखला हो गया है । ट्रांसफर के सिलसिले में मैं एक उदाहरण दे दूं । मैं उनके प्रति कोई व्यक्तिगत प्रेज्यूडिस नहीं हूं लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि श्री पी० एन० कौल २० वर्ष से कानपुर में ही हैं । तीन महीने के लिये कहीं गये थे फिर एडमिनिस्ट्रेटर होकर वहीं आ गये । मैं पूछता हूं कि आखिर यह क्यों श्री पी० एन० कौल क्यों घूम फिर कर कानपुर ही आ जाते हैं । इससे बढ़कर डिमोरेलाइजेशन का मसाला और क्या हो सकता है । एक आदमी दस वर्ष तक एक जगह बना रहे और एक का बार-बार ट्रांसफर होता रहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से धुंधुआ गया है । आप इस बात को देखें कि आगे चल कर कोआपरेशन से काम करना आपके लिये बड़ा कठिन होगा । बड़े अधिकारियों में निराशा की भावना व्याप्त हो गयी है और उनका मनोबल गिर गया है ।

अब एक बात मैं अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी के बारे में कहना चाहता हूं । मुझे तो अच्छी हिन्दी नहीं आती लेकिन जिस वक्त माननीय मुख्य मन्त्री जी हिन्दी बोलने लगते हैं तो वह मुझे बहुत प्यारी लगती है । तिवारी जी भी बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं । लेकिन मैं जब इस उत्तर प्रदेश के सेक्रेटेरिएट में राष्ट्रभाषा हिन्दी की दुर्दशा को देखता हूं तो मेरे हृदय को बहुत दुख होता है । जिस प्रकार से उसकी यहां अवहेलना हो रही है, ऐसा मान्यवर कोई अपेक्षा नहीं थी । केन्द्रीय सरकार ने १ करोड़ ३० लाख रुपया हिन्दी ग्रंथ अकेडमी को दिया था लेकिन हमारी सरकार केवल ३० लाख रुपया ही खर्च कर पायी और एक करोड़ रुपया नहीं ले पायी । एम० ए० क्लास के ग्रन्थों के अनुवाद करने की बात थी लेकिन सरकार उसे नहीं करवा पायी । आज उस अकेडमी की हालत स्टार्वेशन की तरह है, स्टाफ को कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, किसी को कुछ नहीं मिला है । मैं कोई मुकाबला नहीं करता लेकिन उर्दू अकेडमी के पास काफी पैसा है, भगवान करे कि और रहे लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से जब मैं इस चीज को देखता हूं तो कहता हूं कि हिन्दी भाषा की बड़ी उपेक्षा की गयी । आपको कितने बड़े अधिकारियों को हिन्दी भाषा का व्यवहार न करने पर दंड दिया । जब मैं हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था तो मैंने पहले दिन ही यह आदेश दे दिया था कि सब काम हिन्दी भाषा में होगा । बैंक वालों ने कह दिया था कि हिन्दी की वजह से ४०–५० लाख रुपया हम आपका अपने यहां नहीं लेंगे तो मैंने कहा कि ठीक है तुरन्त सारे रुपये विदड्रा करके कोआपरेटिव बैंक में रख दो । इस पर बैंक वाले मेरी बात मान गये । सरकार बतलावे कि हिन्दी की उपेक्षा करने पर उसने अपने कितने अधिकारियों को दंड दिया ? कितने सेक्रेटेरियट के कागज हैं जो हिन्दी में लिख कर जाते हैं । दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं और यहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । बहुगुणा जी जब आप संचार मन्त्री थे तो आप कहा करते थे कि तार-वार हिन्दी में लिखे जाने चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि आप दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं, क्या आपकी हिम्मत है कि १४ दिन के अन्दर आप आंकड़े दें । आप पता लगायें कि कितने कागज हिन्दी में गये और कितने कागज अंग्रेजी में गये और पता चले कि मेरी बात गलत है या सही ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं माधव बाबू को समझाना चाहता हूं कि वह हिन्दी की चर्चा हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र में करते हैं और मैं हिन्दी की चर्चा अहिंदी भाषा भाषी इलाके में करता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि मन्त्री जी पता लगायें कि कितने हिन्दी या अंग्रेजी के कागज सेक्रेटेरियट से गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि समुचित जो आदेश हैं उनका पालन नहीं किया

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

जाता है। माफ करेंगे हमारे आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के अधिकारी वे राष्ट्र के लिये घातक काम कर रहे हैं। यह किसी हालत में नहीं होना चाहिये। जिसके लिये महात्मा गांधी ने कहा और जिसके लिये आज इतनी लड़ाई हो रही है उसी हिन्दी का प्रयोग आज नहीं हो रहा है। आप अपनी कथनी को देखें और उसी के हिसाब से करनी को भी देखें कि क्या हो रहा है।

मुझे सूचना मिली कि वेतन बिल हिन्दी में हो गये थे और आज देखा जा रहा है कि उसके प्रारूप फिर अंग्रेजी में हो गये हैं। समितियां की कार्यवाही फिर अंग्रेजी में छापी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अभी एक मीटिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त हिन्दी में बोले। पर मन्त्री जी अंग्रेजी में बोले। क्या कमाल किया। मुझे तो महामना मालवीय की बात याद आती है। शायद वह जरमनी या कहीं और गये थे, लांगटेबिल कान्फरेंस में। उन्होंने धर को एक पत्र लिखा। पत्र के ऊपर पता अंग्रेजी में लिखा तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या तम्हारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है तो उन्होंने हिन्दी में उसको काट कर लिख दिया। आज उत्तर प्रदेश में ही हिन्दी की यह दशा हो रही है। चाहे आई० ए० एस० या पी० सी० एस० या कोई हो, कहने के मुताबिक कार्य नहीं हो रहा है।

मान्यवर, मैं २–३ मिनट लूंगा।

मान्यवर, शिक्षा की ओर ध्यान दें। आज युवकों की जिस तरह से दुर्दशा है वह हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोई देखता है तो कहता है, कि कांग्रेस राज ने इनकी क्या दुर्दशा कर दी है। आज उत्तर प्रदेश में देखें, माध्यमिक शिक्षा को देखिये, प्रारम्भिक शिक्षा को और उसके ऊपर की शिक्षा को देखिये, क्या दुर्दशा है। मैं तो कहता हूं कि 'द टेम्पल आफ एजूकेशन हैज बिकम द टेम्पुल आफ करेप्शन'। मान्यवर, मैं एस० डी० सिंह की रिपोर्ट की बात करता हूं। शायद बहुगुणा जी उस वक्त नहीं थे। मैं कहता हूं कि आज तक उनकी रिपोर्ट सदन में नहीं आयी है।

मान्यवर, कालेजों में क्या हो रहा है। नकल हो रही है। पार्टी बाजी हो रही है और तरह-तरह की अनियमिततायें हो रही हैं। इन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज के कैम्पस के अन्दर यह नहीं होना चाहिये पर यह वाइस चांसलरों आदि में हो सकती है। क्या बात यह लोग कहते हैं। मान्यवर, थोड़ीसी और बातें कह कर मैं समाप्त करूंगा।

मान्यवर, ला एंड आर्डर सिचुएशन की बात मैं नहीं कहता हूं, वह तो आप रोज ही सुनते हैं। इस पर ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। एक जमाना था जब पुलिस का काम था प्रीवेंशन एंड इन्वेस्टीगेशन और आज आप के घर की बहू बेटियां सोने की जंजीर पहन कर नहीं जा सकतीं। अकेले नहीं चल सकती हैं। पुलिस वाले इन सब कामों में भाग लेने लगे हैं। राबरी में उनके होने की शिकायत हो रही है। और अन्य कामों में उनकी शिकायत की जा रही है। और जो हमारी रक्षा के लिये होना चाहिये था कुछ नहीं हो रहा है।

आप बजट को देखिये, इनका जो बजट २१ लाख का था वह बढ़ाकर ४२ लाख कर दिया गया है। उसमें खाने-पीने की सुविधा किया है। पी० ए० सी० का रिवोल्ट हुआ और उसमें काफी जानें गई। परन्तु आपने जूडिशियल इन्क्वायरी नहीं की। इससे मालूम होता है कि आप बड़े अफसरों के पक्षधर हैं नहीं तो सारी बातें सामने आ जाती। मैं उन छोटे-छोटे व्यक्तियों की आह कहता हूं जिनमें धुंआ भभक रहा है। आप इसका कंट्रोल करिए। इसलिये आप कृपया पुलिस के ला एन्ड आर्डर पर ध्यान दें।

आप कह रहे हैं कि मितव्ययता कर रहे हैं। आप प्रिंटिंग प्रेस पर ध्यान दीजिये। रामपुर में एक दूसरा प्रेस आप खोलने जा रहे हैं जबकि तीन-तीन प्रेस काम कर रहे हैं। निदेशालय आपका १०० करोड़ रुपये का टेण्डर आमन्त्रित करता है और कितना काम होता है। इस पर आप ध्यान दीजिये। इलाहाबाद के एक व्यक्ति ने टेण्डर दिया था उस पर काफी दिनों तक मोल-तोल होता रहा। तब तक कागज की कीमत बढ़ गई और तब उससे कहा गया कि तुम माल दो। इस पर मुझे एक किस्सा याद आती है कि "एक आदमी के पास एक बैल था और उसको वह ३ रुपये का चारा खिलाता था। रात को जब वह सोया तो नींद में उसने देखा कि उसे ३ रु० की जगह ८० रुपये कोई बैल के दे रहा है। परन्तु उसने कहा कि यदि १०० रुपये दे दो तो मैं बैल को दे दूं। इतमें में उसकी नींद खुल गई और देखा कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो फिर उसने आंख बन्द कर ली और हाथ बढ़ाकर कहने लगा कि लाओ ८० रुपये ही दे दो।" इस प्रकार मान्यवर लाखों रुपये का नुक्सान हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस कवर बना रहा है और जो दूसरे लोग कवर सप्लाई करते हैं उसमें लाखों रुपये का घोटाला है। मान्यवर, ये सब चीजें मैंने ऐडमिनिस्ट्रेटिव की दृष्टि से कही हैं। अतः इस पर आप ध्यान दें।

मितव्ययता चाहते हैं परन्तु हेलीकाप्टर पर चलते हैं। पहले दवाई, कपड़ा तथा भोजन चाहिये और तब सवारी पर पहुंचे। ये आवश्यक चीजें आज उपलब्ध नहीं हो रही हैं परन्तु हेलीकाप्टर मिल जाते हैं। कलियुग में रामबाण है टैक्स। चाहे पब्लिक को सुविधा मिले या न मिले परन्तु टैक्स लगा दिया जायगा। इन्सपेक्टरों को ५ रुपये की जगह पर २५ रुपये मिलने लगे हैं। चर्चा के दौरान हेलीकाप्टर के बारे में माननीय तिवारी जी ने कहा। माननीय तिवारी जी इतना मीठा बोलते हैं कि उनके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। कहा गया कि इतना बड़ा प्रान्त है यदि उसमें हेलीकाप्टर से न चलें तो किस तरह चलें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े प्रदेश में क्या यही औचित्य है? मान्यवर, इन शब्दों के साथ में अपने विचार समाप्त करना चाहता हूं और मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि समाज की इस दयनीय स्थिति को अब और आगे न बढ़ायें। इस स्थिति पर आप ध्यान दें नहीं तो यह विस्फोटक स्थिति होने वाली है। लोग दंगा तथा आन्दोलन करने पर लगे हुए हैं। मुझे न कह दें कि मैं इन सबों को उकसाता हूं लेकिन अगर किसी चोर न होने वाले व्यक्ति को बार-बार कहा जाय कि तुम चोरी करते हो तो उसका नैतिक गिराव होगा तो सम्हाल कर भाषा का इस्तेमाल करिये। इन शब्दों के साथ मेरा ख्याल है कि मेरी बातों पर अवश्य ध्यान दिया जायगा।

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)---

श्रीमन्, मैं तो यहाँ नहीं था लेकिन गंगवार जी ने कहा है कि ४ लाख की प्रापर्टी है जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं तो ५० हजार ही दे दें मेरा आफर है चाहे वह दे दें और ले लें और चाहे उनके और कोई साथी, मुझे उसमें आपत्ति नहीं होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

तब आर्थिक स्थिति अच्छी थी।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय लेने का इरादा नहीं रखता।....

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मान्यवर, वह तो छपा है, जांच करा लीजिये, कहिये तो उसे पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं उसकी इजाजत नहीं देता। उस विषय पर कोई बात अब नहीं होगी। श्री रामूर्ति जी अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, बजट अब करीब-करीब पास हो चुका है। इस प्रदेश के अन्दर बड़ी भारी चर्चा है कि सारे प्रदेश में अंग्रेजी शराब की दूकानों की एक शृंखला बना दी जायगी, बीयर यहां इस तरह से बिकेगी जिस तरह से पान की दूकानों पर पान बिक रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह इस बात पर गौर करे कि शराब के जरिये से बहुत सा पैसा पैदा करके सरकार की आय बढ़ाना चाहते हैं तो यह कदम अच्छी तरफ नहीं बढ़ा रहे हैं। शराब के जरिये से जितना ज्यादा रुपया पैदा करेंगे और शराब का जितना ज्यादा फैलाव होगा जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतनी ही हमारे प्रदेश की नैतिकता गिरती चली जावेगी और आगे आने वाली नस्लें बरबाद हो जावेंगी। हमें प्रशंसा करना चाहिये मद्रास सरकार की। माननीय स्वर्गीय राजगोपालाचारी जी ने जो शराब नीति कायम की और जिस नीति पर आज भी मद्रास सरकार चल रही है, सराहनीय है। डी० एम० के० सरकार के उसूलों से मैं इत्तिफाक नहीं करता लेकिन इसके बावजूद भी मैं सराहना करना चाहता हूं कि मद्रास प्रदेश से आहिस्ता आहिस्ता शराब का इस्तेमाल बिलकुल बन्द होता जा रहा है। इसके विपरीत हमारे प्रदेश में शराब का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी अफसरान वगैरह शराब का इस्तेमाल किये हुए कोई काम नहीं कर सकते किसी का भला नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई अपना काम कराना चाहता है तो पहले वह शराब का उनके लिये प्रबन्ध करे न करने पर सरकारी आफिसर उनकी बात की ओर ध्यान देना नहीं चाहते, सरकार का इस ओर ध्यान खासतौर पर जाना चाहिये ऐसा आज ख्याल पैदा हो रहा है कि अगर शराब की दूकानें ज्यादा खोल कर इस प्रदेश की आर्थिक आमदनी बढ़ाई जायगी तो वह एक बहुत गलत कदम होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायत राज्य की बुनियाद चुनाव है। अभी भी सरकार को ऐसे कदम उठाने हैं जिससे सर्वसाधारण के दिल में यह ख्याल पैदा हो कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। यहां पर बड़ी चर्चा चुनावों के बारे में हुई उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता। सरकार को यह मालूम ही है कि जनतंत्र की इकाई गांव सभा और गांव समाज है। चुनाव होते हैं और जो लोग चुनाव में शामिल होते हैं उन पर कोई नियन्त्रण नहीं है, कोई दबाव नहीं है और उनके दिल में इस बात का भी ख्याल नहीं है कि अगर कोई गलत काम हो जायगा तो उनको सजा मिल जावेगी।

यह एक बुनियादी सवाल है। अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो पंचायती राज का ढांचा प्रदेश से नहीं मुल्क से मिट जावेगा। डेमोक्रेसी में पंचायती राज के चार खम्बे हैं। पहली उसूल यह कि हर आदमी के जीवन का एक मिनिमम स्टैन्डर्ड हो, मौलिक जरूरियात पूरी होता कि वह अपने काम के अलावा देश की बात भी सोच सके। हमारे देश के लोगों की हालत ऐसी नहीं है और हमारे प्रदेश के लोगों की भी नहीं है बड़ी गरीबी है यानी हमारा यह खम्बा कमजोर है।

दूसरी बात पंचायती राज कामयाब करने की यह है कि हर आदमी पढ़ा लिखा हो। यह भी हमारे देश में नहीं है। यहां पर बहुत से लोग बिना पढ़े लिखे हैं और जो पढ़ने लिखने के योग्य भी हैं उनके लिये शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। तो यह खम्बा भी कमजोर है।

तीसरी चीज पंचायती राज कामयाब करने की यह है कि लोग कानून को माने आज तो हम लोग कानून तोड़ने की फिक्र में रहते हैं। हमारी आदत कानून मानने की नहीं बनी है।

चौथी चीज पंचायती राज को कामयाब बनाने के लिये सोसाइटी का होमोजनस होना है। जब तक धर्म, बिरादरी और जाति पांति की चर्चा रहेगी तब तक पंचायती राज कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन हमें इस बात से भी खुश होना चाहिये कि इसके बावजूद इस मुल्क में पंचायती राज की जड़ें धीरे-धीरे नीचे जा रही हैं। लोग समझने लगे हैं कि पंचायती राज के

द्वारा कल्याण हो सकता है। अगर-सरकार इन मौलिक बातों की ओर से उदासीन हो जाय तो पंचायती राज की जड़ें कमजोर होती जायगी आप उसपर ध्यान देंगे तो प्रदेश के लोगों की उन्नति होगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, इस सरकार की ओर से जो विनियोग विधेयक पेश किया गया, जिसके जरिये यह सरकार १३८७ करोड़ तथा कुछ लाख रुपये इस सदन से पास कराना चाहती है, उसे यह सरकार अपनी घोषित नीतियों के अनुसार खर्च करेगी। इस सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके बारे में हमारा गहरा मतभेद है। इस बारे में हम लोगों ने अपने सुझाव बजट के बहस के दौरान इस सरकार के सामने रक्खे हैं। लेकिन मैं सरकार की नीति को लेकर ही इस विनियोग विधेयक को कसौटी पर रखना चाहता हूं। यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना का पहले साल का बजट है और पांचवीं पंच वर्षीय योजना की जो मुख्य नीति है और जिसको आधार मान कर यह बजट बनाया गया है वह आर्थिक केन्द्रीकरण को कम करने की है। सरकार उत्तर प्रदेश में आर्थिक असमानता को दूर करना चाहती है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहूंगा कि कौन से कदम सरकार ऐसे उठा रही है जिससे आर्थिक विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलेगी। निजी उद्योगपतियों और इजारदारों पर प्रहार करने का कदम इस बजट में नहीं है। जिससे आर्थिक विकेन्द्रीकरण हो सकता है।

आप जिन मांगों के प्रति बचनबद्ध हैं, उनकी तरफ कोई संकेत नहीं किया, जैसे चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में बजट के दौरान कोई घोषणा नहीं की गई। हिन्दालको के राष्ट्रीयकरण की बहुत दिनों से चर्चा चल रही है और अब एक परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। विद्युत् बोर्ड में लम्बा घाटा है और उस ने सरकार पर लांछन लगाया है कि हमारा बोर्ड सरकार की वजह से घाटे में चल रहा है, क्योंकि सरकार ने बिड़ला से कन्ट्रैक्ट कर लिया है जिसकी बिना पर बोर्ड को घाटा उठाकर सस्ती बिजली देनी पड़ती है और उसकी वजह से उनका घाटा सन् ८५ तक चलेगा। तो हिन्दालको के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की गयी। बल्कि उसके बजाय यह सरकार इन उद्योगपतियों और इजारदारों के सामने घुटने टेकती रहती बल्कि उसके बजाय यह सरकार इन उद्योगपतियों और इजारदारों के सामने घुटने टेकती रहती है। उद्योगपति मिल और कारखानों में उत्पादन बन्द कर देते हैं और तब इस सरकार को मजबूर होकर कीमतों को बढ़ाना पड़ता है, चाहे वनस्पति हो या दूसरी चीजें हों। तो कोई ठोस कदम इस सरकार ने हिन्दालको, वनस्पति मिलों, सूती मिलों आदि को राष्ट्रीयकरण के लिए नहीं उठाये। कौन से ऐसे कदम सरकार ने उठाये हैं जिससे हम आर्थिक विकेन्द्रीकरण की तरफ बढ़ें और आर्थिक असमानता दूर हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग खोलने की नीति सरकार ने अपनाई थी, लेकिन उससे भी अब हटती जा रही है। इसी तरह से बहुत सी योजनाओं की घोषणा की थी लेकिन अब ज्वाइन्ट सेक्टर की तरफ बढ़ती जा रही है। इससे निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो आर्थिक विकेन्द्रीकरण के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया और न आमदनी की असमानता को दूर करने का ही प्रयास किया गया।

दूसरी बात, मान्यवर, भूमि सुधार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने खुद कहा है और महसूस करते हैं कि भूमि सुधार की जिस तरह की उनसे हम अपेक्षा करते थे, उस तरीके से भूमि सुधार नहीं हो सका। जिस तरह के सीलिंग कानून अपेक्षा करते थे, वह नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश में ५० बीघे, ५०० बीघे या एक हजार बीघे के जो फार्म सीलिंग के कानून के पहले बने थे, वैसे ही आज भी कायम हैं आपका सीलिंग कानून विफल हुआ। मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि हरिजनों को जमीन दिलायेंगे। घर के लिये उनको जमीन दिलायेंगे। लेकिन इस बात की घोषणा नहीं की कि जो भूमि सुधार में कमियां हैं, उनको को दूर करने के लिये कौन से कदम उठाने जा रहे हैं, या सीलिंग ऐक्ट में कोई अमेन्डमेन्ट लाने जा रहे हैं या नया विधेयक ला रहे हैं ताकि यह कमियां दूर हो सकें।

[श्री भीखालाल]

अन्त में, मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, और वह हरिजनों को सुविधायें देने के सम्बन्ध में है मान्यवर, आप भी सुनते होंगे, और सदन में और सदन के बाहर इसकी आये दिन चर्चा होती रहती है । जब से बहुगुणा जी मुख्य मन्त्री जी बने हैं तब से ये घोषणा और बैठ गई हैं । हरिजनों के प्रति इनकी उदारता में कमी नहीं है बल्कि वह उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । मैं यह नहीं कहता कि वह दिल से नहीं चाहते कि हरिजनों का उत्थान हो, उन्हें नौकरियां मिले, घर के लिये जमीन मिले बल्कि यह उनकी दिली मंशा है । लेकिन, मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी को यह महसूस करना पड़ेगा कि असलियत क्या है । आप भी, मान्यवर, महसूस करते हैं, कि सीलिंग ऐक्ट से हरिजनों को जमीन नहीं मिली, आवास के लिये भूमि नहीं मिल सकी । मुख्य मन्त्री जी भले संतुष्ट हो जायं कि १४ लाख हरिजनों को भूमि दिलायी जा चुकी है लेकिन अगर किसी ईमानदार अधिकारी से पूछे तो वह स्वीकार करेगा कि वह जमीन केवल कागजों पर है, और वास्तव में हरिजनों को कब्जा नहीं मिल सका है ।न ौकरियां का जहां सवाल है, आपने १८ प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर कुछ विभाग में ४५ प्रतिशत कर दिया, लेकिन फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल सकीं । तो आखिर कमियां कहां पर हैं? घोषणा तो तमाम होती जा रही हैं, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं होती । तो कमियां हैं । और इनका जो भयंकर परिणाम निकल रहा है, उसकी ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये जो घोषणायें हो रही हैं कि हरिजनों को ये-ये सुविधायें दी जा रही हैं, हरिजनों को जमीन दी जा रही है, नौकरियां हरिजनों को दी जा रही हैं गांव में मकान बनाने के लिए हरिजनों के लिए जमीन है लेकिन अमल उस पर नहीं हुआ, यह दूसरी बात है कि गैर हरिजन वर्ग हमारे समाज का जो है आज उसका गुस्सा, नफरत और कटुता हरिजनों के प्रति बढ़ती जा रही है । यह मावन स्वभाव है और यह रोज हम अमल में देखते हैं । यह अनहोनी बात नहीं है कि हरिजनों को बन्दूक से , गोली से मारा जाता है, घर जला दिए जाते हैं, बेगार नहीं करते हैं तो उनको उजाड़ दिया जाता है इस प्रकार से एक प्राकृतिक रोष और गुस्सा उभड़ रहा है हरिजनों के खिलाफ । मेरा अनुरोध है कि इस दोहरी मार से हरिजनों को बचाइये । आपकी घोषणाओं के अनुसार उनको कुछ मिला नहीं लेकिन दूसरी तरफ समाज की नफरत के वह शिकार हो रहे हैं । लोगों की यह धारणा बनती जा रही है कि पोलिटिकल पावर्स क हाथ इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि वे ब्यूरोक्रेसी से अपनी नीतियों पर अमल नहीं करा सकतीं, अपने बनाये हुए कानून पर अमल नहीं करा सकतीं । और अपने आदेशों का परिपालन नहीं करा सकतीं । ऐसी स्थिति है तो मुख्य मन्त्री जी को सदन में घोषणा करना चाहिए कि हमारे दिल में इच्छा है कि हरिजनों को उनके अधिकार मिलें लेकिन अपनी नौकरशाही से हम उनको अमल नहीं करवा सकते क्योंकि वह वह बहुत स्वच्छन्द हैं । फिर हमको कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि हम कम से कम गैर हरिजन की मार से तो बच सकेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि मुख्य मन्त्री जी इसे स्वीकार नहीं करेंगे । इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा सख्त कदम उठाया जाय जिससे इन चीजों को वह लागू करा सकें सख्ती के साथ ताकि जो धारणा बन रही है कि प्रदेश की नौकरशाही इतनी मजबूत हो गयी है कि सरकार उससे अपनी नीति को लागू नहीं करवा सकती, मन्त्री जी चाहे नहीं कर सकता और एक सेक्रेटरी जो चाहेगा वही होगा, उस धारणा को बदला जाय ।

सामान्य प्रशासन के बारे में बहुत कुछ कहा गया । पुलिस बिलकुल स्वछन्द होती जा रही है । मैं अपने जिले की पुलिस की ओर मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । पिछले दिनों क्राइम वीक, और पखवारे मनाये गये । लक्ष्य रखे गये कि किस थाने से कितने बदमाश पकड़े जायेंगे । हमारे यहां पुलिस कप्तान और थानेदारों ने ८० गिरोह डकतों के पकड़े और बाकायदा इनकाउन्टर हुए लेकिन उन इनकाउन्टर्स में न पुलिस के किसी सिपाही को और न किसी डकैत को कोई छर्रा लगा या चोट आयीं । ये गिरोह कैसे पकड़े गए ?

दरोगा जी ने ४, ६ आदमी पकड़ मंगवाये और उनको किसी बाग में ले जाकर चार छः पटाखे दाग दिए और घोषणा कर दी कि पुलिस ने इतने बदमाश डकैत पकड़ लिये लेकिन न किसी डकैत के और न किसी पुलिस के सिपाही अथवा दरोगा के चोट आई। इस प्रकार उन्नाव जिले की पुलिस ने ८० डकैत पकड़ लिए जबकि किसी के एक छर्रा तक नहीं लगा।

अब मेरे जिले में एक नई प्रक्रिया चल रही है जिले के कांग्रेस के एक बड़े नेता अपने विरोधियों को किसी न किसी तरह से जाल में फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हाल ही में भूतपूर्व मन्त्री श्री गोपीनाथ दीक्षित के सहयोगी का मर्डर हो गया। हमको दुःख है लेकिन पुलिस कप्तान दीक्षित जी के खास आदमी हैं। इलेक्शन में वह आये थे। मुख्य मन्त्री की सम्मति से आये होंगे। बीच इलेक्शन में उनको तबदील करके इसलिए बुलाया गया शायद इससे उनके इलेक्शन में मदद मिलेगी। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जिले के दोनों अधिकारी डी० एम० तथा पुलिस कप्तान दौरान इलेक्शन तबदील कर दिये जायं।

यह हमारे जिले में हुआ। दोनों अफसर तबदील कर दिये गये। वह कप्तान श्री गोपीनाथ दीक्षित के इशारे पर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। कुछ एकाध मामले माननीय मुख्य मन्त्री जी की नोटिस में भी लाया हूं और पुनः मुख्य मन्त्री जीका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम इसको बदलें। जो मांग आपने रखी है वह तो सदन पास कर ही देगा। जब जनता ने अधिकार दे दिया है तो वह मांग स्वीकार हो ही जायेगी क्योंकि सदन ऐसी गलती नहीं करेगा कि प्रदेश को दूसरी तरफ ले जाय। अब ऐसे लोगों की वफादारी में भी सन्देह पैदा हो गया है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मैं आपसे एक चीज पूंछना चाहता हूं...

श्री भीखालाल—

हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अमेरिका की भांति अपने प्रदेश में तोड़फोड़ फैलायें। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्य मन्त्री जी इन बातों की ओर ध्यान दें और आवश्यक कदम उठायें... (व्यवधान)।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, ११ जून को मैंने इस सदन में धृष्टता की थी कि मैं वर्ष १९७४–७५ का बजट प्रस्तुत करूं। आज ४८ दिन के बाद यह सदन इस निर्णायक घड़ी में पहुंचा है कि वह अपनी ४८ दिनों की मेहनत को साकार करे और इस विनियोग विधेयक को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करे। इस सम्मानित सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य चाहे वे विरोध पक्ष के हों या राज-पक्ष के हों, के लिए बड़ी मेहनत के दिन रहे हैं। घन्टों में समझता हूं कि छिद्रान्वेषण आलोचना, प्रत्यालोचना तर्क-वितर्क, प्रत्येक विभाग की प्रत्येक मद और अनुदान के अनुभाग तक पैनी दृष्टि के साथ इस सदन ने अपना दृष्टिपात किया और उसके बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि १३, ८७, ६३, ३८,००० रु० इस सामुहित निष्कर्ष पर विचार करें। श्रीमन्, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस निर्णायक घड़ी में यह अवसर नहीं है कि हम पारस्परिक आलोचना, प्रत्यालोचना या व्यक्तिगत आलोचना में समय लगायें। मैंने नेता जनसंघ के भाषण को गौर से सुना था और उसको सुनने के बाद मुझे शास्त्रों की पुरानी युक्ति याद आई। याज्ञवलक्य महर्षि ने एक राजसूय यज्ञ किया था। महर्षि याज्ञवल्क्य बड़ी शांत प्रवृत्ति के महर्षि थे। १०१ यज्ञ करने के बाद उन्होंने पूर्णाहुति की। पूर्णाहुति के अवसर पर ऋषियों को पूरे मन्त्र पढ़ने चाहिए थे किन्तु महर्षि को संदेह हो गया कि ऋषियों ने पूरे मन्त्र नहीं पढ़े। महर्षि याज्ञवलक्य ने दुर्वासा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

ऋषि से कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे क्रोध मन्त्र दे दो। उसके बाद जहां राजसूय यज्ञ में सामद मन्त्र पढ़े जाने चाहिए थे, यजुर्वेद के मन्त्र पढ़े जाने शुरू हो गये। उसी प्रकार यह सामवेद का अवसर है और इस अवसर पर यजुर्वेद के मन्त्र पढ़ना मैं समझता हूं कि यदि आपने महर्षि याज्ञवलक्य को याद किया होता तो अच्छा होता।

श्रीमन्, माननीय सदस्य नेता साम्यवादी दल ने पुनः इस बात को यहां घोषित कराने के लिए उचित समझा कि यह सरकार घोषित नीतियों पर ही चलेगी। श्रीमन् मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब कि हम इस काल का, इतने दिनों के कार्य का समापन कर रहे हैं, सरकार इस सदन के विश्वास को रखहुए इस बात की प्राणपण चेष्टा करेगी कि वह अपनी घोषित नीतियों पर प्रतिपल, प्रतिक्षण कार्य करके उनका कार्यान्वयन करे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

२६ वर्षों से करते आये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, लक्ष्य स्पष्ट है। एक माननीय सदस्य ने कठिनाइयां बतायीं। कठिनाइयां सब हैं। एक तरफ प्रदेश का आर्थिक पिछड़ापन है, एक तरफ अशिक्षा है, भ्रष्टाचार है, दोहन और शोषण के राक्षस भी रास्ते में खड़े हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हम नौ करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां पर एकत्र हैं, क्या हम इस कांटों भरी राहत पर, कांटों को रौंदते हुए, दलदल को पार करते हुए, आगे बढ़ेंगे या नहीं। माननीय नेता जन संघ ने एक श्लोक सुनाया--गोविन्दम् समर्पयाम्, गोविन्दम् समर्पयामि। मुझे भी एक श्लोक याद आया, जिसमें कलयुग के मानस की पहचान बतायी है। 'कलश्यानो भवति संजयाह्यस्त द्वापरे उच्छिष्ट त्रेता भवति कृत समये--धृतं चरणा :।" कलयुग का मनुष्य वह है जो अंधकार, निराशा, द्वेष, राग से भरा हुआ है। दूसरी तरफ वही मनुष्य सत्युग, द्वापर और त्रेता में इनसे ऊपर उठकर, कठिनाइयों से मुकाबला करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। आज आवश्यकता है ऐसे नेतृत्व की। मैं अत्यन्त विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं सम्मानित नेता विरोधी दल से और नेता जन संघ और सभी माननीय सदस्यों से यह अवसर ऐसा आता है इतिहास में जो कि सदन के विभाजन का अवसर नहीं देता बल्कि सारे प्रदेश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है, उनको प्रतिध्वनित करता है। ४८ दिनों की तमाम आलोचना, तमाम छिद्रान्वेषण, तमाम भ्रष्टाचार, अनाचार--सब कमियां हैं लेकिन उन कमियों के सामने क्या हमें आत्मसमर्पण करना है क्या हमको अपनी गतिविधियों को रोक देना है? नहीं। उन कमियों से मुकाबला करके आगे बढ़ना है। चरेवेति चरेवेति। चलते रहें, आगे चलते रहें, आगे।

एक सदस्य--

चरे जाओ, चरे जाओ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे आश्चर्य है अगर जन संघ दल के सदस्य शास्त्रों के शाश्वत अर्थ का अनर्थ करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हम आदर करते हैं जो आपने कहा। फर्क इतना है कि आपमें सारे प्रदेश की भावनाओं का केवल ३२ प्रतिशत प्रतिबिम्ब है और इस तरफ प्रदेश की भावनाओं का ६८ प्रतिशत प्रतिबिम्ब है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं आग्रह करूंगा कि यह सदन इस विनियोग विधेयक को स्वीकार करके हम चलें प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए और जो संकल्प हुआ है, इस बजट को कार्यान्वित करें, यह कोशिश करें कि प्रत्येक पैसे का सही उपयोग होगा और जो प्रदेश के विकास के लिए संस्तुतियां की गयी हैं उनका ठीक प्रकार से व्यय होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा था—

हम सागर यदि न उलीच सकें
आंखों की दो—बूंदें हर लें
हम पर्वत उठा सकें न अगर
बोझा दो सर के कम कर लें ।

हम सब मिलकर के अगर प्रदेश के विकास का बोझा उठायें तो हम पर्वत भी उठा सकते हैं और अपनी योजनाओं को साकार बना सकते हैं। इस आधार पर मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, अनुसूची, खंड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1974

३१ मार्च, १९७५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९७४–७५ के लिए १३,८७,६३,३८,००० रुपये का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९७५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका सबका योग कुल [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९७४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या २, १९७४) की अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके अथवा, जैसी भी दशा हो, अतिक्रमित करके] १३,८७,६३,३८,००० रुपये (तेरह अरब, सत्तासी करोड़, तिरसठ लाख, अड़तीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९७५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारायें २ व ३ देखें)

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१—राज्य विधान मण्डल ..		८२,७६,०००	१,१८,६००	८३,९४,६००
*२—राज्यपाल तथा उनका सचिवालय		..	९,५०,३००	९,५०,३००
३—मन्त्रि परिषद् ..		२०,२३,८००	..	२०,२३,८००
४—न्याय प्रशासन ..		५,५८,१२,७००	८४,९५,५००	६,४३,०८,२००
५—निर्वाचन		१,७६,४२,९००	..	१,७६,४२,९००
६—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर ..		११,१४,०००	१,०००	११,१५,०००
७—भू-राजस्व		२०,५८,००,८००	१४,००,२५,६००	३४,५८,२६,४००
८—स्टाम्प एवं पंजीकरण ..		८८,४७,४००	१,२००	८८,४८,६००
९—भूमि और भवन कर ..		१,१३,३००	..	१,१३,३००
१०—राज्य आबकारी ..		७०,००,२००	१,८००	७०,०२,०००
११—बिक्री-कर		२,७१,१९,०००	११,०००	२,७१,३०,०००
१२—मोटर गाड़ियों पर कर ..		८,२६,५३,७००	४,५००	८,२६,५८,२००
१३—अन्य कर और शुल्क ..		४६,२७,२००	१,०००	४६,२८,२००
१४—अल्प बचतों की प्रोन्नति ..		२८,०२,४००	..	२८,०२,४००
१५—ऋण कम करना अथवा उसका परिहार		..	२३,८४,७९,९००	२३,८४,७९,९००
*१६—ब्याज का भुगतान ..		..	६४,३९,२३,२००	६४,३९,२३,२००
*१७—लोक-सेवा-आयोग ..		..	२२,१९,४००	२२,१९,४००
१८—सचिवालय		९,०६,९९,०००	९,१००	९,०७,०८,१००
१९—जिला प्रशासन ..		६,४५,८३,१००	२०,०००	६,४६,०३,१००
२०—कोषागार एवं लेखा प्रशासन		१,१२,८६,१००	१,०००	१,१२,८७,१००
२१—पुलिस		४०,०१,९३,७००	५,४००	४०,०१,९९,१००

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

अनुसूची—(क्रमशः)

१	२	३		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२२—कारागार ..	..	३,९५,३५,६००	२,०००	३,९५,३७,६००
२३—लेखन-सामग्री और मुद्रण	..	३,६३,९७,९००	..	३,६३,९७,९००
२४—सार्वजनिक निर्माण-कार्य	..	३९,८५,२००	५३,५००	४०,३८,७००
२५—अन्य प्रशासनिक सेवायें	..	३,२०,९०,०००	१००	३,२०,९०,१००
२६—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	..	५,५८,३४,९००	३,२८,९००	५,६१,६३,८००
२७—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	..	१,३३,२२,४००	१,१००	१,३३,२३,५००
२८—शिक्षा ..		१,७४,५८,४३,३००	१,९००	१,७४,५८,४५,२००
२९—कला एवं संस्कृति	..	४१,५१,९००	३००	४१,५२,२००
३०—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	..	२१,९४,५००	..	२१,९४,५००
३१—चिकित्सा ..	..	३०,०२,४९,६००	११,०००	३०,०२,६०,६००
३२—परिवार नियोजन	..	१०,७१,५६,३००	..	१०,७१,५६,३००
३३—सार्वजनिक स्वास्थ्य	..	१७,६७,८२,७००	३,२००	१७,६७,८५,९००
३४—आवासन ..	..	३३,४३,०००	२,४४,५००	३५,८७,५००
३५—नगर विकास	..	२६,४०,१००	..	२६,४०,१००
३६—सूचना तथा प्रचार	..	१,०८,०६,३००	५००	१,०८,०६,८००
३७—श्रम एवं सेवायोजन	..	६,२५,२३,०००	८,०००	६,२५,३१,०००
३८—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		१९,१४,९४,१००	१२,३००	१९,१५,०६,४००
३९—दैवी आपदाओं के कारण सहायता		६,००,३६,२००	६,००,०१,०००	१२,००,३७,२००
४०—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें ..	..	५,६१,०००	..	५,६१,०००
४१—सहकारिता ..	..	४,६९,७८,७००	१,५००	४,६९,८०,२००
४२—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र ..		४६,०८,३९,७००	४,६००	४६,०८,४४,३००
४३—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें		१,१६,१२,३००	१०,०००	१,१६,२२,३००
४४—कृषि ..	..	२०,२७,२०,५००	१,४२,४००	२०,२८,६२,९००
४५—सामुदायिक विकास	..	१९,८०,९३,४००	१,५००	१९,८०,९४,९००
४६—भूमि तथा जल संरक्षण	..	३,८०,४४,१००	..	३,८०,४४,१००

अनुसूची—(क्रमशः)

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४७—क्षेत्र विकास	..	२,६८,६९,३००	..	२,६८,६९,३००
४८—खाद्य तथा पोषाहार	..	४,६२,१८,९००	५०,०००	४,६२,६८,९००
४९—पशुपालन ..	..	८,८७,०३,४००	१,५००	८,८७,०४,९००
५०—दुग्धशाला (डेरी) विकास		५५,२९,०००	१,०००	५५,३०,०००
५१—मत्स्य उद्योग	..	८३,५६,९००	१,०००	८३,५७,९००
५२—वन ..	..	५,८०,५३,१००	४०,०००	५,८०,९३,१००
५३—उद्योग ..	..	३,००,८६,९००	४,०००	३,००,९०,९००
५४—ग्राम एवं लघु उद्योग	..	३,२८,७७,६००	..	३,२८,७७,६००
५५—खानें तथा खनिज	..	५३,३५,४००	८००	५३,३६,२००
५६—विद्युत् विकास	..	१,००,१००	..	१,००,१००
५७—राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	..	४८,२१,८४,८००	३७,०००	४८,२२,२१,८००
५८—सिंचाई अधिष्ठान	..	१७,५०,६३,२००	१०,०००	१७,५०,७३,२००
५९—सिविल विमानन	..	६,०७,६००	..	६,०७,६००
६०—सड़कें तथा पुल	..	१५,६२,०९,७००	..	१५,६२,०९,७००
६१—कार्यात्मक भवन	..	८२,०२,९००	..	८२,०२,९००
६२—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान		७,२५,१५,५००	५,०००	७,२५,२०,५००
६३—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान	..	४,१७,५४,१००	..	४,१७,५४,१००
६४—सड़क तथा जल परिवहन	..	८,१६,६००	..	८,१६,६००
६५—पर्यटन ..	..	१७,९२,२००	..	१७,९२,२००
६६—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	..	१०,७७,७२,४००	४००	१०,७७,७२,८००
६७—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	..	१४,६४,०२,३००	३,००,०००	१४,६७,०२,३००

अनुसूची—(क्रमशः)

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
६८—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय		५,७५,२०,१००	..	५,७५,२०,१००
७०—चिकित्सा, परिवार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		३,०९,७२,६००	..	३,०९,७२,६००
७१—आवासन पर पूंजीगत परिव्यय		१,२५,०८,१००	..	१,२५,०८,१००
७२—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ..		६,११,२००	५०,०००	६,६१,२००
७३—सहकारिता तथा डेरी विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		१०,०१,३८,१००	..	१०,०१,३८,१००
७४—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ..		११,६७,७४,०००	..	११,६७,७४,०००
७५—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		१४,३९,७३,१००	७,००,०००	१४,४६,७३,१००
७६—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर		६७,५०,१००	..	६७,५०,१००
७७—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		८,६१,७७,३००	२,०००	८,६१,७९,३००
७८—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..		२६,५०,१००	१००	२६,५०,२००
७९—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय ..		१,२६,०५,००,०००	..	१,२६,०५,००,०००
८०—पशुपालन तथा मत्स्यपालन पर पूंजीगत परिव्यय ..		१५,३८,९००	..	१५,३८,९००
८१—वनों पर पूंजीगत परिव्यय ..		८,७५,७००	१००	८,७५,८००
८२—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय		६४,८२,९४,१००	२,०००	६४,८२,९६,१००
८३—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..		१९,३४,६१,०००	..	१९,३४,६१,०००

अनुसूची—(समाप्त)

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
८४—सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय		११,१२,९७,३००	..	११,१२,९७,३००
८५—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..		२,००,००,१००	..	२,००,००,१००
८६—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		१०,००,०००	..	१०,००,०००
*८७—राज्य सरकार के ऋण ..		..	२,८२,३५,७८,२००	२,८२,३५,७८,२००
८८—ऋण और अग्रिम-शिक्षा ..		६५,००,०००	..	६५,००,०००
८९—ऋण और अग्रिम —स्वायत्त शासन		७,३७,२५,०००	..	७,३७,२५,०००
९०—ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन ..		२५,०४,२००	..	२५,०४,२००
९१—ऋण और अग्रिम—उद्योग ..		९,८४,४७,७००	..	९,८४,४७,७००
९२—ऋण और अग्रिम—सहकारिता		२,१६,७६,६००	..	२,१६,७६,६००
९३—ऋण और अग्रिम—कृषि		४,४२,५८,४००	..	४,४२,५८,४००
९४—ऋण और अग्रिम—सामुदायिक विकास		५,००,०००	..	५,००,०००
९५—ऋण और अग्रिम—विद्युत्		६०,१६,२०,२००	..	६०,१६,२०,२००
९६—ऋण और अग्रिम—सार्वजनिक निर्माण		१००	..	१००
९७—ऋण और अग्रिम—परिवहन		१००	..	१००
९८—ऋण और अग्रिम—वित्त		१,८९,००,१००	..	१,८९,००,१००
योग ..		९,९५,६४,५८,१००	३,९१,९८,७९,९००	१३,८७,६३,३८,०००

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७४ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ की ५ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें एक माननीय ओम प्रकाश सिंह तथा माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी की है कि खाद्य विभाग के जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालयों से १५०० कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के निष्कासित किये जाने के संबंध में है । यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई है, शेष अस्वीकार हैं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं । उस समय सदन में इतना हल्ला हो रहा था कि मैं सुन नहीं पाया । मैंने निवेदन किया था कि बांदा में एक पत्रकार है जिनको वहां के कलक्टर ने सड़क पर घुमाया है, हैंड कफ किया और जेल में बन्द कर दिया । जो सच्ची बात सामने रखे उसकी यह हालत हो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में आपकी एक ही सूचना है एक ही प्रकार की है । यह माननीय ओम प्रकाश सह तथा माधव प्रसाद त्रिपाठीजी की है कि खाद्य विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालयों से १५०० कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के निष्कासित किये जाने के संबंध में है जो वक्तव्य के लिये स्वीकार की है ।

देवरिया जिले के सैकड़ों ग्राम जलमग्न हो जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय सिंचाई मंत्री का गण्डक नहर के अधिकारियों द्वारा नहर के पानी छोड़ने के फलस्वरूप देवरिया जिले के सैकड़ों ग्राम जलमग्न हो जाने के संबंध में सर्वश्री हरिकेवल प्रसाद, रामपालसिंह यादव, जनार्दन प्रसाद ओझा, शिवनाथ सिंह कुशवाहा, बांकेलाल, कृष्णाराय तथा कृपाशंकर आर्य द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम ५१ के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य होगा ।

सिंचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)—

मान्यवर, इसमें दो वक्तव्य हैं किस को पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष--

दोनों पढ़ दीजिये ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

नहर क्षेत्र में १७ व १८ जुलाई को १० से १२ इंच वर्षा हुई जिसके कारण पानी की मांग एकदम समाप्त हो गई। देवरिया शाखा हेड से १८/१९ जुलाई की रात को बन्द कर दी गई और नहरों में चल रहे पानी को स्केपों द्वारा मोन नाले में खारिज किया गया, अन्यथा यह पानी नीचे की ओर जाकर नहरों को क्षति करता तथा वहां के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता ।

घाघरा, राप्ती, मक्षने, खनबा आदि नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण वास्तव में अधिक वर्षा का होना है । घाघरा तथा छोटी गंडक आदि नदियां अपने किनारों पर बाढ़ आने पर स्वाभाविक रूप में कटान करती है तथा इसमें गंडक नहर के पानी का कोई योगदान नहीं है ।

ग्राम परसियापुर गौरा बरहा इत्यादि घाघरा नदी के बायें किनारे पर स्थिति हैं। घाघरा जैसी बड़ी नदी पर तटवर्ती य बांध तथा उस पर ठोकरों की विस्तृत योजना के अभाव में एक एक आबादी को अलग से छोटी ठोकरें बनाकर सुरक्षा प्रदान करना सम्भव नहीं है । बलिया जिले में गंगा तथा घाघरा नदी के किनारे गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के तकनीकी सलाहकार समिति के सुझावों पर कटान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु जलमग्न ठोकरों का निर्माण किया गया है परन्तु उनसे वांछित लाभ नहीं मिला है । इन सब स्थानों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तटवर्ती बांध का सवक्षण किया जा रहा है । इस पर सिंचाई अनुसंधान शाला रुड़की की राय लेकर ही आगे कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

छोटी गंडक नदी के ग्राम दिस्तौली, मतपुरवा, नवावर इत्यादि की सुरक्षायोजना तैयार करने हेतु विभागीय अधिकारीगण को आदेश दिये गये है। फिलहाल कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमन्, दूसरा भी पढ़ दूं ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

एक ही है तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष--

उसमें फर्क है थोड़ा, थोड़ा ।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

नहर क्षेत्र में १७ व १८ जुलाई, १९७४ को १० से १२ इन्च वर्षा हुई जिके कारण पानी की मांग एक दम समाप्त हो गई। देवरिया शाखा हेड से १८/१९ जुलाई की रात्रि कोबन्द करदी गई और नहरों में चल रहे पानी को स्केपों द्वारा मूल नाले में खारिज किया गया, वरना यह पानी नीचे की ओर जाकर नहरों को नुकसना करता तथो वहां के क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचाता । विभाग द्वारा इन स्केपों के अलावा कहीं पानी नहीं छोड़ा गया। कहीं कहीं पर कृषकगण नहर की पटरी काट कर धान की सिंचाई कर रहे थे जो अत्यधिक वर्षा के कारण तुरन्त बन्द नहीं की जा सकी। नहर बन्द होने पर क्षेत्र में भरा वर्षा का पानी नहर के कुलाबों एवम् कटों द्वारा नहर में आयात था तथा यह पानी अन्त तक गया ।

देवरिया शाखा बन्द करने से पहले ३ हजार क्यूसेक से चल रही थी । बरवा व बढेरा स्केपों द्वारा क्रमशः ४०० व २०० क्यूसेक्स पानी मोन नाले में खारिज किया गया । वर्षा के पश्चात् मोन नाले में हेतिमपुर के पास अनुपाततः ४००० से ५००० क्यूसेक्स तक पानी चल रहा था । इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि नहरों के पानी का योगदान क्षेत्र को जलमग्न करने में बहुत कम है । क्षेत्र अत्यधिक वर्षा होने के कारण ही जलमग्न हुआ ।

मोन नाला छोटी गन्डक नदी में आकर मिलता है जिसमें वर्षा के कारण स्वयं काफी पानी चल रहा था। प्रश्नगत ग्राम सिकरौली, खजवा, सिधना, लालीपार आदि मोन नाला तथा छोटी गन्डक नदी के बीच में पड़ते हैं तथा इन दोनों में बाढ़ होने के कारण इनका क्षेत्र जलमग्न हुआ है। इस क्षेत्र में क्षति का सही अनुमान बाढ़ का पानी उतर जाने के पश्चात ही हो सकेगा जिसके हेतु विभागीय अधिकारीगण को निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मौन नाले का जल स्तर क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

५,००० क्यूसेक्स।

श्री बांके लाल---

मान्यवर मैंने पूंछा है कि जल स्तर क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जल स्तर की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बांके लाल---

आप हवाई जहाज पर देखने गये थे तो आपको क्या दिखाई दिया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

आपके जिले का जो भी हिस्सा बाढ़ में है वह देखा।

श्री अध्यक्ष---

माननीय बांकेलाल जी जरूर दिखाई पड़े होंगे।

श्री बांके लाल---

आपको कितना एरिया जलमग्न दिखाई दिया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

जहां तक कमिश्नर की रिपोर्ट है और डी० एम० की रिपोर्ट है उससे मालूम हुआ कि इस एरिया में ४६,७५५ एकड़ जल मग्न हुआ है।

श्री बांके लाल---

कौन-कौन गांवों की हालत दयनीय है।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

मेरे पास अलग गांव की लिस्ट नहीं है। १७८ गांव को काफी नुकसना हुआ है। ८७ गांवों को पूरी तरह से नुकसना हुआ है और शेष को कुछ हिस्से में नुकसान पहुंचा है।

श्री बांके लाल---

क्या बाढ़ का कारण नहरें हैं ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में बाढ़ न राप्ती नदी में आयी, न गंडक में आयी, और न घाघरा में आयी, तो ये २०० गांव किस पानी से प्रभावित हो गये, उनकी फसलें बरबाद हो गयी। मैं जानना चाहता हूं कि इन गांवों में से कितने हाटा में और कितने देवरिया तहसील में तबाह हुए हैं ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बांके लाल--

इस समय वहां पर इतना पानी हो गया है कि सारे इलाके के लोग परेशान हैं। अब भी नहरें बन्द नहीं हुयी हैं। क्या यह सही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

नहरें तो चल ही रही थीं क्योंकि धान की फसल में पानी की जरूरत थी। वहां के विधायकों ने पानी के लिये लिखा था कि तुरन्त पानी चलवाया जाय लेकिन जब वहां पर वर्षा होने लगी तो इन्जीनियर ने १८ को इत्तिला दी कि नहर को बन्द कर दिया जाय लेकिन हेड से इतना पानी आ चुका था।

श्री बांके लाल--

जब छितौनी बांध पर दबाव पड़ता है तो नहरें खोल दी जाती हैं और खड्डा को छोड़कर पूरा देवरिया जिला जलमग्न है, आप यह बात सारे विधायकों से पूंछ लीजिये। बंधे को बचाने के लिये ही नहरों का निर्माण हुआ है और केवल इस बांध को बचाने के लिये पूरा जिला जलमग्न कर दिया गया है। इस सबका एक मात्र कारण छितौनी बांध को बचाने का है। क्या यह सही है ? सारी असलियत को आपके इन्जीनियर्स छिपा रहे हैं क्योंकि यह करोड़ों रुपये की योजना है।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

यह कहना है कि छितौनी बांध को बचाने के लिये नहरें बनी ह, सही नहीं है। यह भी सही नहीं है कि छितौनी बांध को बचाने के लिये नहरों का पानी छोड़ दिया गया है।

श्री बांके लाल--

अगर देवरिया जिले के सभी विधायक रहते तब आपको इसकी असलियत मालूम होती ?

श्री कृष्णा राय--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

वहां पर खेतों में पानी दे दिया गया था फसलों के लिये। उसके बाद वर्षा हुई और इतनी हुई कि जब कि उस जिले में वर्ष भर में ५५ इन्च वर्षा होती थी, उन दिनों करीबन २० इन्च वर्षा हो गई। तो लाजमी है कि वहां पर कुछ वर्षा का पानी भी था। मैं अपने विभाग की कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूं। अगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के जरिये जनता को कोई तकलीफ पहुंचे तो वह भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मुझे मालूम हुआ कि वहां के विधायकों की एक मीटिंग हुई इन्क्वायरी करने के लिये। इसके अलावा मैं इसके लिये भी विचार कर रहा हूं कि अपने विभाग की ओर से एक कमेटी बनायी जाय जो इसके बारे में पूरी जानकारी करे।

दूसरी बात यह है कि मैंने यह देखा है कि पिछले साल भी इसी तरह नुकउना इस क्षेत्र में हुआ था मैंने अपने तौर पर यह किया है कि सर्वे के लिये मैं कल वहां गया था और यह कहा कि कुछ सर्वे किया जाय कि क्या क्या इन्तजाम ऐसा किया जाय कि आइंदा यह चीज न होने पाये।

जहां तक यह है कि किस आदमी की गफलत से हुआ तो मैं तैयार हूं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिये। यह भी कह आया हूं कि एक इंच भी बारिश हो तो फौरन हैड से उसे बन्द कर दिया जाय पानी इस नहर में। दूसरे, सर्वे किया जाय और इसके लिये योजना बनायी जाय कि अइंदा उस एरिया में इस तरीके से पानी से नुक्सान न हो।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट जो आयी है यह सही नहीं है। हम चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के सभी अवगत हैं। मेरी स्वयं की कांस्टीट्युएंसी में ५०-६० गांव ऐसे हैं कि नहर का पानी गलत ढंग से पहुंचा और वह डुब गये हैं। इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिये। हमारी जानकारी को सही मानकर वस्तुस्थिति यह समझें कि विभिन्न शाखाओं का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि अगर उसको समय से बन्द करने की व्यवस्था नहीं हुई तो भविष्य में ये गांव बरबाद होते रहेंगे। पिछले साल बहुत बड़ी बरबादी हुई और इस साल फिर बरबादी शुरू हो गयी है तो मेरा सुझाव है कि दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से जानकारी अलग से ले लें सदन के बाहर अपने कक्ष में बुलाकर और इसके लिये जो वांछित आदेश है उसे देने की कृपा करें। यह एक वास्तविकता है, इसको हम सभी स्वीकार करते हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के यह ऐसा मसला है कि सभी के मशविरें की जरूरत है। उनसे मशविरा करके जो जो जरूरत होगी वह फौरन कर दिया जायगा। मैंने दोनों चीजें कर दी हैं और वहां आदेश दे दिया है कि सर्वे के लिये और नहर बन्द करने के लिये भी कह दिया और जो सुझाव दिये जायेंगे उन पर अमल किया जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

यह रिपोर्ट एक दम बे-बुनियाद है (व्यवधान)

श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी)--

गत वर्ष जो बाढ़ आयी थी जिससे सलेमपुर तहसील, देवरिया जिले की बरबाद हुई, उसके लिये एम० एल०एज० की मीटिंग हुई थी। मैंने कहा बाढ़आयी इंजीनियरों की गलती थी तो उसकी रिपोर्ट माननीय मंत्री जी बतला रहे हैं कि विभाग की गलती नहीं है। लेकिन जहां तक हमने देखा है वहां बड़ी दुर्दशा मालूम पड़ती है। हमने सुना है विभागीय लोगों से कि देवरिया जिले में ढलान बहुत कम है। ऊपर तो ज्यादा है, एक तरफ तो डेढ़ फुट है लेकिन नीचे जमीन समतल है और ३-४ इंच से ज्यादा नहीं है और जो नहर बनायी गयी है वहां पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण यह बाढ़ आयी है, क्योंकि बचे हुये पानी को निकाल देते हैं, नालो मे छोड़ देते हैं।

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जहां तक पिछली बाढ़ का ताल्लुक है उसके बारे में तो राष्ट्रपति शासन के जमाने में रिपोर्ट मांगी गयी थी और विभाग से इसकी जांच करा ली गई। उन्होंने लिखा कि इसमें विभाग का कोई दोष नहीं था।

(व्यवधान)

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)--

गत वर्ष जिस तरह से व्यापक पैमाने पर बाढ़ आयी, लाखों लोग बेघरबार हो गये और उसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक रपट शासन को दिया कि गंडक नहर के

[श्री हरिकेवल]

अधिकारियों ने पानी को छोड़ जिसके कारण व्यापक पैमाने परदेवरिया कीबरबादी हुई । वह रपटआज भी मौजूद है । तो उस रपट के बावजूद इस वर्ष नहर के अधिकारियों ने ऐसी बेला पर पानी क्यों छोड़ा जब उसकी खपत की कोई व्यवस्था नहीं थी । मंत्री जी स्वयं मानते हैं कि १७८ गांव डूबे हुये हैं जबकि यह रपट बिल्कुल गलत है । इस समय देवरिया में १२०० गांवमें पानी प्रवेश कर गया है । तो गत वर्ष तत्कालीन जिलाधिकारी की रपट के बावजूद जो पानी छोड़ा है तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जहां तक इसका सवाल है कि गांव कितने डूबे तो वहां के कमिश्नर खुद इन्क्वायरी में गये थे और उन्होंने यह तादाद लिखी है । वही मैंने अर्ज किया कि १६२ गांव इस समय देवरिया में और हाटा में १९ गांव की हानि हुई है । डी० एम० कीभी बिल्कुल यही राय है । १२०० गांवों की मुझे इत्तला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरि केवल प्रसाद का यह सवाल है कि पहले से कोई रिपोर्ट थी कि पानी न छोड़ा जाय . . . . .

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

पहले की रपट मैंने अभी तक नहीं देखी, मैंने सुना है । मैंने अर्ज किया कि राष्ट्रपति शासन में इस तरह की चीज आयी थी । उस पर यह आदेश हुआ कि विभागीय जांच करा ली जाय । मैंने यह सुना है कि शायद उन्होंने यह लिख कर भेजा कि विभाग का कोई दोष नहीं था ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२९ जुलाई, १९७४ ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०५ पर)

संलग्नक

७वें सोमवार के लिए तारांकित प्रश्न सं० १

पदों के स्थायीकरण हेतु की जाने वाली कार्यवाही	पदों की संख्या
१—पद जो १-१-७४ से स्थायी कर दिये गये हैं	१९४
२—पद जिनके १-४-७४ से स्थायीकरण के आदेश वर्ष १९७४-७५ के आय-व्ययक पारित होने पर जारी होंगे ।	९७४
३—पद जिन्हें स्थायी करने का परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है	५१०
४—पद जिन्हें स्थायी करने का परीक्षण उद्योग निदेशालय स्तर पर किया जा रहा है ।	१२७
५—तीन वर्ष से कम समय से चल रहे पद, जिसका स्थायीकरण अभी नहीं हो सकता	४०४
कुल योग ..	२२०९

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तरांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०८ पर)

क्रम संख्या	अधिकारी	आवन्टित चीनी की मात्रा
१—विकास खण्ड,	उझानी	६८ क्वीन्टल
२ ,,	बिसौली	५५ ,,
३ ,,	वजीरगंज	५० ,,
४ ,,	आसफपुर	४५ ,,
५ ,,	जूना मई	४५ ,,
६ ,,	गुन्नौर	४५ ,,
७ ,,	दातागंज	४५ ,,
८ ,,	इस्लामनगर	४० ,,
९ ,,	जगत	३५ ,
१० ,,	बिनावर	३५ ,,
११ ,,	कादरचौक	३० ,,
१२ ,,	अब्जियापुर	३० ,,
१३ ,,	म्याऊ	३० ,,
१४ ,,	सहसवान	३० ,,
१५ ,,	रजपुरा	३० ,,
१६ ,,	रहगवां	२५ ,,
१७ ,,	उसावां	२० ,,
१८ ,,	समेनर	२० ,,
१९	तहसील बिसौली	५० ,,
२०	तहसील गुन्नौर	४५ ,,
२१	तहसील सहसवान	२० ,,
२२	तहसील दातागंज	१५ ,,
२३	जिला पूर्ति अधिकारी/जिलाधिकारी	३१० ,,
	योग	१,११८ क्विन्टल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१८ पर)

जनपद मुरादाबाद में वर्ष १९७१–७२ में ली गई सड़कें

क्रम संख्या	नाम परिक्षेत्र	स्वीकृत सड़कों के नाम जो पहले कच्ची थी और योजना के अन्तर्गत पक्की करने को ली गई हैं	स्वीकृत सड़कों की लम्बाई	निर्माण की प्रगति
			कि० मी०	
१	बिलारी परिषद् ..	१—ग्वारऊ रोड ..	०.३	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		२—धामला रोड ..	०.४	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		३—सहसपुर रोड ..	०.३	मिट्टी की कुटाई पूर्ण हो गई है। पेंटिंग शेष है।
२	मुरादाबाद एन०एस०सी०	४—मूडा पान्डे रोड़ ..	१.२	१.१ कि०मी० में मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है मिट्टी एकत्र की जा चुकी है। कुटाई एवं पेंटिंग शेष है।
३	चन्दौसी एन०एस०सी० ..	५—जारई रोड़ ..	०.४	कार्य पूर्ण हो चुका है।
		६—दरौली रोड ..	०.४	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और मिट्टी एकत्रित की जा चुकी है। कुटाई और पेंटिंग शेष है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद मुरादाबाद में वर्ष १९७२–७३ में ली गई सड़कें

क्रम संख्या	नाम परिक्षेत्र	स्वीकृत सड़कों के नाम जो पहले कच्ची थीं और योजना के अन्तर्गत पक्की करने को ली गई	स्वीकृत सड़कों की लम्बाई	निर्माण की प्रगति
			कि० मी०	
१	अमरोहा परिषद् ..	१—कैलसा मानक जडी ..	.३३	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
		२—मिलक छोई रामनगर ..	.५०	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		३—अतरासी हसनपुर ..	३.००	१.८७ कि०मी० में मिट्टी और सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		४—अतरासी रायपुर ..	.५०	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		५—डिडौली सिनौरा ..	.५०	मिट्टी का सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		६—नौगवां कौराल ..	.७५	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		७—तैलीपुरा कैलसा ..	१.२०	मिट्टी का कार्य १.२० कि० मी० सोलिंग ०.५५ कि०मी० व गिट्टी ०.२८ कि० मी० में एकत्र की जा चुकी है।
		८—अमरोहा धकतोड़ा (i) ..	१.५०	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		९—अमरोहा धकतोड़ा (ii) ..	१.५०	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
२	बिलारी परिषद् ..	१०—सुनाई रोड ..	२.००	समस्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		११—टाण्डा उदयपुर ..	१.००	०.९१ कि० मी० में सभी कार्य पूर्ण कर लिया गया है और ०.०९ कि० मी० में केवल पेंटिंग शेष है।
		१२—अ..रौली रोड	१.००	मिट्टी कुटाई तक का कार्य पूर्ण हो गया है और पेंटिंग शेष है।

अनुभव विधायी संस्था

		१३—नगला कमाल रोड ..	१.००	०.७५ कि० मी० में मिट्टी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		१४—सनाई रोड ..	१.००	०.७८ कि० मी० में कुल कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		१५—नरखेड़ा रोड ..	०.२०	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।
३	बाहय कमेटी चन्दौसी ..	१६—जारई मार्ग ..	१.००	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। मिट्टी भी एकत्रित कर ली गई है।
४	बाहय कमेटी, मुरादाबाद	१७—दलपतपुर रोड (अक्का डिलारी तक)।	१.००	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		१८—नूरपुर फ़रीदपुर मार्ग ..	१.००	०.५ कि०मी० में मिट्टी का सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		१९—शाहपुर तिगड़ी रोड ..	१.५०	१ कि० मी० में मिट्टी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लगभग ३/४ कि० मी० के लिये मिट्टी एकत्रित कर ली गई है।
		२०—बागड़पुर रोड ..	०.५०	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और मिट्टी एकत्रित कर ली गई है।
५	बाह्य कमेटी कांठ ..	२१—शेरपुर रुस्तमपुर मार्ग ..	२.००	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		२२—कूरी मार्ग ..	१.५०	मिट्टी व सोलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		२३—काथापुर तैलीपुरा मार्ग ..	१.००	मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है।

अनुभव विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२४ पर)

दिनांक १ जून, १९७४ से दिनांक २० जून, १९७४ तक दिये गये वनस्पति के परमिटों का विवरण

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम जिसे परमिट दिया गया	परमिट का दिनांक	परमिट अंकित पर मात्रा
१	२	३	४
			किलो
१	श्री विश्व नाथ सर्राफ	१–६–७४	१०
२	श्री आरोरा, एस०आ०सी०	१–६–७४	१६.५
३	श्री जे० एच० जैदी	३–६–७४	८
४	श्री राम सागर अग्निहोत्री	३–६–७४	१०
५	श्री राम बिलास गुप्ता	३–६–७४	१०
६	श्री ओम प्रकाश	३–६–७४	१२
७	श्री मोहर्रम अली	४–६–७४	८
८	श्री मोहम्मद रफीउलकदर	४–६–७४	८
९	श्री बांके बिहारी लाल	४–६–७४	१०
१०	श्री सूरज प्रकाश मिश्रा	४–६–७४	१०
११	श्री संकटा प्रसाद	५–६–७४	८
१२	श्री मथुरा प्रसाद	५–६–७४	८
१३	श्री राम सरन गुप्ता	५–६–७४	१०
१४	श्री विद्या सागर त्रिवेदी	५–६–७४	१०
१५	श्री मोहम्मद करीम	५–६–७४	८
१६	श्री बल्लू	५–६–७४	८
१७	श्री अजीज अहमद	५–६–७४	८
१८	श्री राम नरायन गुप्ता	६–६–७४	१६.५
१९	श्री मूल राज निगम	६–६–७४	८
२०	श्री साकिर अली	६–६–७४	८
२१	श्री श्याम मनोहर	६–६–७४	८
२२	श्री रूप नरायन	६–६–७४	८
२३	श्री गणपति सिंह	७–६–७४	१६.५
२४	श्री राज कुमार मिश्रा	७–६–७४	१२
२५	श्री मोहम्मद युसुफ	७–६–७४	८

सत्यमेव जयते विधान सभा

क्रम-संख्या	व्यक्ति का नाम जिसे परमिट दिया गया	परमिट का दिनांक	परिमिट पर अंकित मात्रा
१	२	३	४
			किलो
२६	श्री अब्दुल रहमान	७–६–७४	८
२७	श्री मोहम्मद आमिल	७–६–७४	८
२८	श्री अजीजउद्दीन	७–६–७४	८
२९	श्री साबिर अली	७–६–७४	८
३०	श्री छता सिंह	१०–६–७४	८
३१	श्री बद्री प्रसाद	१०–६–७४	८
३२	श्री बालक राम त्रिपाठी	१०–७–७४	८
३३	श्री राम लाल श्रीवास्तव	१०–६–७४	८
३४	श्री माधो राम खन्ना	१०–६–७४	८
३५	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	१०–६–७४	८
३६	श्री प्रहलाद नरायन रस्तोगी	१०–६–४७	८
३७	श्री तुलसी राम	१०–६–७४	८
३८	श्री राम मोहन	१०–६–७४	८
३९	श्री राम मोहन सक्सेना	११–६–७४	८
४०	श्री तुलसी राम	१२–६–७४	८
४१	श्री राम लाल	१३–६–७४	८
४२	श्री बालम सिंह मियान	१४–६–७४	१६.५
४३	श्री आर० एस० साहू	१६–६–७४	१६.५
४४	श्री बाबू राम दीक्षित	१६–६–७४	३३
४५	श्री साधू राम शुक्ला	१९–६–७४	३३
४६	श्री चुन्नी लाल	२०–६–७४	१६.५
४७	श्री जसवंत सिंह	२०–६–७४	१६.५

बी०एस०यू०पी०—ए०पी० १३४ वि० सभा—(१६६१)—१९७५—८४५ ।